रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/2000 REGISTERED No. DL—33001/2000

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 8 2000 (चैत्र 19, 1922)
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 8, 2000 (CHAITRA 19, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई–400021, दिनांक, 30 मार्च 2000

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक का शेयरधारक रजिस्टर वर्ष 1999–2000 के अंतरिम लाभांश का भुगतान करने के लिए बुधवार, दिनांक 3 मई 2000 से मंगलवार, दिनांक 9 मई 2000 तक की अवधि के लिए शेयरों के अंतरण हेतु बन्द रहेगा।

जी० जी० वैद्य,
अध्यक्ष

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय

कलकत्ता–700001, दिनांक 23 फरवरी 2000

इलाहाबाद बैंक सामान्य विनियम, 1999

सं० प्र० का/सा० ले०/1626:—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद बैंक का निदेशक बोर्ड भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श के उपरान्त तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति सहित, एतद्द्वारा निम्नांकित विनियम बनाता है अर्थात् :—

अध्याय–1

परिचायिका

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

(i) इन विनियमों को इलाहाबाद बैंक सामान्य विनियम 1999 कहा जा सकेगा।

(ii) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं—इन विनियमों के अन्तर्गत जब तक कि कुछ विषय या सन्दर्भ अथवा उसके तात्पर्य के विरुद्ध न हो—

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य है बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5),

(ख) "बैंक" से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित इलाहाबाद बैंक,

(ग) "बोर्ड" से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 9 के तहत गठित निदेशक, बोर्ड,

(घ) "अध्यक्ष" से तात्पर्य है बोर्ड का अध्यक्ष,

(ङ) "समिति" से तात्पर्य है बोर्ड द्वारा गठित समिति,

(च) "कार्यपालक निदेशक" से तात्पर्य है पूर्णकालिक निदेशक, प्रबन्ध निदेशक नहीं,

(छ) "महाप्रबन्धक" से तात्पर्य है बैंक का महाप्रबन्धक

(ज) "प्रबन्धन समिति" से तात्पर्य है योजना के खण्ड 13 के तहत गठित समिति,

(झ) "प्रबन्ध निदेशक" से तात्पर्य है बैंक का प्रबन्ध निदेशक,

(ञ) "रजिस्टर" से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2जी) के तहत शेयरधारकों का रजिस्टर जो बैंक की एक या अधिक बहियों में रखा गया हो तथा जिसमें कम्प्यूटर फ्लापों या डिस्क भी शामिल है।

(ट) "रजिस्ट्रार" से तात्पर्य है बैंक द्वारा निम्नांकित लिए नियुक्त व्यक्ति—

(i) निर्गम के सम्बन्ध में निवेशकों से आवेदनों का संग्रह,

(ii) निवेशकों से प्राप्त हुए आवेदनों एवं धन या प्रतिभूतियों के विक्रेता को अदा किए गए धन का समुचित रिकार्ड रखना,

(iii) बैंक को सहायता देना

(क) स्टाक एक्सचेंज से परामर्श करते हुए प्रतिभूतियों के आवंटन का आधार निश्चित करना,

(ख) प्रतिभूतियों के आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची को अन्तिम रूप देना,

(ग) निर्गम से सम्बन्धित आवंटन पत्रों, प्रतिदाय आदेशों अथवा प्रमाण पत्रों एवं अन्य सम्बन्ध कागजात का प्रसंस्करण एवं प्रेषण, और

(iv) बैंक द्वारा समय समय पर सौंपा गया कोई अन्य दायित्व .

(ठ) "स्कीम" से तात्पर्य है राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध), स्कीम, 1970,

(ड) "शेयर" से तात्पर्य है बैंक की शेयर पूंजी में अंश

(ढ) "शेयर अन्तरण एजेंट" में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) कोई व्यक्ति जो बैंक की ओर से उन प्रतिभूतियों के धारकों का रिकार्ड रखता है जो बैंक द्वारा जारी की गई है तथा बैंक की प्रतिभूतियों के अन्तरण एवं से मोचन से संबंधित सभी मामलों को देखता है, या

(ii) बैंक का एक विभाग या प्रभाग (जिस किसी भी नाम से जाना जाये) जो उप खण्ड (i) में सन्दर्भित क्रियाकलाप निष्पादित करता हो,

(ण) अध्याय में प्रयुक्त तथा इन विनियमों में परिभाषित न किये गये परन्तु जमाकर्त्ता, अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 22) में प्रयुक्त शब्दों एवं पदों का अर्थ कथित अधिनियम में उन्हें दिये गये सम्बन्ध अर्थों के अनुरूप ही होगा।

अध्याय–II

शेयर एवं शेयर रजिस्टर

3. शेयरों का स्वरूप—इलाहाबाद बैंक के शेयर चल सम्पत्ति होंगे जिन्हें इन विनियमों के तहत उपबन्धित तरीके से अन्तरित किया जा सकेगा।

4. शेयर पूंजी के प्रकार :

(i) अधिमान शेयर पूंजी से इलाहाबाद बैंक की शेयर पूंजी का वह भाग अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करता है—

(क) जहां तक लाभांशों का सम्बन्ध है, इसमें एक निर्धारित राशि या एक निर्धारित दर पर आकलित राशि की भुगतान प्राप्ति जो आयकर से मुक्त अथवा उसके

अध्यधीन हो सकती है, का अधिमानी अधिकार निहित है, एवं

(ख) जहां तक पूंजी का सम्बन्ध है इसमें परिसमापन पर पूंजी की पुनदाअयगी का अधिमानी अधिकार निहित है या होगा कि इसे अदाकृत पूंजी का पुनर्भुगतान किया जाए या किया गया माना जाये भले ही निम्नांकित दोनों राशियों के भुगतान का अधिमानी अधिकार हो अथवा नहीं, अर्थात्

(क) खण्ड 4 (क) में विनिर्दिष्ट परिसमापन या पूंजी के पुनर्भुगतान को तिथि तक बकाया रहा कोई धन

(ख) बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से विनिर्धारित किया गया कोई नियत प्रीमियम या नियत मान पर विनिर्धारित प्रीमियम,

(ii) "साधारण शेयर पूंजी" से वह समस्त शेयर पूंजी अभिप्रेत है तो अधिमान शेयर पूंजी नही है।

(iii) "अधिमान शेयर" तथा "साधारण शेयर" पदों मे तदनुसार अर्थ ग्रहण किया जायेगा।

5. रजिस्टर में दर्ज किया जाने वाला विवरण :

(i) अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 2(छ) के अनुसार एक शेयर रजिस्टर रखा जायेगा, उसका रख-रखाव किया जायेगा तथा उसे अद्यतन किया जायेगा।

(ii) अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 2(छ) में विनिर्धारित विवरण के साथ-साथ वह विवरण भी रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा जो बोर्ड विनिर्धारित करेगा।

(iii) किसी शेयर के संयुक्त धारकों के मामले में उप विनियम (i) के अनुसार अपेक्षित उनके नाम तथा अन्य विवरण उन संयुक्तधारकों के पहले नाम के तहत समूहबद्ध किए जाएंगे ।

(iv) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2(घ) के परन्तुक के अध्यधीन भारतवर्ष से बाहर निवास करने वाला कोई शेयरधारक बैंक को अपना भारतवर्ष का कोई पता प्रस्तुत कर सकता है तथा यही पता रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और अधिनियम एवं इन विनियमों के उद्देश्यार्थ इसे उसका पंजीकृत पता समझा जाएगा ।

(v) किसी न्यास का कोई भी अभिव्यक्त या विवक्षित अथवा आन्वयिक नोटिस रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाएगा तथा न ही बैंक द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।

6. शेयरों तथा रजिस्टरों पर नियंत्रण :

अधिनियम एवं इन विनियमों और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी तद्विषयक निर्देशों के अध्यधीन इलाहाबाद बैंक के प्रधान कार्यालय में रजिस्टर रखा जाएगा और उसका रखरखाव किया जाएगा तथा यह बोर्ड के नियंत्रणाधीन होगा एवं इस मामले में बोर्ड का निर्णय ही अंतिम होगा कि किसी शेयर की बाबत कोई व्यक्ति और बतौर शेयरधारक पंजीकृत किए जाने का पात्र है या नहीं ।

7. वे पार्टियां जिन्हें शेयरधारक पंजीकृत नही किया जा सकता—

(i) इन विनियमों द्वारा जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय ऐसे सभी व्यक्ति जो संविदा करने हेतु सक्षम नहीं है, शेयरधारक के रूप में पंजीकृत होने के पात्र नहीं होंगे तथा इस मामले में बोर्ड का निर्णय निश्चयाक एवं अंतिम होगा ।

(ii) फर्मों के मामले में शेयर धारकों को व्यष्टिक भागीदारों के नाम से पंजीकृत किया जा सकेगा तथा, इस प्रकार कोई फार्म शेयरधारक के रुप में पंजीकृत होने की पात्र नहीं होगी ।

8. कम्प्यूटर प्रणाली के अन्तर्गत शेयर रजिस्टर का रखरखाव :

(i) विनियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2(च) के अन्तर्गत शेयर रजिस्टर में दर्ज किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण का रखरखाव अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2(छ) के तहत मैगनेटिक/आप्टिकल/मेग्नेटोआप्टिकल स्वरूप में डिस्क, फ्लापी, कार्टरिज या अन्यथा (एतद्पश्चात् "मीडिया" के रूप में उल्लिखित) तौर पर प्रधान कार्यालय में रखे गए कम्प्यूटरों तथा सुरक्षा दृष्टि से अन्यत्र ऐसे स्थान पर जाएगा जो समय-समय पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अथवा किसी अन्य अधिकारी जो कि महाप्रबन्धक से कम के स्तर का न हो तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया गया हो, द्वारा निर्धारित किया गया हो ।

(ii) जमाकर्ता अधिनियम, 1996 की धारा 11 के साथ पठित अधिनियम की धारा 3(ख) के तहत शेयर रजिस्टर में दर्ज किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण का रखरखाव इलेक्ट्रानिक स्वरूप में तथा वहां उल्लिखित तरीके से किया जाएगा ।

9. कम्प्यूटर प्रणाली के बचाव के लिए सुरक्षा उपाय :—

(i) विनियम 8 (1) के तहत निर्धारित पद्धति जिसके अन्र्गतत डाटा रखा गया है तक पहुंच निर्गम के रजिस्ट्रार सहित ऐसे व्यक्तियों और/या शेयर अतरण एजेंटों तक निबंधित होगी जो कि इस बाबत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

द्वारा या पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किए गए हों और यदि कोई पास वर्ड है तो वह तथा इलेक्ट्रानिक सुरक्षा प्रणाली उक्त व्यक्तियों की अभिरक्षा में गुप्त रखी जाएगी ।

(ii) प्राधिकृत व्यक्तियों की पहुंच को कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा लॉग मे रिकार्डबद्ध किया जाएगा तथा ये लॉग उन अधिकारियों/व्यक्तियों के पास सुरक्षित रहेंगें जिन्हें इस बात अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक अथवा पदाभिहित अधिकारी द्वारा दायित्व दिया गया हो ।

(iii) बैक अप की प्रतियां अपनेय (रिमेवेबिल) मीडिया पर आवधिक तौर से जैसा कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो शेयर धारकों के रजिस्टर में किए गए परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए रखी जाएगी । इन प्रतियों में कम से कम एक को उस परिसर से अलग स्थान पर रखा जाएगा जहां प्रक्रमण (प्रोसेसिंग) किया जा रहा है । इस प्रति को एक अपेक्षित तापमान पर तथा अग्निरोधक एवं तालाबद स्थिति में रखा जाएगा । दोनों स्थानों पर रखे गए बैकअप तक की पहुंच अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा पदाभिहित अधिकारी द्वारा इस बाबत प्राधिकृत किए गए व्यक्तियों तक सीमित होगी । उक्त प्राधिकृत व्यक्ति पहुंच को सम्बद्ध स्थान पर रखे गए हस्तचालित रजिस्टर मे दर्ज करेंगे ।

(ev) प्राधिकृत व्यक्तियों का कर्तव्य होगा कि वे समुचित साफ्टवेयर का उपयोग करते हुए बैक-अप के डाटा का कम्प्यूटर प्रणाली में रखे गए डाटा से मिलान कर लें । इस आशय का रिकार्ड भी तत्संबंधित रजिस्टर मे दर्ज किया जाएगा ।

(v) तकनीकी उन्नति और/या परिस्थितिजन्य अत्यावश्यकता अथवा किसी अन्य सम्बद्ध विचार को देखते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कम्प्यूटर प्रणाली के तहत शेयरधारकों के रजिस्टर के रखरखाव विषयक सुरक्षा से संबंधित अनुदेशों, अनुबंधों मेंसंशोधन करने या उनमे कुछ जोड़ने के लिए सक्षम होगा ।

10. संयुक्तधारकों के अधिकारों का प्रयोग

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम तो रजिस्टर में प्रथम स्थान पर उल्लिखित व्यक्ति को वोटिंग लाभांश प्राप्ति नोटिस की तामील तथा शेयरों के अन्तरण को छोड़कर इलाहाबाद बैक से सम्बद्ध समस्त या किसी भी मामले में उसका एकमात्र धारक समझा जाएगा ।

11. रजिस्टर का निरीक्षण :

(i) विनियम-12 के तहत बन्द होने की व्यवस्था को छोड़कर रजिस्टर किसी भी शेयरधारक हेतु निःशुल्क लेकिन ऐसे तर्कसंगत नियंत्रण के अध्यधीन जो कि बोर्ड द्वारा विहित किया जाये एवं ऐसे स्थान पर जहां वह कार्य व्यवसाय के समय रखा जाता है, निरीक्षण के लिए खुला रहेगा परन्तु किसी भी कार्य दिवस में यह अवधि दो घंटे से कम नहीं होगी ।

(ii) कोई भी शेयरधारक रजिस्टर की किसी भी प्रविष्टि से सम्बन्धित अंश को नि:शुल्क उतार सकता है । या फिर यदि उसे इसकी प्रतिलिपि या रजिस्टर अथवा उसके किसी भाग का कम्प्यूटर प्रिंट अपेक्षित हो तो उसे यह 5 रुपया प्रति 100 शब्द या तद्विषयक अंश के पूर्व भुगतान पर उपलब्ध कराया जायेगा ।

(iii) उपविनियम (ii) में किसी बात के होते हुए भी सरकार के किसी भी यथा प्राधिकृत अधिकारी को रजिस्टर की किसी भी प्रविष्टि को नकल करने अथवा रजिस्टर या उसके किसी भी भाग की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये जाने का अधिकार प्राप्त होगा ।

12. रजिस्टर का बंद किया जाना :

बैक भारतवर्ष में परिचालित होने वाले कम से कम दो समाचार-पत्रों में विज्ञापन के द्वारा पूर्व सूचना देकर जो कि सात दिन से कम की नही होगी, शेयरधारकों के रजिस्टर को किसी अवधि या अन्तरालों हेतु जो कि कुल मिलाकर एक वर्ष में पैंतालीस दिन तथा एक बार में तीस दिन से अधिक नही होंगे, अपने विवेक से आयकत्तानसार बंद कर सकेगा ।

13. शेयर प्रमाण-पत्र (सर्टीफिकेट) :

(i) प्रत्येक शेयर सर्टीफिकेट पर शेयर सर्टीफिकेट संख्या, एक विशिष्ट संख्या, उन शेयरों की संख्या जिनकी बाबत यह जारी किया गया है तथा उस शेयरधारक का नाम जिसे यह जारी किया गया है, अंकित रहेगा तथा उसे उपो रूप में होगा जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

(ii) प्रत्येक सर्टीफिकेट बोर्ड के संकल्प के अनुसरण में बैक की सामान्य मुद्रा (कामन सील) के तहत जारी किया जायेगा तथा दो निदेशकों एवं किसी अन्य अधिकारी जो इस उद्देश्यार्थ बैक द्वारा नियुक्त किया गया हो, द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।

परन्तु, यह भी कि निदेशकों के हस्ताक्षर मुद्रित, उत्कीर्ण, अश्म मुद्रित (लिथोग्राफ) या किसी अन्य मशीनी प्रक्रिया मे जैसा कि बोर्ड निदेशित करे, छुपाये जा सकेंगे ।

(iii) इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्ण, अश्म मुद्रित या अन्यथा छुपाये गये हस्ताक्षर उसी प्रकार वैध होंगे जैसे कि समुचित तौर पर हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वयं अपने हाथ मे किये गये हों ।

(iv) इस प्रकार मे हस्ताक्षरित न किया गया कोई भी शेयर सर्टीफिकेट वैध नहीं होगा और उक्त तरीके से हस्ताक्षरित शेयर सर्टीफिकेट इस बात के होते हुए भी कि

उस पर जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं वह बैंक की ओर से शेयर सर्टिफिकेट हस्ताक्षरित करने के लिए प्राधिकृत न रह गया हो, वैध एवं बाध्यकारी होगा ।

14. शेयर सर्टीफिकेटों का जारी किया जाना :

(i) किसी शेयरधारक को सर्टीफिकेट जारी करते समय बोर्ड उसके नाम से प्रति अवसर पंजीकृत प्रत्येक एक सौ या उसके गुणकों में शेयरों के लिए एक सर्टीफिकेट तथा एक अतिरिक्त सर्टीफिकेट उन शेयरों के लिए जो संख्या में एक सौ से कम हों, जारी करने के लिए सक्षम होगा ।

(ii) यदि पंजीकृत किये जाने वाले शेयरों की संख्या एक सौ से कम हो तो समस्त शेयरों के लिए एक ही सार्टीफिकेट जारी किया जाएगा।

(iii) एकाधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित किसी शेयर या शेयरों की बाबत बैंक एक से अधिक सर्टिफिकेट जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा एकाधिक शेयरधारकों में से एक को की गई शेयर सुपुर्दगी उक्त शेयरधारकों को पर्याप्त सुपुर्दगी मानी जायेगी ।

15. शेयर सर्टीफिकेटों का नवीकरण :

(i) यदि कोई शेयर सर्टीफिकेट फट जाता है या विरूपित हो जाता है तो बोर्ड अथवा उसके द्वारा पदाभिहित समिति उक्त सर्टीफिकेट के प्रस्तुत किये जाने पर उसे निरस्त किये जाने तथा उसके स्थान पर नये सर्टीफिकेट के जारी किये जाने का आदेश दे सकती है ।

(ii) यदि किसी शेयर सर्टीफिकेट को खोया हुआ या नष्ट हुआ अभिकथित किया जाता है तो बोर्ड अथवा उसके द्वारा पदाभिहित समिति क्षतिपूर्ति सहित अथवा बिना प्रतिभा के, जैसा भी वह उचित समझे, तथा दो समाचार पत्रों में इस आशय की सूचना के प्रकाशन जिसका मूल्य एवं खर्च आदि इलाहाबाद बैंक को अदा कर दिया गया हो, के उपरान्त उसके बदले उस व्यक्ति को प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति दे सकती है जो उक्त खोये हुए या नष्ट हुए सर्टीफिकेट क हकदार है ।

16. शेयरों का समेकन एवं उप-विभाजन

शेयरधारक(कों) द्वारा लिखित रूप में आवेदन किये जाने पर बोर्ड या उसके द्वारा पदाभिहित समिति उसके पास समेकन या उप-विभाजन के लिए, जैसी भी स्थिति हो प्रस्तुत किये गये शेयरों को समेकित या उप विभाजित कर सकती है तथा उनके बदले में नया/नये सर्टीफिकेट बैंक उसकी/उनकी नियमित अथवा अनुषंगिक लागत, खर्च एवं प्रभार आदि अदा किये जाने पर जारी कर सकती है ।

17. शेयरों का अन्तरण :

(i) बैंक के शेयरों का प्रत्येक अन्तरण एक अन्तरण विपत्र जैसा कि एतद्दारा फार्म "क" के रूप में संलग्न है, द्वारा होगा या फिर ऐसे किसी अन्य फार्म के जरिए या जैसा कि समय-समय पर बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया हो तथा यह फार्म सम्बद्ध शेयर सर्टीफिकेट के साथ-साथ, अन्तरणकर्ता एवं अन्तरिती द्वारा या उनकी ओर से अनिवार्यतः यथाविधि स्टांपित, दिनांकित एवं निष्पादित होगा ।

(ii) अन्तरण विपत्र को शेयर सर्टीफिकेट के साथ अन्तरणकर्ता द्वारा बैंक में उसके प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा तथा जब तक शेयर रजिस्टर में इस बाबत अन्तरिती का नाम दर्ज नहीं हो जाता, अन्तरणकर्ता को ही इन शेयरों का धारक समझा जायेगा ।

(iii) अन्तरण विषयक अनुरोध सहित अन्तरण विपत्र प्राप्त होने पर बोर्ड या बोर्ड द्वारा पदाभिहित समिति द्वारा इसे शेयर सर्टीफिकेट के साथ रजिस्ट्रार और/या शेयर अन्तरण एजेंट को सत्यापन हेतु भेजा जाएगा ताकि तदनुरूप तकनीकी अपेक्षाएं पूरी की जा सकें । रजिस्ट्रार और/या शेयर अन्तरण एजेंट अंतर विपत्र को शेयर सर्टीफिकेट, यदि कोई हो, के साथ अन्तरिती को पुनः प्रस्तुत हेतु करने वापस करेगा जब तक कि :—

(क) यह सम्बद्ध शेयर सर्टीफिकेट तथा ऐसे किसी अन्य साक्ष्य जो कि बोर्ड अन्तरणकर्ता को उक्त अन्तरण हेतू उसका अन्तरण संबंधी हक दिखाने के लिए चाहता हो, के साथ-साथ पंजीकरअ हेतू समुचित तौर पर निष्पादित न हो ।

(ख) रजिस्ट्रार इस बारे में संतुष्ट न हो कि अन्तरिती अन्तरण विपत्र के तहत उल्लिखित शेयरों की बाबत शेयरधारक के रूप में पजीकृत होने के योग्य है ।

(iii) बोर्ड या उसके द्वारा पदाभिहित समिति, जब तक विनियम 19 के तहत अन्तरण को पंजीकृत करने से इंकार न करे, अन्तरण को पंजीकृत करायेगी ।

18. अन्तरण को निलंबित करने की शक्ति :

बोर्ड या उसके द्वारा पदाभिहित समिति किसी भी अन्तरण को उस अवधि के दौरान पंजीकृत नहीं करेगी जबकि रजिस्टर बंद हो ।

19. बोर्ड का शेयरों के पंजीकरण या अन्तरण के अस्वीकार का अधिकार :

(i) बोर्ड अन्तरिती के नाम किसी शेयर का अन्तरण निम्नांकित में से किसी या एकाधिक कारणों से परन्तु उनके अलावा नहीं, अस्वीकार कर सकता है :—

(क) शेयरों का अन्तरण अधिनियम अथवा उसके तहत बनाये गये विनियमों के प्रावधानों के विपरीत हो या उक्त अन्तरण के पंजीकरण से संबन्धित किसी विधिक अपेक्षा का अनुपालन न करता हो,

(ख) शेयरों का अन्तरण बोर्ड के मतानुसार बैंक के हितों अथवा जनहित के प्रतिकूल न हो,

(ग) शेयर अन्तरण न्यायालय, ट्रिब्यूनल के आदेश या समयानुसार प्रभावी किसी भी कानून के अनुसार भी प्रतिसिद्ध होगा ।

(घ) भारतवर्ष से बाहर निवास करने वाला कोई व्यक्ति या कंपनी या भारतवर्ष में लागू न होने वाले किसी कानून के तहत निगमित कोई कम्पनी या उसकी कोई शाखा चाहे वह भारतवर्ष में निवासित है अथवा नही, अतरण को अनुमति प्रदान किये जाने पर बैंक के शेयर रख या प्रात कर सकेगी और कुल मिलाकर यह निवेश समादत्त पूंजी के 20 प्रतिशत (बीस प्रतिशत) या राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिरिधारित में अधिक होगा ।

तथापि यह भी होगा कि उपर्युक्त उप-विनियम–(i) (ग) में उल्लिखित शक्तियां इस बाबत बोर्ड द्वारा पदाभिहित समिति द्वारा प्रयोग की जा सकेंगी ।

(ii) उक्त अन्तरण के पंजीकरण हेतु बैंक का शेयर अन्तरण लिखित दाखिल किये जाने पर बोर्ड अपना मत निर्धारित करेगा कि उप-विनियम (i) में उल्लिखित किसी कारण से इस पंजीकरण को अस्वीकार किया जाये अथवा नही :–

(क) यदि उसका यह मत निर्धारित होता है कि उक्त पंजीकरण को अस्वीकार न किया जाये तो पंजीकरण करेगा और

(ख) यदि उसका यह मत निर्धारित होता है कि पंजीकरण को उप विनियम (i) में उल्लिखित किसी कारणवश अस्वीकार कर दिया जाये तो अंतरण प्रपत्र को प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर अन्तरणकर्ता एवं अन्तरिती को लिखित रूप में नोटिस द्वारा सूचित करेगा ।

20. मत्यु, दिवालियापन आदि की स्थिति में शेयरों का पारेषण :

(i) किसी शेयर के मामले मे सम्बद्ध शेयरधारक का निष्पादक या प्रशासक अथवा प्रोबेट–पत्र या प्रशासन पत्र जो बिलयुक्त या बिल रहित हो सकता है, का अथवा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग 10 के तहत जारी उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र का धारक अथवा कोई विधिक प्रतिनिधित्वधारक या कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में अपने जीवनकाल के दौरान मृतक पूर्णधारक द्वारा वैध अन्तरण लिखत निष्कमित किया गया हो, ही एक मात्र व्यक्ति होगा जिसे इलाहाबाद बैंक द्वारा उक्त शेयर पर कोई हक रखने की बाबत मान्यता दी जा सकेगी ।

(ii) दो या अधिक शेयरधारकों के नाम से पंजीकृत शेयरों के मामले में उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों तथा अंतिम उत्तरजीवी की मत्यु की स्थिति में उसके निष्पादकों या प्रशासकों अथवा किसी व्यक्ति जो कि प्रोबेट–पत्र बिलयुक्त अथवा बिल-रहित प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या ऐसे उत्तराधिकारी के शेयर संबंधी हित विषयक अन्य किसी विधिक प्रतिनिधित्व के धारक या किसी व्यक्ति जिसके पक्ष में शेयर संबंधी वैध लिखत ऐसे व्यक्ति या ऐसे अंतिम उत्तरजीवी द्वारा अपने जीवनकाल मे निष्पादित किया गया हो, को ही इलाहाबाद बैंक द्वारा उक्त शेयर पर कोई हक रखने वाले व्यक्ति के पक्ष में मान्यता दी जा सकेगी ।

(iii) इलाहाबाद बैंक ऐसे निष्पादको या प्रशासकों को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं होगा जब तक कि वे स्थिति अनुरुप सक्षम अधिकारितायुक्त न्यायालय से प्रोबेट या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लें ।

तथापि, यह भी कि जहां बोर्ड अपने विवेकानुसार उपयुक्त समझे वह प्रोबेट पत्र या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या ऐसे अन्य किसी विधिक प्रतिनिधित्व से क्षतिपूर्ति या अन्य संदर्भ में उचित समझे जाने तक अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा ।

(iv) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कि किसी शेयरधारक की मत्यु के परिणामस्वरुप शेयर का हकदार बन जाता है या ऐसे व्यक्ति को जो कि शेयरधारक के दिवालियेपन, शोधन अक्षमता या परिसमापन की स्थिति में शेयर का हकदार बनता है, बोर्ड द्वारा अपेक्षित संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर अधिकार प्राप्त होगा कि–

(i) वह उक्त शेयर के लिए शेयरधारक के रुप में पंजीकृत किया जा सकेगा,

(ii) ऐसे शेयर को इस प्रकार अन्तरित करा सकेगा जैसे कि वह व्यक्ति कराता जिससे उसे उक्त अधिकार प्राप्त हुआ है ।

21. पंजीकरण के हकदार न रहने वाले शेयरधारक :

शेयरधारक के रुप में पंजीकृत किसी भी व्यक्ति का चाहे वह एक मात्र रुप में हों अथवा अन्य के साथ संयुक्त रुप में हो या किसी शेयर के लिए उसके धारक के न रहने पर नये धारक के रुप में पंजीकृत होने वाले अन्य व्यक्तियो का यह दायित्व होगा कि वे धारक न रहने मे सम्बन्धित आशय की सूचना निदेशकों के बोर्ड को दें ।

22. शेयर संबंधी मांगे (कॉल)

शेयरधारकों पर उनके शेयरों के सम्बन्ध में भुगतान के लिए शेष रही धनराशि जो कि आवंटन की शर्त के अनुसार निर्धारित समय पर अदा नही की गई हो, की बाबत बोर्ड समय-समय पर जैसा कि वह उचित समझे, मांग प्रस्तुत कर सकता है तथा इस प्रकार प्रस्तुत की गई मांग की राशि प्रत्येक शेयरधारक को उस दिये समय एवं स्थान पर

जैसा कि बोर्ड द्वारा निश्चित किया जायेगा, अदा करनी होगी। माग किस्तों मे भी मदेय हो मकती है।

23. मांगों का संकल्प की तिथि से होना :

कोई भी माग उसी समय की गई मानी जायेगी जबकि उसे प्राधिकृत किये जाने का संकल्प बोर्ड द्वारा पारित किया गया हो और उसी तिथि को अथवा बोर्ड विवेकानुसार इस सम्बन्ध में निर्धारित की गई अन्य किसी अनुवर्ती तिथि को शेयरधारकों द्वारा अदा किये जाने के लिए रजिस्टर में दर्ज रहेगी।

24. मांग की सूचना :

भुगतान के समय का उल्लेख करते हुए प्रत्येक मांग की बाबत कम से कम 30 दिन (तीस दिन) की सूचना दी जायेगी परन्तु भुगतान के समय से पूर्व बोर्ड शेयरधारकों को लिखित नोटिस देते हुए इसे प्रतिसंहृत कर सकता है।

25. मांग के भुगतान के लिए समय का बढ़ाया जाना :

बोर्ड शेयरधारकों के निवास स्थान की दूरी या किसी अन्य उपयुक्त कारण को देखते हुए उनमें से किसी के या उन सभी के लिए निर्धारित की गई भुगतान की समय सीमा को बढ़ा सकता है लेकिन किसी शेयरधारक को इस प्रकार की समयवृद्धि की बतौर अधिकार पात्रता नहीं होगी।

26. संयुक्त धारकों की देयताएं—किसी शेयर के संयुक्त धारकों को तत्संबंधित समस्त मांगों के लिए अलग-अलग दायी माना जाएगा।

27. मांग के अनुसार किस्तों में या निश्चित समय पर देय राशि :

यदि किसी शेयर निर्गम की शर्तों के अनुसार या अन्यथा कोई राशि किसी निश्चित समय पर या किस्तों द्वारा देय है तो इस राशि या किस्त को उसी प्रकार देय माना जायेगा जैसे कि यह बोर्ड द्वारा की गई हो तथा जिसके लिए अपेक्षित नोटिस दे दिया गया हो तथा मांगों के सम्बन्ध में यहां निहित समस्त उपबंध तदनुसार उसी राशि या किस्त से सम्बद्ध होंगे।

28. मांग या देय किस्त पर ब्याज :

यदि किसी माग या किस्त से सम्बन्धित राशि उसके भुगतान के निमित्त निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व अदा नहीं की जाती है तो समयानुसार धारक या शेयर का आबटी जिसे मांग जारी की गई है या किस्त देय हुई है, बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियत की गई दर के अनुसार तथा निश्चित समय के बाद में वास्तविक भुगतान तक की अवधि के लिए उक्त राशि पर ब्याज की अदायगी करेगा, परन्तु बोर्ड विवेकानुसार इस ब्याज का कोई अंश या ब्याज की समस्त राशि के भुगतान का अधित्याग (वेव) कर सकेगा।

29. शेयरधारक द्वारा मांगों का भुगतान न किया जाना :

कोई भी शेयरधारक उस समय तक किसी भी प्रकार का लाभांश प्राप्त करने या शेयरधारक के बतौर किसी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह एकल अथवा संयुक्त अपने शेयरों की बाबत समयानुरूप देय सभी मांगों का ब्याज एवं खर्चे जो कि उस पर लगाया अथवा प्रभारित किया गया हो।

30. ब्याज या मांग का भुगतान न किए जाने पर नोटिस :

यदि कोई शेयरधारक किसी मांग को पूरी तौर पर या उसके किसी अंश को या किस्त को या किसी शेयर की बाबत देय किसी अन्य धनराशि को मूल अथवा ब्याज के बतौर उसके भुगतान को निश्चित तिथि पर या उससे पूर्व अदा करने में असफल रहता है तो इलाहाबाद बैंक तत्पश्चात् किसी भी समय जबकि मांग या किस्त या उसका कोई भाग या अन्य धनराशि भुगतान हेतु शेष हो, या तत्संबंधित कोई निर्णय या डिक्री पूर्णतः अथवा अंशतः असंतुष्ट हो, उक्त शेयरधारक को या शेयर के पारेषण द्वारा पात्र व्यक्ति (यदि कोई हो) को यह अपेक्षा करते हुए कि वह उक्त मांग की राशि या किस्त या उसके किसी भाग या किसी अन्य धनराशि की अदायगी कर जो किसी उपचित ब्याज आदि सहित शेष हो एवं अन्य खर्चों (विधिक एवं अन्य) जो कि उक्त भुगतान न होने के कारण इलाहाबाद बैंक द्वारा उठाए गए हों, नोटिस जारी कर सकता है।

31. समपहरण का नोटिस :

समपहरण के नोटिस की तिथि इस आशय के नोटिस कि कहां तथा किन स्थानों पर और किस मांग पर या किस भाग अथवा राशि का या ब्याज एवं व्ययों का (जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है) भुगतान किया जाना है, से 14 (चौदह) दिनों से कम नहीं होगी। नोटिस में यह भी उल्लेख होगा कि निश्चित किये गये स्थान पर यथासमय अथवा समयपूर्व भुगतान न किये जाने की स्थिति में उक्त शेयर जिसकी बाबत माग की गई है या किस्त देय है, समपहरणीय होंगे।

32. चूक पर समपहरित किए जाने वाले शेयर :

यदि किसी नोटिस जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं होता है तो शेयरों में से किसी को भी जिसकी बाबत नोटिस दिया गया है, तत्पश्चात् किसी भी समय माग या किस्त, ब्याज और खर्च या तत्संबंधित किसी देय राशि की अदायगी न होने के कारण बोर्ड द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करते हुए समपहरित कर लिया जायेगा। समपहरित शेयरों की बाबत घोषित समस्त लाभांश जिसका तब तक वास्तव में भुगतान नहीं हुआ है, इस समपहरण में शामिल होंगे।

33. रजिस्टर में समपहरण की प्रविष्टि :—

विनियम 32 के तहत समपहरित हुए किसी शेयर की प्रविष्टि तत्संबंधित तिथि सहित रजिस्टर में की जाएगी।

34. समपहरित शेयर का इलाहाबाद बैंक की सम्पत्ति होना तथा बेचा जा सकना—

उक्त प्रकार से समपहरित किए गए किसी भी शेयर को इलाहाबाद बैंक की संपत्ति माना जाएगा तथा बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित तरीके से किसी भी व्यक्ति को बेचा, पुनराबंटित किया या अन्यथा निष्पादित किया जा सकेगा।

35. समपहरण को निष्प्रभावी (बातिल) करने की शक्ति—

बोर्ड जैसा भी उचित समझे, वह किसी शेयर को जो कि विनियम–32 के तहत समपहरित किया गया है बेचे जाने या पुनराबंटित किए जाने या अन्यथा निष्पादित किए जाने से पूर्व समपहरण से बातिल कर सकेगा।

36. समपहरण के समय देय राशि के ब्याज सहित भुगतान के लिए शेयरधारक का दायी होना—

कोई भी शेयरधारक जिसके शेयरों का समपहरण किया गया है समपहरण के होते हुए भी इलाहाबाद बैंक को सभी मांगों, किस्तों, ब्याज, खर्चों एवं ऐसी अन्य समस्त राशि जो उसके द्वारा बैंक को देय है या उन शेयरों की बाबत उसे अदा करनी है, जिन्हें समपहरित किया गया है, समपहरण के समय ऐसी दर से लगने वाले ब्याज सहित अदायगी करेगा तथा करने के लिए दायी होगा जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई हो तथा बोर्ड इसके सम्पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान को प्रवर्तित कर सकेगा।

37. आंशिक भुगतान से समपहरण को नहीं रोका जा सकना—

किसी शेयर की बाबत देय मांग या अन्य राशि के संबंध में न तो कोई निर्णय, न इलाहाबाद बैंक के पक्ष में जारी हुई कोई डिक्री, न कोई भुगतान अथवा तद्धीन तुष्टि, न ऐसी किसी राशि की इलाहाबाद बैंक द्वारा प्राप्ति, जो कि बतौर मूल या ब्याज अथवा उसके किसी अंश के किसी शेयर की बाबत शेयरधारक द्वारा देय हो और न ही इलाहाबाद बैंक द्वारा किसी राशि की बाबत मंजूर किए गए अनुग्रह द्वारा उक्त विनियमों के तहत से शेयरों को समपहरण से प्रवारित किया/रोका जा सकेगा।

38. शेयर के समपहरण से बैंक के विरुद्ध सभी दावों का निर्वापन—

शेयर के समपहरण में तत्समय बैंक के विरुद्ध तत्संबंधित समस्त दावों एवं मांगों तथा शेयर से संबंधित समस्त आनुषंगिक अधिकार सिर्फ उनको छोड़कर जो कि एतद्द्वारा स्वतः माफ हो जाते हैं, का निर्वापन सम्मिलित होगा।

39. समपहरित होने पर मूल शेयरों का विक्रय, पुनः जारी करण, पुनराबंटन या निपटान पर अक्षत और शून्य होना —

पूर्वोल्लिखित विनियमों के तहत किसी विक्रय, पुनः जारीकरण पुनराबंटन या अन्यथा निपटान पर संबंधित शेयरों की बाबत जारी मूल प्रमाणपत्र (जब तक कि चूककर्ता सदस्य द्वारा इसे बैंक के मांगे जाने पर पूर्वतः ही बैंक को अभ्यर्पित न कर दिया गया हो) निरस्त समझा जायेगा तथा आकृत और शून्य होते हुए निष्प्रभावी होगा लेकिन बोर्ड को हक होगा कि वह उक्त शेयरों की बाबत तदनुरूप पात्र व्यक्ति या व्यक्तियों को नया या नये प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा।

40. समपहरण प्रावधानों का लागू होना—

समहरण के संबंध में इन विनियमों के प्रावधान ऐसी किसी धनराशि की गैर-अदायगी के मामले में लागू होंगे जो शेयर निर्गम की शर्तों के अनुसार एक निश्चित समय पर शेयरों के अभिहित मूल्य या प्रीमियम के बतौर तथा नियमानुसार की गई मांग पर देय होती है।

41. शेयरों पर धारणाधिकार—

(i) बैंक का प्रथम एवं सर्वोपरि धारणाधिकार होगा—

(क) प्रत्येक शेयर (जो पूर्णतः संदत्त शेयर नहीं है) पर उस शेयर से संबंधित समस्त धनराशि (भले ही सम्प्रति देय है अथवा नहीं) जिसकी मांग की गई या जो एक निश्चित समय पर देय है, की बाबत,

(ख) समस्त शेयरों (जो पूर्णतः संदत्त शेयर नहीं है) पर जो कि एकल व्यक्ति के नाम पंजीकृत है, उस धनराशि की बाबत जो सम्प्रति उसके द्वारा या उसकी संपदा द्वारा बैंक को देय है।

(ग) प्रत्येक व्यक्ति के नाम पंजीकृत (एकल अथवा संयुक्त रूप से) समस्त शेयरों एवं उसके ऋणों, देयताओं एवं वचनबंधों जो कि एकल अथवा संयुक्त रूप से अन्य व्यक्ति के साथ अथवा बैंक के साथ हो सकते हैं, की बाबत विक्रय आगम पर; भले ही तत्संबंधित भुगतान को पूरा करने या निष्पादित करने की अवधि वास्तव में आ चुकी हो अथवा नहीं और साथ ही यह भी कि बैंक द्वारा अपने धारणाधिकार के ऊपर किसी शेयर पर किसी साम्य हित को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

लेकिन साथ ही यह भी कि निदेशक बोर्ड किसी भी समय किसी भी शेयर को इस खंड के प्रावधानों से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकता है।

(ii) किसी शेयर के संबंध में बैंक का धारणाधिकार, यदि कोई हो, उस पर दिए गए समस्त लाभांश तक विस्तृत होगा।

42. शेयरों की बिक्री द्वारा धारणाधिकार का प्रवर्तन :

(i) बैंक ऐसे तरीके से जो कि बोर्ड उपयुक्त समझे, कपनी के धारणाधिकारयुक्त किसी शेयर को बिक्री कर सकेगा ।

(क) यदि वह राशि जिसकी बाबत धारणाधिकार मौजूद है, सम्प्रति देय है और

(ख) शेयर के वर्तमान पंजीकृत धारक या उसकी मृत्यु अथवा दिवालियेपन के फलस्वरूप पात्र हुए व्यक्ति को उस भुगतान अथवा उसके किसी अंश जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है, की मांग करते हुए लिखित नोटिस दिये जाने के 14 दिन पश्चात्,

(ii) इस प्रकार के किसी विक्रय को प्रभावी करने के लिए बैंक शेयरों के क्रेता को उसके अन्तरण की बाबत किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है ।

43. शेयरों के विक्रय आगम का उपयोग (एप्लीकेशन) :

विनियम 42 के तहत शेयरों के बिक्री के सकल आगम को उक्त बिक्री संबंधी लागत काटकर उस ऋण या देयता की तुष्टि के लिए उपयोजित किया जायेगा जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है तथा जहां तक देय है और यदि कोई शेष है तो उसे ऐसे शेयरधारकों या व्यक्ति को जो कि इस प्रकार बिक्रीत शेयरों के पारेषण के उपरांत हकदार है, अदा किया जाएगा ।

44. समपहरण का प्रमाण पत्र :

किसी निदेशक या इलाहाबाद बैंक द्वारा इस बारे में प्राधिकृत किये गये अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी इस आशय का लिखित प्रमाण पत्र कि शेयर की बाबत मांग की तथा शेयर के समपहरण को तदहेतु बोर्ड द्वारा लिये गये संकल्प के अनुसार प्रभाव में लाया गया था, उसमें लिखित इस आशय का उक्त शेयर के पात्र सभी व्यक्तियों के प्रति अंतिम साक्ष्य होगा ।

45. समपहरित शेयर के आबंटी और क्रेता का हक :

किसी शेयर के विक्रय, पुनरावंटन या अन्यथा निपटान पर यदि कोई प्रतिफल दिया जाता है तो इलाहाबाद बैंक उसे प्राप्त कर सकता है और वह व्यक्ति जिसे शेयर बेचा, पुनराबंटित किया अथवा निष्पादित किया जाता है, शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा और वह प्रतिफल, यदि कोई हो, को देखने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही शेयर पर उसका हक किसी अनियमितता अथवा समपहरण विक्रय, पुनराबंटन या शेयर के निपटान संबंधी किसी कार्यवाही की अवैधता द्वारा प्रभावित होगा तथा विक्रय के कारण पीडित किसी व्यक्ति का समाधान मात्र क्षति तक एवं इलाहाबाद बैंक के प्रति ही होगा ।

46. शेयर धारकों को नोटिस या कागज की तामील :

(i) बैंक किसी शेयरधारक को नोटिस देने के लिए किसी सूचना-पत्र, कागज की तामील वैयक्तिक रूप से या साधारण डाक से उसके पंजीकृत पते पर या यदि भारतवर्ष में उसका कोई पंजीकृत पता नहीं है तो भारतवर्ष में उसके किसी भी पते पर, जो कि उसके द्वारा दिया गया है, कर सकता है ।

(ii) जब कोई नोटिस या कागज डाक द्वारा भेजा जाता है तो इस नोटिस या कागज की तामील सही पता लिखे जाने, पहले से ही डाक महसूल दिये गये होने तथा डाक में डाले जाने वाले पत्र जिसमें उक्त नोटिस या कागज रखा गया है, के रूप में की गई मानी जायेगी ।

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में शेयरधारक द्वारा पूर्वत : ही बैंक को यह सूचित कर दिया गया है तथा उसे इस आशय के लिए पर्याप्त राशि भी जमा करा दी गई है कि शेयरधारक को भेजे जाने वाले कागजात डाक प्रमाणित या पंजीकृत डाक के रूप में ही उसे भेजे जायें तो उक्त नोटिस या कागज की तामील केवल तभी प्रभावी मानी जायेगी जबकि उसे वे उपर्युक्त तरीके से ही भेजे गये हों तथा यह तामील संबंधित पत्र के डाक में दिए जाने के अड़तालीस (48) घण्टे बाद ही हुई मानी जा सकेगी और किसी अन्य मामले में उस समय उसे तामील हुआ माना जायेगा जबकि यह डाक की सामान्य प्रक्रिया के तहत उसको सुपुर्द किया गया हो ।

(iii) बैंक के प्रत्येक ऐसे शेयरधारक पर जिसका भारतवर्ष में कोई पंजीकृत पता नहीं है तथा जिसने नोटिस दिये जाने की बाबत बैंक को भारतवर्ष का कोई पता उपलब्ध नहीं कराया है पर किसी नोटिस या कागज को उसी दिन तामील हुआ माना जायेगा जिस दिन वह भारतवर्ष में विस्तृत तौर पर परिचालित किसी समाचार पत्र में विज्ञापित होता है ।

(iv) किसी शेयर के संयुक्त धारक होने की स्थिति में बैंक द्वारा उस व्यक्ति को नोटिस या कागज तामील किया जा सकता है जिसका नाम प्रथम स्थान पर उल्लिखित है तथा इस प्रकार दिया गया नोटिस उक्त शेयर के सभी धारकों के लिये पर्याप्त नोटिस माना जायेगा ।

(v) बैंक द्वारा कोई नोटिस या कागज किसी शेयरधारक की मृत्यु अथवा दिवालियेपन के परिणामस्वरूप उसके हकदार व्यक्तियों को एक पहले से ही डाक महसूल अदा किये गये उनके नाम संशोधित पत्र के जरिये भारतवर्ष के पते, यदि कोई हो तथा उक्त व्यक्तियों द्वारा तदहेतु पात्र होने का दावा प्रस्तुत करते हुए उपलब्ध कराया गया हो, पर अथवा ऐसे किसी तरीके से जिससे कि यह उस अवस्था में तामील किया जाता जबकि मृत्यु अथवा दिवालियापन घटित न हुआ होता, तामील किया जा सकेगा ।

(vi) इलाहाबाद बैंक द्वारा दिये जाने वाले किसी भी नोटिस पर हस्ताक्षर लिखित या मुद्रित रूप में हो सकते हैं ।

और वैयक्तिक रूप से या परोक्षी अथवा यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के जरिये बैठक में उपस्थित शेयरधारकों को ही कोरम मान लिया जायेगा।

59. साधारण बैठक का अध्यक्ष :

(i) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति मे कार्यपालक निदेशक अथवा उसकी भी उपस्थिति न होने की स्थिति में निदेशकों में से कोई एक जिसे अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत किया गया हो, बैठक का अध्यक्ष होगा और यदि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या कार्यपालक निदेशक अथवा उनकी ओर से इसके लिये प्राधिकृत कोई निदेशक उपस्थित न हो तो बैठक में उपस्थित किसी निदेशक को उसके द्वारा बैठक की अध्यक्षता के लिये चुना जा सकेगा।

(ii) सामान्य बैठक का अध्यक्ष ही उसकी प्रक्रिया का विनियमन करेगा तथा प्रमुख तौर पर उस क्रम/व्यवस्था को निश्चित करने की शक्ति उसी में निहित होगी कि शेयरधारक बैठक को किस प्रकार सम्बोधित करेंगे, वही भाषण की समय-सीमा निर्धारित करेगा तथा जब वह समझेगा कि किसी विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है उसे बन्द करा सकेगा तथा बैठक को स्थगित कर सकेगा।

60. साधारण बैठक के भाग लेने के हकदार व्यक्ति :—

(i) इलाहाबाद बैंक के सभी निदेशक तथा शेयरधारक उपविनियम (ii) के प्रावधानों के अध्यधीन साधारण बैठक में भाग लेने के हकदार होंगे।

(ii) बैठक में भाग लेने वाले किसी भी शेयर धारक (केन्द्रीय सरकार के अलावा) या निदेशक हेतु पहचान के उद्देश्य यार्थ एवं उसके मत देने सम्बन्धी अधिकार के निर्धारण के लिये यह अपेक्षित होगा कि वह अध्यक्ष द्वारा निर्धारित एवं निम्नांकित सूचनायुक्त फार्म को हस्ताक्षरित कर बैंक को सौंप दे—

(क) पूरा नाम एवं पंजीकृत पता

(ख) उसके शेयर की सुस्पष्ट संख्यायें

(ग) क्या वह वोट देने का हकदार है तथा उन वोटों की संख्या जिन्हें देने का उसे व्यक्तिगत, परोक्षी अथवा यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के बतौर हक है ।

61. साधारण बैठकों में मतदान

(i) किसी साधारण बैठक में उसकी वोट के लिये रखे गये संकल्प पर मतदान जब तक कि पोलिंग की मांग न की जाए, हाथ उठाकर ही होगा।

(ii) अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय बैठक में प्रस्तुत किये गये प्रत्येक मामले को बहुमत आधार पर निर्णीत किया जायेगा।

(iii) जब तक कि उप विनियम (i) के तहत मतदान की मांग नहीं की गई हो, बैठक के अध्यक्ष की इस आशय से संसूचित घोषणा कि संकल्प को हाथ उठाकर सर्वसम्मति से अथवा बहुत से बैठक में स्वीकार कर लिया गया है तथा कार्यवाही सम्बन्धी कार्यवृत्त पंजी में तत्सम्बन्धित प्राविष्टि ही इस तथ्य का अन्तिम साक्ष्य होगी तथा इससे कोई सरोकार नहीं होगा कि उक्त संकल्प के पक्ष या विपक्ष मतों का क्या अनुपात रहा ।

(iv) किसी संकल्प पर हाथ उठाकर हुए मतदान के परिणाम की घोषणा पर या उसके पूर्व बैठक के अध्यक्ष द्वारा स्वयं की ओर से पोलिंग का आदेश दिया जा सकेगा लेकिन यदि कोई एक या अधिक शेयरधारक वैयक्तिक तौर पर अथवा परोक्षी के रूप में वहां उपस्थित है जिनके पास इलाहाबाद बैंक के इतने शेयर है कि उसे कुल मतों के पांचवें भाग के बराबर मत देने का अधिकार प्राप्त है, संकल्प की बाबत पोलिंग की मांग करता है तो अध्यक्ष को तद हेतु आदेश देना होगा।

(v) पोलिंग की मांग करने वाले व्यक्ति या व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अपनी पोलिंग सम्बन्धी मांग को कभी भी वापस लिया जा सकता है।

(vi) स्थगन या बैठक के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर की गई पोलिंग की मांग को तुरन्त स्वीकार किया जायेगा।

(vii) अन्य किसी सवाल पर की गई पोलिंग की मांग को उसके किये जाने के पश्चात अड़तालीस घण्टों के अन्दर जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाये, लिया जायेगा।

(viii) किसी व्यक्ति की वोट देने सम्बन्धी योग्यता और पोलिंग के मामले में किसी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त की जा सकने वाली वोटों की संख्या के बारे में बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा ।

62. साधारण बैठकों के कार्यवृत्त:—

(i) इलाहाबाद बैंक समस्त कार्यवाही के कार्यवृत्त तद हेतु रखी गई जिल्दों में रखेगा।

(ii) ऐसे सभी कार्यवृत्त जिनका यदि उसी बैठक के अध्यक्ष जिसकी कार्यवाही से वे सम्बद्ध हैं अथवा अनुवर्ती बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होना अभिप्रेत है, कार्यवाही का साक्ष्य माने जायेंगे।

(iii) जब तक कि तत्प्रतिकूल कुछ साबित नहीं हो जाता प्रत्येक साधारण बैठक को जिसकी बाबत इस प्रकार कार्यवृत्त तैयार हुए हैं, यथाविधि बुलाया गया तथा

हुआ माना जायेगा तथा रिकार्डबद्ध कार्यवाही को नियमानुसार सम्पूर्ण हुआ माना जायेगा ।

अध्याय-V

निदेशकों का चुनाव

63. निदेशकों का साधारण बैठक में चुना जाना –

(i) अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत किसी निदेशक का चुनाव इलाहाबाद बैंक की साधारण बैठक के अंतर्गत केन्द्र सरकार को छोड़कर रजिस्टर में दर्ज शेयर-धारकों द्वारा खुद उन्हीं में से किया जाएगा ।

(ii) जब किसी निदेशक का चुनाव किया जाना होगा तो इस आशय का नोटिस बैठक के बुलाये जाने संबंधी नोटिस में ही शामिल कर दिया जायेगा । इस प्रकार के नोटिस मे चुनाव होने वाले निदेशकों की संख्या तथा तत्संबंधित रिक्तियों का स्पष्ट विवरण उल्लिखित रहेगा ।

64. शेयरधारकों की सूची :–

(i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के तहत निदेशक के चुनाव के उद्देश्यार्थ उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जायेगी जो रजिस्टर मे दर्ज है तथा जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाना है ।

(ii) इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनका पंजीकृत पता, उनके शेयरों की कुल संख्या तथा क्रमांक एवं उनके पंजीकरण की तिथि तथा उन वोटों की संख्या जिन्हें डालने का उन्हे चुनाव की तिथि वाली बैठक में डालने का हक होगा, शामिल रहेंगे और इस सूची की प्रतिया बैठक की निर्धारित तिथि से कम से कम प्रधान कार्यालय में आवेदन पर तीन सप्ताह पूर्व तथा ऐसे मूल्य पर खरीद के लिए उपलब्ध रहेंगी जो बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो ।

65. चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन:–

(i) निदेशक के लिए चुनाव की बाबत किसी प्रत्याशी का कोई नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि–

(क) वह इलाहाबाद बैंक के कम से कम 100 शेयरों का धारक न हो ।

(ख) अधिनियम अथवा स्कीम के तहत वह नामांकन प्राप्ति के अन्तिम दिवस को निदेशक होने के अयोग्य न हो ।

(ग) उसने बैंक के अपने शेयरों की बाबत जो कि उसके पास एकल रूप से या अन्यों के साथ संयुक्त तौर पर हो सकते हैं, की गई समस्त मांगों का भुगतान तदहेतु निर्धारित अंतिम तिथि को या उससे पूर्व न कर दिया हो ।

(घ) वह लिखित रूप में तथा अधिनियम के तहत चुनाव करने के हकदार कम से कम सौ शेयरधारकों या उनके यथाविधि नियत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो परन्तु यह भी कि ऐसे शेयरधारक का नामांकन जो कि एक कंपनी है उस कंपनी के निदेशकों द्वारा पारित संकल्प के द्वारा ही किया जा सकेगा और जहां ऐसा होता है तो संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जिसमें उसे पारित किया गया था, इलाहाबाद बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जायेगी तथा इस प्रतिलिपि को ही उक्त कंपनी की ओर से नामांकन समझा जायेगा ।

(ङ) नामांकन में प्रत्याशी द्वारा किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किया गया लिखित घोषणा-पत्र भी निहित अथवा संलग्न नहीं होगा जिसमें स्पष्टत: उल्लिखित हो कि वह चुनाव में खड़ा होने का इच्छुक है तथा यह कि वह अधिनियम या योजना अथवा इन विनियमों के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नही है ।

(ii) कोई भी नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि यह सभी प्रकार से पूर्ण समस्त कागजात सहित तथा बैठक की नियत तिथि से कम से कम चौदह दिन पूर्व किसी कार्य दिवस को इलाहाबाद बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त न हो गया हो ।

66. नामांकनों की जांच :–

(i) नामांकनों की जांच उनकी प्राप्ति के लिए नियत तिथि के ठीक अगले दिन को जायेगी तथा यदि किसी नामांकन को वैध नहीं पाया जाता है तो उसे संबंधित कारण दर्ज करते हुए अस्वीकार कर दिया जाएगा । यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली किसी रिक्ति विशेष के लिए एक मात्र वैध नामांकन पाया जाता है तो इस प्रकार नामांकित प्रत्याशी को परन्तु निर्वाचित मान लिया जायेगा तथा उसका नाम एवं पता इस प्रकार निर्वाचित होने के बतौर प्रकाशित किया जायेगा । ऐसी स्थिति में तद्हेतु बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नही होगा तथा यदि बैठक मात्र इसी उद्देश्यार्थ बुलाई गई तो यह निरस्त समझी जायेगी ।

(ii) निर्वाचित होने वाले निदेशकों की संख्या से वैध नामांकनों के अधिक होने की स्थिति में चुनाव होने पर अधिकांश वोट प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निर्वाचित समझा जायेगा ।

(iii) मौजूदा रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित किसी निदेशक को उसके निर्वाचित होने या समझे जाने की तिथि के अगले दिन से ही पदधारी मान लिया जायेगा ।

67. निर्वाचन विवाद–(i) यदि निर्वाचित हुए अथवा समझे गए किसी व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता अथवा निदेशक के निर्वाचन की वैधता के बारे में कोई विवाद होता है तो इच्छुक व्यक्ति, जो कि उक्त निर्वाचन में कोई प्रत्याशी हो या शेयरधारक हो, उस निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि के सात दिनों के अंदर इस आशय की सूचना इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित रूप में दे सकता है तथा इस सूचना में उसे उन समस्त कारणों का विवरण देना होगा जिनके आधार पर वह निर्वाचन की वैधता को लेकर संदेह या विवाद कर रहा है ।

(ii) उप-विनियम (i) के तहत किसी सूचना के प्राप्त होने पर इलाहाबाद बैंक का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक इस संदेह या विवाद को परन्तु एक समिति को निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा जिसमें अध्यक्ष एवं

प्रबंध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक तथा निदेशकों में से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा3 के खंड(ख) एवं (ग) के तहत नामित कोई दो निदेशक होंगे ।

(iii) उपर्युक्त उप-विनियम (ii)में संदर्भित समिति स्वय के द्वारा उचित समझी गई जांच करेगी तथा यदि उसके द्वारा पाया जाता है कि चुनाव वैध था तो वह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि कर देगी और यदि पाया जाता है कि चुनाव वैध नही था तो जांच के प्रारंभ होने के तीस दिन के अन्दर आदेश देते हुए निर्देशित करेगी जिसमें परिस्थिति अनुरूप नये चुनाव का आयोजन शामिल होगा ।

(iv) इस नियम के अनुसरण में उक्त समिति का आदेश एवं निर्देश निश्चायक होगा ।

अध्याय--VI

शेयरधारकों के मताधिकार

68. मताधिकारों का अवधारण :—

(i) अधिनियम की धारा 3(2-ङ) मे निहित प्रावधानो के अध्यधीन प्रत्येक शेयरधारक को जिसे साधारण बैठक की तिथि के पूर्व रजिस्टर के बंद होने की तिथि को उक्त रूप में पंजीकृत किया गया है, इस बैठक में हाथ उठाने की बाबत एक वोट तथा पोलिंग की स्थिति में उसके पास मौजूद शेयरों की संख्या के बराबर वोट का अधिकार होगा।

(ii) अधिनियम की धारा 3 (2-ङ) में निहित प्रावधानों के अध्यधीन वोट देने का हकदार प्रत्येक शेयरधारक जैसा कि ऊपर कहा गया है कम्पनी न होते हुए यदि वैयक्तिक रूप से या परोक्षी द्वारा उपस्थित है अथवा कंपनी होते हुए किसी नियमानुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के जरिये उपस्थित है तो हाथ उठाये जाने की स्थिति में एक वोट तथा पोलिंग की स्थिति में उसके पास मौजूद समस्त शेयरों की संख्या के बराबर वोटो का अधिकार रखेगा जैसा कि उपर्युक्त उप-विनियम (i) में भी उल्लिखित है।

टिप्पणी : इस अध्याय के लिए "कंपनी" का अर्थ है कोई कारपोरेट ।

(iii) बैंक के शेयरधारक जो साधारण बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के हकदार हैं, अन्य व्यक्ति (भले ही वह शेयरधारक हो या नहीं) को अपने परोक्षी के बतौर नियुक्त करने तथा अपने बदले वोट देने के लिए नियुक्त कर सकते हैं लेकिन इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई परोक्षी बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं रख सकेगा ।

69. यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान :—

(i) शेयरधारक यदि केन्द्रीय सरकार या कम्पनी है तो वह संकल्प द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, अपने किन्ही अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति को किसी शेयरधारकों की साधारण बैठक में बतौर अपने प्रतिनिधि के प्राधिकृत कर सकती है तथा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया कोई भी व्यक्ति (इन विनियमों में यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उल्लिखित) केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी की ओर से उन शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा जिनकी बाबत उसे प्राधिकृत किया गया है तथा जैसे कि वह इलाहाबाद बैंक का एक शेयरधारक हो। इस प्रकार दी गई प्राधिकृति विकल्पत: दो व्यक्तियों के पक्ष में भी हो सकती है तथा ऐसे मामले में उन व्यक्तियों में से कोई एक ही केन्द्रीय सरकार/कम्पनी के यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा ।

(ii) इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की किसी बैठक में कोई व्यक्ति बतौर प्राधिकृत प्रतिनिधि तब तक भाग नहीं ले सकेगा या वोट डाल सकेगा जब तक कि उस बैठक के इस संकल्प को उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि की उक्त व्यक्ति को यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, इलाहाबाद बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तिथि से कम से कम चार दिन पहले जमा न कर दी गई हो ।

70. परोक्षी :—

(i) कोई भी परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि एक शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या यथाविधि लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा अथवा संयुक्त धारकों के मामले में संबंधित रजिस्टर में प्रथम स्थान पर नामोल्लिखित व्यक्ति या सम्यक रूप से लिखित रूप मे प्राधिकृत उनके अटर्नी द्वारा या किसी निगमित निकाय के मामले में सम्यक रूप में प्राधिकृत उसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो ।

परन्तु यदि किसी कारणवश कोई शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है तो परोक्षी लिखत पर लगाया गया उसका निशान जो कि किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार या राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो, शेयरधारक द्वारा पर्याप्त तौर पर हस्ताक्षरित माना जायेगा ।

(ii) कोई भी परोक्षी लिखत तब वैध नहीं होगी जब तक यह सम्यक् रूप से स्टांपयुक्त न हो तथा इसकी एक प्रति यदि वह इलाहाबाद बैंक के पास पहले से ही जमा एवं पंजीकृत नही है तो बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व मुख्तारनामे अथवा अन्य अटर्नी (यदि कोई हो) सहित जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित किया गया है या उस मुख्तारनामे अथवा अन्य अटर्नी को नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि इलाहाबाद बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न करा दी गई हो ।

(iii) कोई भी परोक्षी लिखत फार्म "ख" में होने पर वैध नही होगी ।

(iv) इलाहाबाद बैंक के पास जमा की गई परोक्षी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी ।

(v) विकल्पत: दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में अनुदत्त परोक्षी के मामले में एक अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जायेगा ।

(vi) इस विनियम के तहत परोक्षी लिखत का अनुदाता उस बैठक में वैयक्तिक तौर पर वोट देने का हकदार नहीं होगा जिससे यह लिखत संबंधित है ।

(vii) ऐसे किसी व्यक्ति को जो कि इलाहाबाद बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, सम्यक् प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी नियुक्त नहीं किया जा सकेगा ।

इलाहाबाद बैंक

फार्म "क"

शेयर अंतरण फार्म

(विनियम 17 का उप-विनियम (i) देखें)

निम्नांकित प्रतिफल के निमित्त अधोलिखित अन्तरणकर्ता निम्नांकित शेयर यहां उल्लिखित अन्तरिती (अन्तरितियों) को उन शर्तों के अध्यधीन जिनके तहत वे अन्तरणकर्ता(ओं) के पास मौजूद है अन्तरित करता/करते हैं तथा अन्तरिती उन शेयरों को उपर्युक्त शर्तों के अध्यधीन स्वीकार करने के लिए सहमति व्यक्त करता/करते हैं ।

कम्पनी का पूरा नाम

मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज का नाम तथा व्यवहृत शेयर यदि कोई हो

साधारण शेयरों का विवरण

संख्या अंकों में	संख्या शब्दों में	प्रतिफल (अंकों में)	प्रतिफल (शब्दों में)
सुभिन्न संख्याएं	से तक		

सम्बद्ध प्रमाणपत्र संख्या पंजी० फोलियो

अन्तरणकर्ता (ओं) विक्रेता (ओं) का विवरण पूरा नाम	संख्या	हस्ताक्षर
	1.	1. .....
	2.	2. .....
	3.	3. .....
	4.	4. .....

अनुप्रमाणन

मैं एतद्द्वारा यहां उल्लिखित अंतरणकर्त्ता(ओं) के हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करता हूं ।

साक्षी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम

पता/मोहर

साक्षी का नाम एवं पता

....

.....

.....पिन.....

अन्तरिती (अन्तरितिओं) का/कि पूरा नाम	क्रेताओं का विवरण	हस्ताक्षर
	1.	1. .....
	2.	2. .....
	3.	3. .....

व्यवसाय	पता	पिता/पति का नाम
1.		
2.		
3.		

अन्तरिती (अन्तरितियों) का मौजूदा फोलियो, यदि कोई हो,
नामों के उसी क्रम में .....

लगाये गये स्टांपों का कुल मूल्य
रु० .....

दिनांक : .....

.....स्थान.....

केवल कार्यालय द्वारा प्रयोग के लिए
जांच की गई.....

/फोलियो	/कंपनी कोड
अन्तरिती (अंतरितियों) के नमूना हस्ताक्षर	1. ..... 2. ..... 3. .....

हस्ताक्षरों का मिलान किया गया

अंतरण संख्या : .....

अनुमोदन तिथि : .....

के पंजीयन के बतौर दर्ज किया गया ।

अधिप्रमाणन हेतु अनुदेश

यथोचित अधिप्रमाणन (अंगूठा निशानी, चिह्न, हस्ताक्षर भिन्नता इत्यादि) किसी मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक या विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट या लोक पदधारक किसी समान प्राधिकारी जो अपनी कार्यालय मोहर प्रयुक्त करने के लिए प्राधिकृत हो अथवा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के किसी सदस्य जिसके जरिये शेयर पुनःस्थापित किये गये हैं अथवा अन्तरणकर्ता के बैंक प्रबंधक द्वारा किया जाना चाहिए

नोट : बेहतर होगा कि नामों को एक सीधी रेखा में रख कर रबड मोहर लगाई जाये । कालानुक्रम रखा जाना चाहिए । क्लीयरिंग सदस्य बैंक द्वारा पद सुपुर्दगी की जाती है तो बैंकर की क्लियरिंग संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

सुपुर्दगी देने वाले ब्रोकर या क्लियरिंग सदस्य का नाम	तिथि	मुख्तारनामा/प्रोबेट/मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रशासन-पत्र

कंपनी के पास पंजीकृत
संख्या दिनांक

(हस्ताक्षर) आद्यक्षर नहीं (ब्रोकर, बैंक, कंपनी या स्टॉक एक्सचेंज क्लीयरिंग हाऊस)

दाखिलकर्त्ता.....
पूरा पता.....
.....
.....

शेयर सर्टिफिकेट जिसे वापस किया जाना है (उनका नाम एवं पता भरें जिन्हें सर्टिफिकेट वापस किये जाने हैं)

नाम एवं पता .....
.....
.....,

(शेयर अन्तरण मोहर)

इलाहाबाद बैंक

फार्म "ख"

परोक्षी का फार्म

(विनियम 70 का उप-विनियम) (iii) देखें)

फोलियो सं० ....

(शेयरधारक द्वारा भरा जाये)

मैं/हम.................................निवासी...

जिला..................................राज्य...इलाहाबाद.....

बैंक के शेयरधारक/शेयर धारकों के बतौर एतदद्वारा श्री..

..................................निवासी..........................जिला..............................राज्य...................

को एतदद्वारा अपने/हमारे परोक्षी के बतौर अपनी/हमारी ओर से वोट देने के लिए इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों को दिनांक..... को होने वाली बैठक या उसके स्थगन के लिए नियुक्त करता हूं/करते हैं।

आज दिनांक.....................को हस्ताक्षरित किया गया।

नाम : ....

रसीदी टिकट लगाये

पता : ....

....

....

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

चेन्नई-600 034, दिनांक 28 फरवरी, 2000

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० एससीए(8)/(3)/1999-2000/--चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10(1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए गए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
01.	005960	श्री वेंकटा रामू एच० एम० मैसर्स एच० एस० वी० रामू एण्ड कं०, गिरीजा, 524/एच 8 क्रोस, 7 ब्लाक वेस्ट, जयानगर, बंगलौर-560082।	25-10-99
02.	014542	श्री पार्थासारथी एम०, 2 सधुल्ला स्ट्रीट टी नगर, चेन्नई-600017।	30-09-99
03.	019459	श्री राजेन्द्रन आर० कन्सटेंटस् कुवेत इन्वेस्टमैंट अथारिटी, पी० ओ० बाक्स 64, साफथ कुवेत।	15-11-99
04.	020541	श्री लेसली डी० मोन्ट ए०, न० 151, 11 स्ट्रीट, सक्रेटरीएट कालोनी, किलपोक, चेन्नई-600010।	21-12-99
05.	027925	श्री विजय कुमार अग्रवाल, रामाचेन्द्रा निलाया, 132/23 3 क्रोस, 15 मैन रोड़, एच० एम० टी० लेआउट मथीकेरे, बंगलौर-560054।	01-12-99

1	2	3	4
06.	028405	श्री आनन्दनारायण एस०, 60 फ्लैट 302 आर० बी० अपार्टमेंट्स, 15 क्रोस 10 मैन मालेश्वरम, बंगलौर-560055।	22-02-99
07.	028958	श्री अशोक ए०, 12 डा० नायर रोड, टी० नगर, चेन्नई-600017।	11-10-99
08.	029048	मिस उषा नारायन, 15 केसनर फार्म ड्राईव 276, नासुआ एन० एच० 03063, यू० एस० ए०।	05-11-99
09.	201400	श्री वकेटा सुब्रामन्या, दारा प्रसाद बी० एच०, 23-13-20 तंदनकीवाडी स्ट्रीट, सत्यनारायणापुरम, विजयवाडा-520011।	03-09-99
10.	204740	मिस भानूमती एस०, केयर आफ के० श्रीधरन, एचजेएम कनसलटींग आईएनसी, 11 पेन प्लाजा, न्यूयार्क-10001, यू० एस० ए०।	07-09-99
11.	204951	श्री कन्नन ए०, बी-1 नारायणी अपार्टमेंटस, रमेश नगर एक्सटेंसन, एम० बी० कालोनी, वालमरवक्कम, चेन्नई-600087।	06-10-99
12.	205951	श्री रवि बातुला, 32-9-6, अपोजिट कूरेट मैस, मोघलराजा पुरम, विजयवाडा-520010।	11-12-99
13.	206050	श्रीलक्ष्मीनरासिम्हन पी०, इन्टरनल आडिट डिपार्टमेंट, ऐटा एसकोन ग्रुप, पोस्ट बाक्स 5239, दुबई, यू० ए० ई०।	01-06-99
14.	206260	श्री जयन के० डी०, स्टाफ एकाउन्टेन्ट, ह्वीनी मरे एण्ड क०, पोस्ट बाक्स 1994, जेद्दाह-21441, के० एस० ए०।	01-11-99
15.	207535	मिस कीर्थना के० एस०, वेंकटाद्री न० 565, 4 क्रोस 7 मैन, एचएमटी लेआउट, गंगानगर, बंगलौर-560032।	23-07-99
16.	208684	श्री कोचपन ए० के०, चीफ एकाउन्टेन्ट, जेनन फाइबर ग्लास, पी० ओ० बाक्स नं० 29055, मानामा, बहरेन।	15-11-99

अशोक हलिदया
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च, 2000

सं० यू०-16/53 पी० टी० एम० आर० कर्नाटक/99-वि० 2-कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डा० अम्पन्ना को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर कार्यग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को कर्नाटक क्षेत्र में टुमकुर जिले के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

(डा०) (श्रीमती) एस० सिंह
चिकित्सा आयुक्त

वास्तुकला परिषद्

31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट

वास्तुकला परिषद् की स्थापना भारतीय गणराज्य के तेईसवे वर्ष में संसद् द्वारा अधिनियमित वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 की सं० 20) की धारा 3 के अधीन की गई थी। अधिनियम में वास्तुविदों के पंजीकरण तथा उससे संबंधित मामलों की व्यवस्था की गई है। इसमें वास्तुकला शिक्षा तथा वास्तुकला व्यवसाय का नियमन भी शामिल है। यह अधिनियम पहली सितम्बर, 1972 से सम्पूर्ण भारत में लागू है। उक्त अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने वास्तुकला परिषद् नियम, 1973 तैयार किए। केन्द्रीय सरकार ने प्रथम परिषद् का गठन 31 दिसम्बर, 1973 को किया।

उक्त अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, परिषद् ने केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाए :—

1. वास्तुकला विनियम, 1982
2. वास्तुविद (व्यावसायिक आचरण) विनियम, 1989
3. वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1995 (केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है)।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, परिषद् ने व्यापक वास्तुकला सेवाओं और शहरी डिजाइन कार्य के लिए करार की शर्तें तथा पारिश्रमिक के मानक स्केल, वास्तुकला प्रतियोगिता मार्गदर्शी सिद्धांत, वास्तुकला शिक्षा के लक्ष्य और वास्तुकला विद्यालयों के संकाय-सदस्यों के लिए परामर्श प्रक्टिस के मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 की सं० 52) के बनाए जाने के बाद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और वास्तुकला परिषद् ने वर्ष 1992 में एक समझौता किया जिसका उद्देश्य देश में वास्तुकला के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपस में पूर्ण सहयोग से कार्य करना था। इस प्रयोजन के लिए अखिल भारतीय तकनीकी परिषद् ने एक अखिल भारतीय वास्तुकला शिक्षा बोर्ड का गठन किया है। वास्तुकला परिषद् के प्रेसीडेंट इसके अध्यक्ष हैं।

वास्तुकला परिषद्

	सदस्य
क. भारतीय वास्तुविद् संस्थान द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए गए मान्यता प्राप्त अर्हताएं रखने वाले पांच वास्तुविद्	: 1. श्री माधव जी० देवभक्त। : 2. श्री प्रेमेंद्र राज मेहता। : 3. श्री एम० एल० चिताले। : 4. श्री आर० एल० सुतारिया। : 5. श्री के० बी० महाराव।
ख. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नामित दो व्यक्ति	: 6. श्रीमती के० राजलक्ष्मी। : 7. नामन की प्रतीक्षा है।
ग. मान्यताप्राप्त अर्हताओं के लिए पूर्णकालिक शिक्षा प्रदान करने वाले भारत के वास्तुकला संस्थानों के अध्यक्षों में से निर्वाचित किए गए पांच व्यक्ति	: 8. प्रो० गुरुनाथ वी० डाल्वी। : 9. प्रो० एस० ए० टुंगारे। : 10. प्रो० पी० पी० अम्बरकर। : 11. प्रो० जितेंद्र सिंह। : 12. एक रिक्त।
घ. केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों में मुख्य वास्तुविद् तथा वास्तुकला-संगठनों के अध्यक्ष, पदेन	
रक्षा मंत्रालय	: 13. श्री बी० के० राजदान।
रेल मंत्रालय	: 14. नामन की प्रतीक्षा है।
केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग	: 15. श्री आई० डी० रस्तोगी।
ङ. केंद्रीय सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति	: 16. प्रो० डी० पी० अग्रवाल।

च. राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य से नामित एक वास्तुविद् ।

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र	: 17. श्री एस० पी० पाल । (17-6-1998 तक) : श्री बी० जयहरि : (18-6-1998 से)
आंध्र प्रदेश सरकार	18. श्री के० रघुनंदन ।
अरुणाचल प्रदेश की सरकार	: 19. श्री एस० सेनगुप्ता ।
असम सरकार	: 20. श्रीमती अनिता दत्ता ।
बिहार सरकार	: 21. श्री रामजी प्रसाद ।
चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	: 22. श्री एस० के० मिढा ।
दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	23 नामन की प्रतीक्षा है ।
दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	: 24. नामन की प्रतीक्षा है ।
दिल्ली सरकार	25. श्री ए० के० पाठक ।
गोवा सरकार	: 26. श्री एस० एन० पिस्सुरलेंकर । (30 मई 1998 तक) (नामन की प्रतीक्षा है)
गुजरात सरकार	27 श्री एस० ए० वर्मा ।
हरियाणा सरकार	28. श्री एम० सी० ठुकराल ।
हिमाचल प्रदेश सरकार	29. श्री बी० पी० मल्होत्रा ।
जम्मू और कश्मीर सरकार	30. श्री हेमंत कुमार मंगोत्रा ।
कर्नाटक सरकार	: 31. श्री एस० एन० किरण शंकर । (9-11-1998 तक) श्री के० उदय । (10-11-1998 से)
केरल सरकार	32. श्री जी० तंकप्पन ।
लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	: 33. प्रो० एम० बी० सक्सेना ।
मध्य प्रदेश सरकार	: 34. श्री डब्ल्यू० एस० तौले ।
महाराष्ट्र सरकार	35. श्री वी० आर० अत्रे ।
मणिपुर सरकार	: 36. नामन की प्रतीक्षा है ।
मेघालय सरकार	: 37. श्री जी० सी० आर० मरक ।
मिजोरम सरकार	: 38. श्री ए० के० घोष ।
नागालैंड सरकार	: 39. श्री एम० जंगो ।
उड़ीसा सरकार	: 40. श्री गोकुल दास ।
पांडिचेरी सरकार	: 41. श्री वाई० गोपालकृष्णन् ।
पंजाब सरकार	: 42 श्री पी० आर० नूथरा ।
राजस्थान सरकार	43. श्री ए० के० भार्गव ।
सिक्किम सरकार	44. श्री जे० बी० सुभा ।
तमिलनाडु सरकार	: 45 श्री एम० सनानम । (3-8-1998 तक) श्री वी० एस० गुप्तन । (4-8-1998 से)

	त्रिपुरा सरकार	: 46. तपन कुमार हारी ।
	उत्तर प्रदेश सरकार	: 47 श्री ए० पी० त्यागी ।
	पश्चिम बंगाल सरकार	: 48. श्री कल्याण दासगुप्ता ।
छ	इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा अपने सदस्यों में से नामित किए गए दो व्यक्ति	: 49 श्री जी० पी० लाल ।
		: 50. श्री एन० डी० पटेल ।
ज.	भारतीय सर्वेक्षक संस्था द्वारा अपने सदस्यो में से नामित किया गया एक व्यक्ति	: 51. श्री के० एम० खर्बे ।

वास्तुकला परिषद् के अधिकारी

श्री विनोद कुमार	:	रजिस्ट्रार-सचिव ।
श्री के० गोपाल कृष्ण भट	:	प्रशासनिक अधिकारी ।

पदाधिकारी

अध्यक्ष	:	श्री प्रेमेंद्र राज मेहता ।
उपाध्यक्ष	:	प्रो० गुरुनाथ वी० डाल्वी ।

कार्यकारिणी समिति

अध्यक्ष	:	श्री प्रेमेंद्र राज मेहता ।
उपाध्यक्ष	:	प्रो० गुरुनाथ वी० डाल्वी ।
सदस्य	:	प्रो० एस० ए० टुंगारे ।
	:	प्रो० बी० पी० मल्होत्रा ।
	:	श्रीमती के० राजलक्ष्मी ।
	:	श्री के० बी० मोहपात्र ।
	:	श्री ए० पी० त्यागी । (11-9-1998 से)

अनुशासनिक समिति

अध्यक्ष	:	श्री वी० के० राजदान ।
सदस्य	:	श्री एम० एल० चितले ।
	:	श्रीमती के० राजलक्ष्मी ।

सलाहकार समिति (अपील)

अध्यक्ष	:	प्रो० गुरुनाथ वी० डाल्वी ।
सदस्य	:	श्री जी० पी० लाल ।
	:	श्री के० एम० खर्बे ।

1. प्रस्तावना

वास्तुकला परिषद वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 13 (5) की आपेक्षाओं के अनुसार 31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट तथा परीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करती है ।

वास्तुकला परिषद् को वास्तुविदों का पंजीकरण करने के अलावा, अन्य कार्यों के साथ साथ ये महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, यथा-वास्तुकला शिक्षा तथा प्रैक्टिस को नियमित करना और उसका उत्थान करना वास्तुविद् अधिनियम के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए वास्तुकला परिषद् ने आलोच्य वर्ष के दौरान नई पहल शुरू की है यथा-सेवागत/प्रैक्टिस कर रहे वास्तुविदों के लिए अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रम (सी०ई०पी०) तथा वास्तुकला शिक्षकों के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यू०आई०पी०) शुरू करना ताकि वे उन सभी परिवर्तनों से अवगत हो सकें जो वर्तमान में हो रहे हैं । इसके परिणामस्वरूप, सेवागत वास्तुविदों के लिए दो अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रम तथा शिक्षकों के लिए वास्तुकला में एक गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम आयोजित किया गया । इसके अतिरिक्त, परिषद् ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए०आई०सी०टी०ई०) के अखिल भारतीय वास्तुकला शिक्षा बोर्ड के सहयोग से

"भारत में वास्तुकला शिक्षा की स्थिति तथा भविष्य" पर छह कार्यशालाएं भी आयोजित कीं । आलोच्य वर्ष के दौरान एक "रिट्रोस्पेक्टिव एग्जीहीविशन" आयोजित करने की एक और विशेष घटना घटित हुई जिसमें भारतीय वास्तुकला और योजना के 50 वर्षों की विशेषताएं दिखाई गई। इसके अतिरिक्त, निर्माण पर्यावरण तथा संबद्ध व्यावसायिक निकायों और योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली से संबंधित सरकारी संगठनों के सहयोग से "वास्तुकला तथा नगर योजना प्रैक्टिस और शिक्षा पर एक परिप्रेक्ष्य 2050" पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई ।

वर्ष के दौरान वास्तुकला परिषद् द्वारा किए गए सभी कार्यों का क्रमिक विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

2. सांविधिक बैठकें

(i) वास्तुकला परिषद्

वास्तुविद् अधिनियम की धारा 9 (1) के अधीन छह महीने में कम से कम एक बार परिषद् की बैठक अवश्य होगी जिसमें वह अपना कामकाज करेगी, जैसा कि विनियम यथा—वास्तुकला परिषद् विनियम, 1982 में विहित किया गया है । वर्ष के दौरान दिल्ली में 11-9-1998 को वास्तुकला परिषद् की एक बार बैठक हुई ।

बैठक में वास्तुकला परिषद् ने निम्नलिखित के संदर्भ में उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा की— वास्तुविदों का पंजीकरण वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम स्तरों से संबंधित विनियम निर्धारित करना, वास्तुविदों का व्यावसायिक आचरण, वास्तुकला परिषद् के नियम तथा वास्तुकला व्यवसाय तथा वास्तुकला शिक्षा के उन्नयन की उपलब्धियां ।

बैठक में परिषद् ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियो के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों का अनुमोदन किया और उन्हें केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ अग्रेषित किया ताकि उन्हें कार्यान्वित किया जा सके । इस बैठक में परिषद् ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया ताकि उसे केन्द्रीय कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु के समान किया जा सके । परिषद् ने 31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तथा परीक्षित लेखा-विवरण का भी अनुमोदन किया ।

उक्त बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुसार जनसाधारण/सरकारी एजेंसियों/वास्तुविदों से पंजीकृत वास्तु-विदों के विरुद्ध शिकायतों तथा उनसे संबद्ध अन्य मामलों के संबंध में कुल चार संकल्प पारित किए गए । इस बैठक के बाद "भारत में वास्तुकला शिक्षा तथा भविष्य" पर एक विचारावेश सत्र आयोजित किया गया ।

(i) कार्यकारिणी समिति

वास्तुविद् अधिनियम की धारा 10(5) के अधीन कार्यकारिणी समिति को उन शक्तियों का प्रयोग तथा उन कर्त्तव्यों का निर्वाह करना होगा जो विनियमों यथा—वास्तुकला परिषद् विनियम, 1982 द्वारा निर्धारित किए गए हैं । विनियम 21(1) के अनुसार कार्यकारिणी समिति परिषद् की कार्यकारी प्राधिकारी होगी और परिषद् के संकल्प तथा निर्णय को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी कार्यकारिणी समिति को उन शक्तियों का प्रयोग करना होगा जो विनियम 21(2) में निर्धारित की गई हैं ।

वर्ष के दौरान कार्यकारिणी समिति की दो बैठकें 10/11 सित० 1998 और मार्च, 1999 को हुईं । पहली बैठक में कार्यकारिणी समिति ने उस समझौता ज्ञापन का उल्लेख किया जो एक वास्तुविद् पुस्तिका तथा डाइ-रेक्टरी 1998 के प्रकाशन के लिए वास्तुकला परिषद् तथा मै० स्पेंटा मल्टीमीडिया लि०, मुंबई के साथ किया जा रहा था । कार्यकारिणी समिति ने अपने अध्यक्ष को इस कार्य के लिए भी प्राधिकृत किया कि वे कार्यकारिणी समिति द्वारा अंतिम रूप दिए गए विशेषज्ञ-पैनल के बाहर से निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं। कार्यकारिणी समिति ने परिषद् से यह सिफारिश करने का भी निर्णय लिया कि वह सुशांत स्कूल आफ आर्ट एंड आर्कीटेक्चर, हरियाणा और टी० वी० वो स्कूल आफ हैबीटेट, स्टडीज, नई दिल्ली का निरीक्षण करने के लिये एक तथ्य अन्वेषक समिति भेज सकती है जिसका उद्देश्य केन्द्रीय सरकार और/या 'अभातशिप' (ए० आई० सी० टी० ई) के अधीन संस्था स्थापित करने से सम्बन्धित शर्तों तथा ए० आई० सी० टी० ई० और वास्तुकला परिषद् के मानकों/मार्गदर्शी सिद्धांतों/विनियमों का पालन किये जाने से संबन्धित अनुपालन कार्य की समीक्षा करना हो। समिति ने यह भी उल्लेख किया कि मुम्बई, कलकत्ता, नागपुर, अहमदाबाद और दिल्ली में वास्तुकला शिक्षा पर अनेक कार्य-शालायें आयोजित की गई है। समिति ने वास्तुकला शिक्षा तथा विभिन्न ग्रुपों के गठन के सम्बन्ध में आयोजित की गई अनेक कार्यशालाओं की कार्यवाही तैयार करने के लिये एक कार्ययोजना तैयार की ताकि समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने से पहले वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर एक बृहत् दस्तावेज तैयार किया जा सके।

10 मार्च, 1999 को आयोजित एक दूसरी बैठक में कार्यकारिणी समिति ने यह नोट किया कि आलोच्य वर्ष के दौरान वास्तुकला परिषद् ने सेवारत वास्तुविदों के लिये अनु-वर्ती शिक्षा कार्यक्रम तथा शिक्षकों के लिये गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम शुरू किए गये हैं। समिति ने यह भी कहा कि पूर्व-स्नातक स्तर पर विशेषज्ञता की आवश्यकता है। अंदरूनी डिजाइन में विशेषज्ञता सहित वास्तुकला, शहरी डिजाइन, भू-दृश्य वास्तुकला तथा आवास में नए पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रमों पर विचार किया गया। कार्यकारिणी समिति ने वास्तुविद् के व्यावसायिक उत्तरदायित्वों पर विचार-विमर्श किया और किसी वकील से यह जांच करने के लिये कानूनी राय मांगी कि जिस वास्तुविद् ने बिल्डिंग का डिजाइन तैयार किया है और उसका पर्यवेक्षण किया है उसका कब्जा सौंपने के बाद

उसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी। कार्यकारिणी समिति ने सुशांत स्कूल आफ आर्ट एण्ड आर्कीटेक्चर, गुड़गांव (हरियाणा) और टी० वी० बी० स्कूल आफ हैबीटेट स्टडीज, नई दिल्ली के सम्बंध में नियुक्त की गई तथ्य अन्वेषक समिति की रिपोर्टों पर विचार किया और परिषद् के विचारार्थ सिफारिशें कीं। कार्यकारिणी समिति ने परिषद् में अनुसंधान एसोसियेट के पद पर श्री मनीष मांधर, अवर श्रेणी लिपिक के पद पर श्री मनोज शर्मा और अवर श्रेणी लिपिक के पद पर श्री मुरारी लाल भट्ट की नियुक्ति का अनुमोदन किया। वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 25 के उपबंधों की दृष्टि से समिति ने वास्तुकला परिषद् के रजिस्ट्रार को यह निदेश भी दिया कि वे केवल उन्ही व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र पंजीकरण का नवीकरण करें जो भारत में या तो निवास कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसका आधार आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रमाण या परिषद् में पहले से उपलब्ध रिकार्ड होना चाहिये। कार्यकारिणी समिति ने उपदान अदायगी अधिनियम, 1972 के अधीन निर्धारित की गई अधिकतम सीमा (वर्तमान अधिकतम सीमा रु० 3.50 लाख)—समय-समय पर निर्धारित वर्धित सीमा को निगमित करने के लिये भारतीय जीवनबीमा निगम में वास्तुकला परिषद् कर्मचारी समूह उपदान योजना में किए गए संशोधन के संदर्भ में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये उपदान की अधिकतम सीमा निर्धारित की और तदनुसार जैसी कि जीवन बीमा निगम ने सलाह दी थी, वास्तुकला परिषद तथा वास्तुकला परिषद कर्मचारी समूह उपदान योजना के न्यासियों के बीच एक फेरफार-विलेख निष्पादित किया जायेगा जिसे जीवन बीमा निगम को प्रस्तुत किया जायेगा।

कार्यकारिणी समिति ने परिषद से यह सिफारिश भी कि प्रकाशक की कीमत पर वास्तुकला परिषद की मासिक पत्रिका को प्रकाशित करने के लिए वास्तुकला परिषद और मैसर्स स्पेंटा मल्टीमीडिया के बीच हस्ताक्षरित किये जाने के लिए मौजूदा करार का अनुमोदन किया जाये।

विभिन्न मामलों यथा नियुक्तियों, वास्तुकला, व्यवसाय तथा वास्तुविद अधिनियम, 1972 से सम्बन्धित मामलों पर कुल 9 संकल्प पारित किये गये।

3. समितियों की रिपोर्ट

(परिषद द्वारा गठित)

(i) अनुशासनिक समिति

वास्तुकला परिषद नियमावली, 1973 के नियम 35(1) के अधीन परिषद द्वारा गठित की गई एक प्रशासनिक समिति वास्तुविदों के विरुद्ध की गई सभी शिकायतों और उनके कदाचार के सम्बन्ध में जांच करेगी।

आलोच्य वर्ष के दौरान परिषद् को वास्तुविदों के कथित व्यावसायिक कदाचार के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई। परिषद् ने शिकायतों को विषय-वस्तु तथा प्रतिवादियों द्वारा अपने बचाव में प्रस्तुत किए गए बयान की जाँच करने के बाद प्रशासनिक समिति की विस्तृत जाँच तथा सिफारिशों के लिए 17 मामले अग्रेषित किए।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुशासनिक समिति की दो बैठकें हुई—एक वास्तुकला परिषद् के कार्यालय में 21 मई, 1998 को और दूसरी 9 मार्च, 1999, को। इसने 7 मामलों की व्यक्तिगत सुनवाई की और परिषद् के विचारार्थ अपनी अंतिम रिपोर्ट दी। फिलहाल केवल एक मामला अनुशासनिक समिति में निलम्बित है।

(ii) सलाहकार समिति (अपील)

वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 10(1) के अधीन परिषद् सामान्य तथा विशेष प्रयोजनों के लिए ऐसी समितियों का गठन कर सकती है जिन्हें वह अधिनियम के अधीन अपना कार्य करने के लिए आवश्यक समझती हो। परिषद् ने उन आवेदकों अपील सुनने के लिए एक सलाहकार समिति (अपील) गठित की है जिनका कि एक वास्तुविद् के रूप मे पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र को रजिस्ट्रार द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है।

आठ व्यक्तियों ने अपने पंजीकरण के आवेदन अस्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप सलाहार समिति (अपील) के समक्ष अपील दायर की। समिति ने नई दिल्ली में 11 मार्च, 1999 को नई दिल्ली में अपीलों की सुनवाई की और परिषद् को अपनी सिफारिशें कीं।

4. वास्तुविदों का पंजीकरण

परिषद् वास्तुविद् अधिनियम की धारा 25 के अधीन वास्तुविद् के रुप में ऐसे व्यक्तियों का पंजीकरण करती है जो भारत में रहता हो और वास्तुविद् के रूप में काम करता हो और उसके पास वास्तुकला में संबंधित मान्यता प्राप्त अर्हता हो।

(i) नया पंजीकरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद् ने 1546 वास्तुविदों का पंजीकरण किया है। 31-3-99 तक वास्तुकला परिषद् में 24357 वास्तुविद् पंजीकृत किए गए हैं और जनके नाम वास्तुविद् रजिस्टर में दर्ज कर दिए गए हैं।

(ii) वास्तुविद् रजिस्टर से नाम हटाना

ज वास्तुविद् अधिनियम की धारा 29 (1) के अधीन परिषद् पंजीकृत वास्तुविद् के अनुरोध पर या पंजीकृत वास्तुविद् का निधन होने पर रजिस्टर से वास्तुविद् का नाम हटा देती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस धारा के उपबंधों के अधीन 6 वास्तुविदों के नाम हटाए गए।

(iii) वास्तुविद् रजिस्टर में नाम पुनः दर्ज करना।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद् ने 1371 वास्तुविदों के नाम उनके द्वारा अनुरोध करने तथा अपेक्षित फीस जमा करने पर वास्तुविद् रजिस्टर में पुनः दर्ज किए।

5. वास्तुकला शिक्षा

(i) वास्तुकला विद्यालयों का निरीक्षण

वास्तुविद् अधिनियम की धारा 21 की अपेक्षाओं के अनुसार परिषद् ने वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम स्तरों के संबंध में

विनियम निर्धारित किए हैं । भारत में वास्तुकला शिक्षा प्रदान करने वाली सस्थाओं को इन विनियमों का पालन करना होगा । वास्तुकला परिषद् विनियावली, 1982 के विनियम 29 (1) के अधीन परिषद् को प्रत्येक संस्था का निरीक्षण करना होगा ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद् ने वास्तुकला के 8 विद्यालयों/वास्तुकला विभागों का निरीक्षण किया । परिषद् की कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित निरीक्षकों की रिपोर्ट संबंधित संस्थाओं को अग्रेषित कर दी गई है ताकि वे निरीक्षकों द्वारा सुझाए गए सुधारों को कार्यान्वित कर सकें ।

(i) अखिल भारतीय वास्तुकला शिक्षा बोर्ड

भारत में वास्तुकला शिक्षा का हित बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए०आई०सी०टी०ई०) तथा वास्तुकला परिषद् के बीच हस्ताक्षर किए गए एक समझौता ज्ञापन का अनुसरण करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए आई सी टी ई) ने एक अखिल भारतीय वास्तुकला शिक्षा बोर्ड (ए आई बी ए ई) का गठन किया है । वास्तुकला परिषद् के चेयरमैन इस बोर्ड के अध्यक्ष है और वास्तुकला परिषद् के रजिस्ट्रार इसके सदस्य-सचिव है । अखिल भारतीय वास्तुकला शिक्षा बोर्ड वास्तुकला परिषद् के कार्यालय से अपना कार्य संचालित करता है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की दो बैठकें हुई । वर्ष 1998–99 के दौरान अखिल भारतीय वास्तुकला शिक्षा बोर्ड की गतिविधियां इस प्रकार हैं :—

(क) वास्तुकला कार्यक्रम में पार्श्विक प्रवेश

बोर्ड द्वारा गठित की गई उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर बोर्ड ने विचार किया । विस्तृत चर्चा के बाद बोर्ड ने निम्नलिखित मुद्दों पर उप-समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की :—

(i) अकादमिक उन्नति हेतु डिप्लोमाधारको के लिए अवसर पैदा किए जाने चाहिए । इसमें योग्यता के आधार पर बी० आर्की० के द्वितीय वर्ष में पार्श्विक प्रवेश भी शामिल है ।

(ii) डिप्लोमा-धारकों ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम के दौरान जो कुछ पहले ही सीख रखा है, उसे महत्व दिया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो बी० आर्की० पाठ्यक्रम के दौरान कमीपूरक पाठ्यक्रम संचालित किया जाना चाहिए ।

बहरहाल, उपयुक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए बोर्ड ने इच्छा व्यक्त की कि उप-समिति द्वारा आगे और अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि बोर्ड के विचारार्थ सिफारिशें की जा सकें ।

(ख) वास्तुकला विद्यालय स्थापित करने से संबंधित प्रस्तावों का मूल्यांकन

अखिल भारतीय वास्तुकला शिक्षा बोर्ड की सिफारिश पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने ए पी जे प्रौद्योगिकी संस्थान, नौएडा तथा इंटेग्रल प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ में वास्तुकला मे पूर्व-स्नातक कार्यक्रम शुरु करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया था । लेकिन ये संस्थाएं शैक्षिक सत्र 1998–99 के दौरान पाठ्यक्रम संचालित नहीं कर सकीं और उन्होंने और समय बढ़ाये जाने के लिए आवेदन किया जिसकी सिफारिश भी बोर्ड ने कर दी थी ।

बोर्ड ने आर ई सी, कालीकट से प्राप्त एक प्रस्ताव पर "अभातशिप" (ए आई सी टी ई) से यह सिफारिश की थी कि वर्तमान बी० टेक० (वास्तुकला इंजीनियरी कार्यक्रम) को 5 वर्षीय बी० आर्की० कार्यक्रम में बदल दिया जाए । बोर्ड ने अभातशिप" (ए आई सी टी ई) से यह सिफारिश भी की कि वह वार्षिक 40 छात्र दाखिला सहित शैक्षिक सत्र 1999-2000 से एम ई एस कालेज आफ इंजीनियरिंग, कुट्टीपुरम में पूर्व-स्नातक स्तर (बी० आर्की०) में वास्तुकला शिक्षा प्रदान करने का अनुमोदन प्रदान कर दें । बोर्ड ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से यह भी सिफारिश की कि वह योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, जे एन टी यू, हैदराबाद में वास्तुकला संरक्षण तथा अंदरूनी डिजाइन में एम० आर्की० पाठ्यक्रम शुरु करे ।

बोर्ड ने यह निर्णय भी लिया कि वास्तुकला के सहयोग से एक संयुक्त समिति गठित की जाए जिसका उद्देश्य यह सिद्ध करना हो कि देश में नए विद्यालय स्थापित करने और नए प्रस्तावों पर विचार करने हेतु उससे संबंधित नीति तैयार करने की आवश्यकता है । यह समिति इस संबंध में भी विचार कर सकती है कि वास्तुकला सहायक पाठ्यक्रम को 5 वर्षीय बी०आर्की० पाठ्यक्रम में बदलते हुए कुछ पालिटेकनिकों का उन्नयन किया जाए ।

(ग) तकनीशियन शिक्षा का सुधार

बोर्ड ने वास्तुकला में तकनीशियन शिक्षा का सुधार करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है ताकि डिप्लोमा धारकों को व्यवसाय में उपयुक्त नौकरी मिल सके और अंशकालिक पाठ्यक्रम पूरा करते हुए (जैसी कि कुछ संस्थाओं और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में पहले यह प्रथा चलिप्रत थी) अपने अकादमिक कैरियर को उन्नत करने के अवसर प्राप्त हो सकें ।

(घ) नई सस्थाओं के निष्पादन और साधनों की समीक्षा तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/वास्तुकला परिषद् के अनुमोदन का बढ़ाया जाना ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने 21 संस्थाओं का निरीक्षण किया । ए आई बी ए ई की सिफारिशों पर इन संस्थाओं के लिए अनुमोदन की अवधि और आगे बढ़ा दी गई ।

(iii) वास्तुकला सम्बंधी अर्हताओं की मान्यता

अधिनियम की धारा 14(2) तथा 15 के अधीन परिषद् को भारत तथा विदेश में प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त अर्हताओं को मान्यता प्रदान करने के लिये केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करनी पड़ती हैं । ताजिक टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, दुशानबे (ताजिकिस्तान, यू० एस० एस० आर० में प्रत्यारित विश्व-

विद्यालय) द्वारा प्रदत्त वास्तुकला में डिप्लोमा/मास्टर आफ साइंस को अधिनियम के संगत अर्हताओं की अनुसूची में जोड़ दिया गया है और उसे वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन वास्तुविद के रूप में रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिये मान्यताप्राप्त अर्हता माना जाएगा ।

(iv) वास्तुकला शिक्षा की स्थिति और भविष्य

वास्तुकला परिषद ने ए० आई० सी० टी० ई० के अखिल भारतीय वास्तुकला शिक्षा बोर्ड के सहयोग से भारत में वास्तुकला शिक्षा की स्थिति और भविष्य पर छह कार्यशालायें आयोजित कीं। अध्यक्ष ने उनमें से प्रत्येक कार्यशाला के उद्घाटन-सत्र में मुख्य भाषण दिया और मानव पर्यावास का सुधार करने में वास्तुकला शिक्षा की भूमिका का उल्लेख किया ।

परिषद के अनुरोध पर आई० आई० ए०/वास्तुकला विद्यालय की निम्नलिखित शाखाओं ने वास्तुकला शिक्षा की स्थिति और भविष्य पर कार्यशालायें आयोजित की हैं :—

कार्यशाला की तारीख	स्थान	मेजबान
24–10–1998	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल, शाखा, आई० आई० ए० और वास्तुकला विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।
6–11–1998	मुम्बई	आई० आई० ए० का ब्रिहन सेंटर और रिजवी कालेज आफ आर्कीटेक्चर मुम्बई
29–11–1998	नागपुर	आई० आई० ए० का नागपुर सेंटर तथा प्रियदर्शनी इंजीनियरिंग तथा वस्तुकला कालेज, नागपुर ।
5–12–1998	बंगलौर	आई० आई० ए० की कर्नाटक शाखा और आर०वी० इंजीनियरिंग कालेज, बंगलौर
18–12–1998 और 19–12–1998	अहमदाबाद	आई० आई० ए० की गुजरात शाखा सी० ई० पी० टी० अहमदाबाद
21–12–1998	दिल्ली	आई० आई० ए० की उत्तरी शाखा तथा योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली ।

इन कार्यशालाओं की सिफारिशों को संकलित किया जा रहा है और वास्तुकला परिषद के न्यूनतम मानकों पर एक दस्तावेज तैयार करने के लिये अध्ययन समूह गठित किये गये हैं।

(v) गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

परिषद् ने वर्ष के दौरान भारत में वास्तुकला विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों तथा वर्तमान संकाय सदस्यों के लिये दो गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम शुरू किये हैं । पहला कार्यक्रम योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली में 25 मई, और 6 जून 1998 के बीच आयोजित किया गया और दूसरा कार्यक्रम भारतीय वास्तुविद् संस्थान की कर्नाटक शाखा के सहयोग से आर० वी० इंजीनियरिंग कालेज, बंगलौर में 1 मार्च से 12 मार्च, 1999 के बीच आयोजित किया गया। 2 सप्ताह की अल्पकालिक पाठ्यक्रम की अनुक्रिया उत्साहवर्धक रही ।

वास्तुकला परिषद् की सिफारिश पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम की स्थायी समिति ने गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम केन्द्रों के रूप में एक नोडल केन्द्र (योजना और वास्तुकला विद्यालय) और दो उप-केन्द्रों (वास्तुकला और योजना विद्यालय, चैन्नई तथा योजना और वास्तुकला विद्यालय, हैदराबाद) की स्थापना की है ।

(vi) अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रम

परिषद् ने सेवारत वास्तुविदों के लिए एक अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है । 14 दिसम्बर, से 18 दिसम्बर 1998 के बीच योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली में एक सप्ताह का पाठ्यक्रम संचालित किया गया । इस कार्यक्रम की अनुक्रिया उत्साहवर्धक थी ।

(vii) अभिक्षमता परीक्षा

जैसाकि निदेशक, तकनीकी शिक्षा, दिल्ली सरकार ने प्राधिकृत किया है, परिषद् ने वास्तुकला में पांच वर्षीय कार्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश हेतु सम्मिलित वास्तुकला प्रवेश परीक्षा—1998 संचालित की : टी० वी० बी०, स्कूल आफ हैबीटेट स्टडीज, नई दिल्ली तथा वास्तुकला अकादमी, वास्तुकला तथा अंदरुनी डिजाइनिंग विद्यालय, नई दिल्ली । इसके अतिरिक्त, परिषद् ने वास्तुकला में पांच वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष मे दाखिला के लिए प्रवेश परीक्षा (अभिक्षमता परीक्षा) के संचालन में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से पंजाब, मणिपुर तथा तमिलनाडु सरकार की सहायता भी की ।

6. वास्तुकला प्रैक्टिस

(i) मध्यस्थों की नियुक्ति :

वास्तुविदों और उनके ग्राहकों (क्लाएंटों) के बीच ऐसे करार के आधार पर उत्पन्न हुए विवादो का निपटारा करने के लिए परिषद् से अनुरोध किया गया है जो परिषद् द्वारा निर्धारित की गई करार की शर्तों के खंड 10 के अनुसार निष्पादित किया गया था । तदनुसार, परिषद् की कार्यकारिणी समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल के अनुसार, वास्तुकला परिषद् के अध्यक्ष ने, जैसा उन्हे प्राधिकृत किया गया है, वास्तुविदो तथा प्रयोक्ता एजेंसियों के अनुरोध पर 3 मामलों में परिषद् की सहायता करने के लिए एक-

मात्र मध्यस्थों के रूप में परिषद् के पदेन्य सर्वश्री के० एम० खर्बे और एम० वी० सक्सेना की नियुक्ति कर दी है ।

(ii) सेवा-कर

भारतीय वास्तुविद् संस्थान, मुम्बई ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से माननीय न्यायालय, मद्रास, चेन्नई में एक रिट याचिका दायर की है जिसमें न्यायालय से यह निवेदन किया गया है कि वह वास्तुविदों पर लगाए गए सेवा-कर को समाप्त कर दें । इस मामले में वास्तुकला परिषद् को भी एक प्रतिवादी बनाया गया है ।

(iii) वास्तुकला प्रतियोगिताएं

परिषद् ने अपने द्वारा विहित किए गए वास्तुकला प्रतियोगिता सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में अनेक प्रवर्तकों की परियोजनाओं के लिए डिजाइन प्रतियोगिताएं संचालित करने में उनकी सहायता की है । परिषद् ने अनुरोध किए जाने पर वे मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निविष्टियां उपलब्ध कराई जो प्रवर्तकों और प्रतियोगियों को उनके हित की रक्षा के लिए आवश्यक थीं ।

(iv) भारतीय वास्तुकला तथा योजना के 50 वर्ष

वास्तुकला परिषद्, योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली ने भारतीय वास्तुविद् संस्थान, इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) तथा नगर योजनाकार संस्थान (भारत) के सहयोग से एस० पी० ए०, नई दिल्ली में 12 मार्च से 27 मार्च, 1999 के बीच "भारतीय वास्तुकला तथा योजना के 50 वर्ष" पर एक प्रदर्शनी आयोजित की । विभिन्न प्ररूप-विद्याओं से सम्बन्धित 250 से भी अधिक परियोजनाएं प्रदर्शित की गईं । प्रदर्शनी का उद्घाटन 12 मार्च, 1999 को श्री पी० आर० दासगुप्ता, सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने किया ।

इसी के साथ, 13-14 मार्च, 1999 को वास्तुकला नगर योजना प्रैक्टिस तथा शिक्षा से सम्बन्धित परिप्रेक्ष्य 2050 पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया । इस संगोष्ठी का उद्घाटन श्री बंडारु दत्तात्रेय राज्यमंत्री, शहरी मामले तथा रोजगार, भारत सरकार, नई दिल्ली ने किया । इस संगोष्ठी के दौरान किए गए विभिन्न प्रदर्शनों पर एक सोवनीर का विमोचन इस अवसर पर किया गया।

7. वास्तुविद् अधिनियम, 1972 का प्रवर्तन

वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 37(1) के अधीन वास्तुविद् के नाम और पदवी (स्टाइल) का प्रयोग केवल वे व्यक्ति ही कर सकते हैं जो वास्तुविदों के रूप में पंजीकृत है या जो वास्तुविद् फर्म हैं । धारा 25 के अधीन एक वास्तुविद् के रूप में केवल व्यक्ति को न कि किसी फर्म को पंजीकृत किया जाता है । धारा 35(2) में यह व्यवस्था दी गई है कि 27-4-1976 से एक पंजीकृत वास्तुविद् को केंद्रीय तथा राज्य सरकारों आदि में वास्तुविद् के पद पर नियुक्ति के लिए पंजीकृत वास्तुविद् को तरजीह दी जाएगी ।

(i) वास्तुविद् के नाम और स्टाइल का दुरुपयोग

वर्ष के दौरान परिषद् को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई जिन्होंने वास्तुविद् के नाम और स्टाइल का दुरुपयोग किया था और जिनके पास मान्यताप्राप्त वास्तुकला संबंधी अर्हता नहीं थी तथा वे पंजीकृत वास्तुविद् भी नहीं थे । परिषद् ने ऐसे सभी व्यक्तियों को पत्र लिखे जिनमें ये निर्देश दिए गए : (i) वे वास्तुविद् के नाम और स्टाइल का प्रयोग करना तुरंत बंद कर दें ; (ii) वे वास्तुविद् का व्यवसाय न करें क्योंकि इस व्यवसाय के नाम का प्रयोग और उसका अनुसरण केवल पंजीकृत वास्तुविद् या वास्तुविद् फर्म कर सकती है; और अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध होगा । परिषद् ने एडवोकेट के माध्यम से एक इंजीनियर श्री उदयसेन गुप्ता को कारण बताओ नोटिस भेजा क्योंकि वे अधिनियम के अधीन वास्तुकला परिषद् में पंजीकृत वास्तुविद् न होते हुए भी कलकत्ता नगर निगम में सिटी वास्तुविद् के पद पर काम कर रहे थे । उनसे यह कहा गया कि वे यह बताएं कि अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए ।

परिषद् ने राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों तथा विकास प्राधिकारियों आदि को वास्तुविद् अधिनियम, 1972 तथा वास्तुविद् (व्यावसायिक आचरण) विनियम, 1989 के उपबंधों को लागू करने के लिए विशेषकर निम्नलिखित के सम्बन्ध में अनेक पत्र लिखें : (i) वास्तुविद् के नाम और स्टाइल का रक्षण किया जाए; (ii) स्थानीय निकायों द्वारा वास्तुकला परिषद् में पंजीकृत वास्तुविदों से अतिरिक्त पंजीकरण या फीस न मांगी जाए ; (iii) वास्तुविदों द्वारा अपना व्यवसाय करने से सम्बन्धित उनके विशेषाधिकार की रक्षा की जाए ; और (iv) ऐसे किसी भी व्यक्ति को वास्तुविद् लाइसेंस जारी नहीं किया जाए जो वास्तुकला परिषद् में वास्तुविद् के रूप में पंजीकृत न हो । इसके अतिरिक्त, वास्तुकला आरेखों की संवीक्षा किसी वास्तुविद् के प्रभारांतर्गत की जानी चाहिए क्योंकि किसी परियोजना की व्यावसायिक निविष्टि और सौंदर्यात्मक पहलुओं का मूल्यांकन केवल वास्तुविद् ही कर सकता है ।

लोक सेवा आयोग, सरकारी विभागों तथा उपक्रमों और स्थानीय प्राधिकारियों को सलाह दी गई कि वे केवल उन्हीं व्यक्तियों को भर्ती या पदोन्नति करें जो सहायक वास्तुविद्, उप-वास्तुविद् वास्तुविदों तथा पदानुक्रम में उच्च पदों के लिये वास्तुकला परिषद् में पंजीकृत वास्तुविद् हैं ।

(ii) वास्तुविद् (व्यावसायिक आचरण) विनियम, 1989 का प्रवर्तन

वास्तुकला परिषद में पंजीकृत सभी वास्तुविदों से अपेक्षा की जाती है कि वे वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा

45(2) (i) के अधीन बनाये गये उपर्युक्त विनियमों के नियम 2(1) (xii) के तहत निर्धारित की गई परिषद् की नियुक्ति सम्बन्धी शर्तों तथा प्रभार मानों का पालन करेंगे और उनको स्वीकार करेंगे। इस प्रयोजन के लिये परिषद् ने व्यापक वास्तुकला सेवाओं तथा करार की शर्तों के लिये पारिश्रमिक का मानक स्केल बना रखा है।

सरकारी विभागों/उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों समेत प्रयोक्ता उद्योगों ने यह पद्धति अपनाई है कि वे वास्तुकला सेवाएं/परामर्श उपलब्ध कराने के लिये निविदायें/बोलियां तथा बयाना जमा आदि आमंत्रित करके वास्तुविद्/वास्तुविदों की नियुक्ति करते हैं।

प्रैक्टिस करने वाले वास्तुविदों के अनुरोध पर परिषद् ने प्राधिकारियों को अनेक पत्र लिखे हैं जिनमें उनसे यह अनुरोध किया है कि वे वास्तुविदों से (i) टेंडर लागत अदा करने; और (ii) न्यूनतम फीस तथा जमा बयाना राशि से कम फीस उद्धृत करने का आग्रह न करें।

वास्तुविदों के व्यवसाय को ऐसे कार्यों के ठेके के समान नहीं समझना चाहिये जो व्यावसायिक सेवायें/परामर्श उपलब्ध कराने के लिये उनको नियुक्त करने के लिये किया जाता है। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक सेवायें/सलाह उपलब्ध कराने के लिये नियुक्ति के वास्ते पेशेवर डाक्टरों, एडवोकेटों तथा सनदी लेखाकारों से टेंडर/वित्तीय बोलियां आमंत्रित नहीं की जाती हैं।

चूंकि वास्तुविदों को अपने साथी वास्तुविदों की न्यूनतम प्रतिस्पर्धा फीस से कम फीस उद्धृत करने की अनुमति नहीं है अतः परिषद् ने प्रयोक्ता उद्योगों से कहा है कि वे वास्तुकला सेवायें/परामर्श उपलब्ध कराने के लिए उतनी फीस पर वास्तुविदों की नियुक्ति करें जो परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम फीस से कम न हो और नियुक्ति की शर्तों के अनुसार हों।

8. प्रकाशन

(i) सी ए न्यूज

परिषद् ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक सी ए न्यूज लेटर प्रकाशित किया। यह न्यूजलेटर सभी व्यावसायिक निकायों, तकनीकी शिक्षा के निदेशकों, वास्तुकला में पंजीकृत वास्तुविदों तथा अन्य लोगों को भेजा गया।

(ii) डाइरेक्टरी आफ आर्कीटेक्ट्स

डाइरेक्टरी आफ आर्कीटेक्ट्स 1998 तथा व्यावसायिक दस्तावेज पर 'पुस्तिका' के प्रकाशन से संबंधित समस्त सामग्री को संकलित कर लिया गया है और मै० स्पेंटा मल्टीमीडिया, मुम्बई को प्रकाशन के लिये भेज दिया गया है।

9. बजट तथा वित्त

परिषद् ने वर्ष 1998-99 के लिये रु० 41,95,500/- का बजट प्राक्कलन अनुमोदित किया। बजट प्राक्कलनों, में वास्तुविद् अधिनियम 1972 के प्रवर्तन तथा वास्तुकला शिक्षा तथा प्रैक्टिस से सम्बन्धित कार्यों को कार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त प्रावधान था, जैसा कि अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये विनियमों में प्रकल्पित किया गया था।

31-3-1999 को समाप्त वर्ष का परीक्षित लेखा विवरण तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट परिशिष्ट "क" से— के रूप में संलग्न है।

परिषद् अधिनियम के अधीन प्राप्य आय अर्थात् फीस से अपना कार्य संचालित करती है। परिषद् को कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं होता। बढ़ती हुई लागत को पूरा करने और गतिविधियों की संख्या बढ़ाने तथा अधिनियम को लागू करने के लिये अपेक्षित संसाधन जुटाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने वास्तुकला परिषद् की सिफारिशों पर संशोधित फीस संरचना का अनुमोदन किया और उसे 28-9-1998 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया और यह उसी तारीख से लागू हुआ। संशोधन के अनुसार वार्षिक अदायगी के अतिरिक्त एक बारगी नवीयन फीस की अदायगी करने के विकल्प उपलब्ध है।

10. संगठन

(i) कंप्यूटरीकरण

परिषद् का यह प्रयास रहा है कि उसके समस्त कार्य को चरणबद्ध ढंग से कम्प्यूटरीकृत किया जाये। वास्तुविदों का पंजीकरण तथा पजीकृत व्यक्तियों के डाटा का रख-रखाव रिकार्ड का नवीकरण, प्राप्त अदायगियों के लिये रसीदें जारी करना तथा समस्त लेखाकरण पद्धति—इन सब का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान कम्प्यूटरों को जोड़ने के लिये स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क स्थापित किया गया।

(ii) ई-मेल तथा इन्टरनेट

वर्ष के दौरान परिषद् ने ई-मेल कनेक्शन तथा इन्टरनेट सुविधा स्थापित की। ई-मेल का पता इस प्रकार है :

coa @ n f. vsnl. net. in

(iii) स्टाफ और कल्याण

सम्प्रति, परिषद्, जैसाकि अधिनियम में परिकल्पित किया गया है, 16 कर्मचारियों से अपना कामकाज संचालित कर रही है हालांकि संस्वीकृत पदों की की संख्या 29 है। वर्तमान स्टाफ अपनी पूर्ण योग्यता के साथ चुनौतियों का सामना कारगर ढंग से कर रहा है और कार्यभार को संभाल रहा है।

आलोच्य वर्ष के दौरान आवासीय एल० आई० जी० फ्लैट प्राप्त करने के लिये तीन कर्मचारियों को गृह-निर्माण पेशगियां मंजूर की गई। उनमें से एक फ्लैट वसुन्धरा साहिबाबाद (उ० प्र) में उत्तर प्रदेश आवास तथा विकास बोर्ड से स्व-वित्तीयन आधार पर लिया जा रहा था।

11. आधार प्रदर्शन

वास्तुकला परिषद् केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अधिकारियों द्वारा परिषद् के कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिये उनकी प्रशंसा एवं धन्यवाद करती है। परिषद् भारतीय वास्तुविद संस्थान, एस० पी० ए०, नई दिल्ली, अन्य व्यावसायिक निकायों के पदाधिकारियों और सदस्यों, प्रेक्टिस करने वाले वास्तुविदों तथा शिक्षाविदों का उनके द्वारा वास्तुविद अधिनियम, 1972 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मार्गदर्शन एवं सलाह देने के लिये आभार व्यक्त करती है। परिषद् भारतीय वास्तुकला तथा योजना के 50 वर्ष पर रिट्रोस्पेक्टिव एग्जीबीशन आयोजित करने के लिये व्यावसायिक निकायों तथा सरकारी संगठनों तथा सहभागियों एवं प्रायोजकों (इनमें भवन-निर्माण सामग्री के विनिर्माता भी शामिल है।) द्वारा किये गये सामूहिक प्रयासों की भी सराहना करती है।

परिषद् अपने लेखा-परीक्षक, काउन्सेल अधिकारियों और कर्मचारियों और उन सभी व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने वर्ष 1998-99 के दौरान उपयोगी सेवायें प्रदान कीं।

विनोद कुमार,
कार्यकारी रजिस्ट्रार

भारत में वास्तुकला शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं की सूची

[वास्तुविद अधिनियम, 1972 से संलग्न अर्हता अनुसूची (धारा 14 के अधीन) में शामिल]

क्र०स०	संस्था का नाम	स्थापना/अनुमोदन वर्ष	दाखिला	वह विश्वविद्यालय जिससे संबद्ध है/जिसके द्वारा मान्यता प्राप्त है
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश			
1.	वास्तुकला विभाग कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम्।	1992	40	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम्।
2.	योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद।	1940	65	जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद।
3.	श्री वेंकटेश्वर वास्तुकला कालेज, हैदराबाद।	1996	40	जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद।
4.	वास्तुकला विभाग, सी०एस०आई० इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नालॉजी, सिकंदराबाद।	1996	40	जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद।
	बिहार			
5.	वास्तुकला विभाग, बिहार इंजीनियरी कालेज, पटना।	1979	40	पटना विश्वविद्यालय, पटना।
6.	वास्तुकला विभाग, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा (रांची)।	1993	20	सम विश्वविद्यालय।
	चंडीगढ़			
7.	चंडीगढ़ वास्तुकला कालेज, चंडीगढ़।	1961	40	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़।

1	2	3	4	5
	गोवा			
8.	गोवा वास्तुकला कालेज, गोवा ।	1982	40	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा ।
	गुजरात			
9.	वास्तुकला विद्यालय पर्यावरण योजना तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, अहमदाबाद ।	1962	40	*भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त वास्तु-कला में डिप्लोमा प्रदान करता है । (केवल वास्तुकला परिषद् में पंजीकरण और रोजगार के लिए) ।
10.	पर्यावरण डिजाइन संस्थान, डी० सी० पटेल वास्तुकला विद्यालय, वल्लभ विद्यानगर ।	1980	40	*भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वास्तु-कला में डिप्लोमा प्रदान करता है । (केवल वास्तुकला परिषद् में पंजीकरण तथा रोजगार के लिए) ।
11.	वास्तुकला विभाग, प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरी संकाय एम० एस० यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा, बडोदरा ।	1949	40	एम० एस० यूनिवर्सिटी आफ बड़ोदा, बडोदरा ।
12.	सार्वजनिक एजूकेशन सोसाइटीज कालेज आफ आर्कीटेक्चर, सूरत ।	1995	40	साउथ गुजरात विश्वविद्यालय सूरत ।
	हरियाणा			
13.	सुशांत कला तथा वास्तुकला विद्यालय, गुड़गाव ।	1989	44	*भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त वास्तु-कला में डिप्लोमा प्रदान करता है । (केवल वास्तुकला परिषद् में पंजीकरण तथा रोजगार के लिए) ।
14.	वास्तुकला विभाग, सी० आर० राजकीय इंजीनियरी कालेज, मुरथल ।	1991	40	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक ।
	कर्नाटक			
15.	वास्तुकला विभाग विश्वविद्यालय विश्वेश्वराय इंजीनियरी कालेज, बंगलौर ।	1967	40	बंगलौर विश्वविद्यालय ।
16.	वास्तुकला विभाग आर० वी० इंजीनियरिंग कालेज, बंगलौर ।	1992	40	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, बेलगांव
17.	वास्तुकला विभाग एम० एस० रमैया प्रौद्योगिकी संस्थान बंगलौर ।	1992	40	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, बेलगांव
18.	वास्तुकला विभाग बंगलौर प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर ।	1992	40	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बेलगांव
19.	वास्तुकला विभाग दयानंद सागर इंजीनियरिंग कालेज बंगलौर ।	1991	40	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, बेलगांव
20.	वास्तुकला विभाग बी० एम० एस० इंजी-नियरिंग कालेज, बंगलौर ।	1980	40	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, बेलगांव

1	2	3	4	5
21.	वास्तुकला विभाग कर्नाटक लॉ सोसाइटी गोगटे प्रौद्योगिकी संस्थान, बेलगांव	1998	40	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय, बेलगांव
22.	वास्तुकला विभाग बी० एल० डी० ई० एसोसिएशन्स इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी कालेज, बीजापुर	1991	40	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, बेलगांव
23.	मालिक संदल कला एवं वास्तुकला संस्थान, बीजापुर	1991	30	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विद्यालय, बेलगांव
24.	वास्तुकला विभाग पी० डी० ए० इंजीनियरिंग कालेज, गुलबर्गा	1983	40	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, बेलगांव
25.	वास्तुकला विभाग मलनाड इंजीनियरी कालेज, हस्सान	1980	40	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, बेलगांव
26.	वास्तुकला विभाग बी० वी० भूमराड्डी इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकीय कालेज, हुबली	1983	40	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, बेलगांव
27.	वास्तुकला विभाग मणिपाल प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपाल	1978	40	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, बेलगांव
28.	वास्तुकला विभाग सिद्धगंगा प्रौद्योगिकी संस्थान, तुमकुर	1992	30	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, बेलगांव
	केरल			
29.	वास्तुकला विभाग, टी० के० एम० इंजीनियरिंग कालेज, कोल्लाम	1985	20	केरल विश्वविद्यालय त्रिवेंद्रम
30.	वास्तुकला विभाग इंजीनियरिंग कालेज, तिरुवनंतपुरम	1964	40	केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेंद्रम

1	2	3	4	5
	मध्य प्रदेश			
31.	वास्तुकला विभाग मौलाना आज़ाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल ।	1963	40	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
32.	स्थापत्य कला भवन सोसाइटी वास्तुकला कालेज, आई० ई० पी० टी०, इंदौर ।	1995	40	देवी अहिल्या विश्व- विद्यालय, इंदौर
33.	आई० पी० एस० ऐकेडेमी स्कूल आफ, आर्की- टेक्चर, इंदौर	1995	40	देवी अहिल्या विश्व- विद्यालय, इंदौर
34.	वास्तुकला विभाग माधव प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्वालियर ।	1984	40	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
35.	वास्तुकला विभाग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज, रायपुर ।	1984	40	पं० रविशंकर शुक्ल विश्व- विद्यालय, रायपुर
	महाराष्ट्र			
36.	वास्तुकला विभाग, इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी कालेज, अकोला ।	1983	40	अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती
37.	वास्तुकला विभाग, जी० एस० मंडल मराठवाड़ा प्रौद्योगिकी संस्थान, औरंगाबाद ।	1984	40	डॉ बी० आर० अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद
38.	वास्तुकला विभाग जवाहरलाल नेहरु इंजीनियरिंग कालेज, औरंगाबाद ।	1989	40	डॉ० बी० आर० अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद
39.	एल० एस० रहेजा, वास्तुकला विद्यालय, मुंबई ।	1953	66	*जी० डी०आर्की०—महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदत्त ।
40.	वास्तुकला एकेडेमी, मुंबई ।	1955	66	*जी० डी० आर्की० महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदत्त
41.	वास्तुकला विभाग, एम० पी० इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, गोंडिया ।	1987	40	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर
42.	वास्तुकला विभाग, विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, नागपुर ।	1954	40	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर
43.	वास्तुकला विभाग, लेडी अमृतबाई डागा महिला कालेज, नागपुर ।	1993	40	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर
44.	वास्तुकला विभाग, प्रियदर्शिनी इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी कालेज, नागपुर ।	1994	40	नागपुर श्विविद्यालय, नागपुर

1	2	3	4	5
45.	वास्तुकला विभाग, कविकुलगुरु प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, रामटेक ।	1994	40	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर
46.	एन० टी० वी० एस० वास्तुकला कालेज, नंदुरबार ।	1993	40	नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव
47.	वास्तुकला विभाग, डी० वाई० पाटिल इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी कालेज, कोल्हापुर ।	1984	40	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर
48.	श्री प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाऊस वास्तुकला कालेज, कोल्हापुर ।	1984	40	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर
49.	श्री वी० बी० पटेल ट्रस्ट वास्तुकला कालेज, संगली ।	1993	40	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर
50.	सिद्धेश्वर शिक्षण मंडल वास्तुकला कालेज, सोलापुर ।	1993	40	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर
51.	सर जे० जे० वस्तुकला कालेज, मुंबई ।	1896	82	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई
52.	रिजवी वास्तुकला कालेज, मुंबई ।	1992	40	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई
53.	एल० बी० एच० एस० एम० ट्रस्ट वास्तुकला कालेज, मुंबई ।	1995	40	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई
54.	कमला रहेजा विद्यानिधि वास्तुकला तथा पर्यावरण अध्ययन संस्थान, मुंबई ।	1992	40	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई
55.	इंडियन एजूकेशन सोसाइटी वास्तुकला कालेज, मुंबई ।	1995	40	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई
56.	भारती विद्यापीठ वास्तुकला, कालेज, नवी मुंबई ।	1992	40	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई
57.	पिल्लई वास्तुकला कालेज, नवी मुंबई ।	1992	40	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई
58.	डॉ० डी० वाई० पाटिल वास्तुकला कालेज, नवी मुंबई ।	1942	40	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई
59.	प्रवर रूरल कालेज आफ आर्कीटेक्चर लोनी, जिला—अहमदनगर ।	1995	40	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे ।
60.	एन० डी० एम० पी० बी० समाज वास्तुकला कालेज, नासिक ।	1989	40	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
61.	बी० के० पी० एस० वास्तुकला कालेज, पुणे ।	1978	40	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
62.	मराठवाड़ा मित्र मंडल वास्तुकला कालेज, पुणे ।	1985	60	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
63.	भारती विद्यापीठ वास्तुकला कालेज, पुण ।	1993	40	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे

1	2	3	4	5
64.	वास्तुकला विभाग विवेकानंद प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे ।	1995	40	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
65.	महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था वास्तुकला कालेज, पुणे ।	1993	40	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
	नई दिल्ली			
66.	योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली ।	1955	69+10%	समविश्वविद्यालय
67.	टी० वी० बी० आवास अध्ययन विद्यालय, नई दिल्ली ।	1990	44	*भारत सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त वास्तुकला में डिप्लोमा प्रदान करता है । (केवल वास्तुकला परिषद में पंजीकरण के लिए)
68.	वास्तुकला अकादमी वास्तुकला तथा आंतरिक डिजाइन विद्यालय, नई दिल्ली ।	1996	40	संबंधन की प्रतीक्षा की जा रही है ।
	उड़ीसा			
69.	वास्तुकला विभाग इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी कालेज, उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर ।	1985	40	उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
70.	पीलू मोदी वास्तुकला कालेज, कटक ।	1993	44	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
	पंजाब			
71.	वास्तुकला विभाग गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर ।	1986	40	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर
72.	वास्तुकला विभाग, ज्ञानी जैल सिंह इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, भटिंडा ।	1989	40	पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, जलंधर
	राजस्थान			
73.	वास्तुकला संकाय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ।	1998	30	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
74.	वास्तुकला विभाग, मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, जयपुर ।	1988	40	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
	तमिलनाडु			
75.	वास्तुकला तथा योजना विद्यालय, चेन्नई ।	1957	40	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई

1	2	3	4	5
76.	वास्तुकला विभाग, महिला पेरियार मनियाम्मै प्रौद्योगिकी कालेज, वल्लम, तंजावूर ।	1995	40	भारतीदासन विश्वविद्यालय, त्रिची
77.	वास्तुकला विभाग, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, तिरुचिरापल्ली ।	1980	40	भारतीदासन विश्वविद्यालय, त्रिची
78.	वास्तुकला विभाग, मोहम्मद सादक इंजीनियरिंग कालेज, किलाकराई ।	1993	40	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै
79.	वास्तुकला विभाग, त्यागराज इंजीनियरिंग कालेज, मदुरै ।	1994	40	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय मदुरै
80	वास्तुकला विभाग हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग कालेज, पादुर (वाया) केलमबक्कम चेंगालपट्टू एम०जी०आर० जिला	1993	40	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई
81.	वास्तुकला विभाग, एस०आर०एम० इंजीनियरिंग कालेज, कट्टनकुलातूर	1992	40	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई
82.	वास्तुकला विभाग, अध्यमान इंजीनियरिंग कालेज, होसूर	1992	40	मद्रास विश्वविद्यालय, होसूर
83.	वास्तुकला विभाग, डॉ० एम०जी०आर० इंजीनियरिंग कालेज. चेन्नई	1993	40	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई
84.	वास्तुकला विभाग, भारत विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	1993	40	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई
85.	वास्तुकला विभाग, सत्यवाम इंजीनियरिंग कालेज, चेन्नई	1993	40	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई
	उत्तर प्रदेश			
86.	वास्तुकला विभाग, ज़ाकिर हुसैन इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	1993	40	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
87.	गवर्नमेंट वास्तुकला कालेज, लखनऊ	1980	40	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
88.	वास्तुकला विभाग, रुड़की	1956	40	रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की
	पश्चिम बंगाल			
89.	वास्तुकला विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खरगपुर	1952	40	आई०आई०टी०खरगपुर

1	2	3	4	5
90.	वास्तुकला विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय जादवपुर	1965	40	जादवपुर विश्वविद्यालय, जादवपुर
91.	वास्तुकला विभाग, बंगाल इंजीनियरी कालेज, हावड़ा	1950	40	बंगाल इंजी० कालेज, हावड़ा समविश्वविद्यालय

विनोद कुमार
कार्यकारी रजिस्ट्रार

प्रकाश के० प्रकाश
सनदी लेखाकार
बी–22, सागर अपार्टमेंटस, 6, तिलक मार्ग,
नई दिल्ली–110001
फोन : 3388207 3388753
टेलीफैक्स : 91–11–3387377

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने "वास्तुकला परिषद" इंडिया हैबीटेट सेंटर, कोर 6 ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 के 31 मार्च, 1999 के संलग्न तुलन-पत्र और 31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा की परीक्षा उन लेखा-बहियों और वाउचरों से कर ली है जो हमें प्रस्तुत किए गए है। हम रिपोर्ट देते हैं कि :

1. हमने वह समस्त सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

2. हमारी राय में, जहां तक बहियों की जांच करने से पता चलता है, परिषद् ने विधि की अपेक्षाओं के अनुसार उचित लेखा-बहियां रखी हुई हैं;

3. इस रिपोर्ट में दिया गया तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखा, लेखा-बहियों से मेल खाता है;

4. हमारी राय में और हमें जो सूचना औप स्पष्टीकरण दिए गए हैं, उनके अनुसार उक्त लेखा-विवरण में––

   (क) 31 मार्च, 1999 को परिषद की कार्यस्थिति से संबंधित तुलन-पत्र, तथा

   (ख) 31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के व्यय से अधिक आय से संबंधित आय-व्यय लेखे का उचित एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है ।

कृते, प्रकाश के० प्रकाश
सनदी लेखाकार

(प्रकाश के० गुप्ता)
भागीदार

प्रकाश गुप्ता
बी०कॉम एफ०सी०ए०

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 2–9–1999

वास्तुकला परिषद्

(वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन निगमित)

इंडिया हैबीटेट सेंटर, कोर 6-ए, प्रथम तल, लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003

31 मार्च, 1999 को तुलन-पत्र

गत वर्ष	देयताएं		चालू वर्ष
---	एकबारगी फीस निधि		30,50,970.00
	(एकबारगी अदायगी विकल्प के अधीन)		
	सामान्य आरक्षित निधि		
	शेष	1,21,44,306.58	
	जोड़ें : व्यय से अधिक आय	18,584.14	
1,21,44,306.58			1,21,62,890.72
	सी० ए० न्यूज़ लैटर (अभिदान) निधि		
	1-4-98 को शेष	49,710.00	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि	2,100.00	
49,710.00			51,810.00
	स्थायी परिसम्पत्ति निधि---	1,17,092.41	
	ए० आई० बी० ए० ई०		
1,17,092.41	घटाएं : मूल्यह्रास	28,274.41	
			88,818.00
	ऋण तथा सहायता अनुदान		
1,50,000.00	भारत सरकार से ऋण		1,50,000.00
	ए० आई० सी० टी० ई० से सहायता अनुदान (अव्ययित)		
3,99,297.00	(संलग्नक "क" के अनुसार)		4,48,296.00
	अन्य देयताएं		
15,004.00	आंशिक फीस लेखागत	2,58,366.00	23,485.92
--	डाइरेक्टरी मुद्रण तथा प्रचार	1,57,641.00	
--	पहचान-पत्र फीस	17,713.60	8,110.00
10,304.62	संगोष्ठी लेखा का अव्ययित शेष	10,304.62	
2,54,476.11	मूल्यांकन तथा निरीक्षण फीस (ए० आई० बी०ए० ई) (संलग्नक "ख" के अनुसार)	5,15,107.11	
17,424.00	पहचान-पत्र फीस	1,522.00	
13,157,614.72	जोड़---रु०	1,69,13,439.05	13,157,614.72

वास्तुकला परिषद् के लिए और उसकी ओर से

प्रेमेंद्र
(अध्यक्ष)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 2-9-99

विनोद कुमार
(रजिस्ट्रार)

गत वर्ष	परिसम्पत्तियां		चालू वर्ष
	स्थायी परिसम्पत्तियां		
	सी० ओ० ए०	55,09,739.86	
	ए० आई० बी० ए० ई०	88,818.00	
55,89,466.95	(संलग्नक "ग" के अनुसार)		55,98,557.86
	निवेश		
	सावधि जमा प्राप्तियां		
	एफ० डी ०आर० नियत—एकबारगी फीस निधि	25,00,000.00	
69,30,000.00	सामान्य एफ० डी० आर०	69,30,000.00	
	(संलग्नक "घ" के अनुसार)		94,30,000.00
	चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, तथा पेशगियां		
	ऋण तथा पेशगियां		
23,435.99	(संलग्नक "ङ" के अनुसार)		3,33,665.50
	अग्रिम कर : टी० डी० एस० वर्ष 98-99		1,25,039.00
	रोकड़ तथा बैंक शेष		
	एस० बी० आई० नई दिल्ली मेन ब्रांच		
5,83,115.86	खाता संख्या 22/65334		13,90,379.77
	सिंडीकेट बैंक, सुपर बाजार बिल्डिंग		
23,485.92	कनाट सर्कस, खाता नं० 3370		8,696.92
8,110.00	हाथ रोकड़		27,100.00
13,157,614.72	जोड़—रु०		1,69,13,439.05

इसी तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
कृते, प्रकाश के० प्रकाश
सनदी लेखाकार

प्रकाश के० गुप्ता
भागीदार

वास्तुकला परिषद

(वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन निगमित)

इंडिया हैबीटेट सेंटर, कोर 6ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली-3

31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति तथा अदायगी लेखा

प्राप्तियां	राशि		अदायगियां	राशि
अवशेष :			माध्यस्थम व्यय	21,288.40
—हाथ रोकड़	8,110.00		लेखा-परीक्षा शुल्क	4,500.00
—भारतीय स्टेट बैंक	5,83,115.86		बैंक कमीशन	29,655.00
—सिंडीकेट बैंक	23,485.92	6,14,711.78	सी॰ ए॰ न्यूज मुद्रण और प्रचार	2,46,384.00
अतिरिक्त अर्हता फीस		310.00	सफाई सामग्री	568.00
माध्यस्थम फीस		39,000.00	सम्मिलित वास्तुविद् प्रवेश परीक्षा शुल्क	2,48,714.50
बैंक कमीशन		15,972.00	लेखा सामग्री तथा उप भोज्य वस्तुएं	550.00
सी॰ ए॰ न्यूज अभिदान		2,100.00	परामर्श फीस	3,200.00
सी॰ ए॰ न्यूज मुद्रण तथा प्रचार		2,48,482.00	सवारी प्रभार	31,913.50
सम्मिलित वास्तुकला प्रवेश परीक्षा शुल्क		97,122.00	वास्तुविद डाइरेक्टरी का व्यय	4,78,359.00
वास्तुविद् डाइरेक्टरी विज्ञापन		6,36,000.00	डाइरेक्टरी मुद्रण तथा प्रचार	4,747.55
डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र फीस		23,520.00	बिजली व्यय	1,959.00
एफ॰ डी॰ आर॰ परिपक्व		6,60,000.00	बिजली का सामान	2,570.50
वसूल की गई त्यौहार पेशगी		3,750.00	एफ॰ डी॰ आर॰—क्रीत—एक बारगी फीस	25,00,000.00
सहायता अनुदान (पाठ्यचर्या गतिविधियां)		3,00,000.00	नवीकृत एफ॰ डी॰आर॰	6,60,000.00
पहचान-पत्र फीस		8,720.00	त्यौहार पेशगी	7,500.00
एफ॰ डी॰ आर॰ पर ब्याज		7,09,900.00	मानदेय	6,970.00
विविध प्राप्तियां		3,510.00	निरीक्षकों को मानदेय	2,500.00
एकबारगी अदायगी फीस		30,50,970.00	गृह-निर्माण पेशगी	2,30,000.00
लेखागत आंशिक फीस		2,43,362.00	पहचान-पत्र व्यय	24,622.00
डाकव्यय		7,176.00	आयकर वि॰ व॰ 1997–98	1,431.0
डाकव्यय पेशगी		1,67,196.49	आयकर पेशगी कर	1,25,039.0
प्रकाशन बिक्री		325.00	बीमा किस्त	10,749.00
क्यू॰ आई पी॰ सहभागिता फीस		77,050.00	विधिक प्रभार	21,900.00
पंजीकरण फीस		3,96,800.00	अनुरक्षण प्रभार	1,42,643.48
नवीकरण फीस वार्षिक अदायगियां		17,20,460.00	विविध व्यय	14,087.00
पुनःस्थापन फीस		3,03,600.00	नई परिसम्पत्तियां—क्रीत	1,83,880.00
वास्तुविद डाइरेक्टरी की बिक्री		6,8500.00	न्यूजपेपर और पत्रिकाएं	8,397.30
वसूल की गई स्कूटर पेशगी		6,324.00	अधिसूचना प्रभार	6,485.00
			कार्यालय बहियां	7,937.00
			बीमा किस्त	10,749.00

निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्राप्तियां		
अखिल भारतीय वास्तुकला बोर्ड		
मूल्यांकन फीस	2,75,00.00	
निरीक्षण फीस	6,25,000.00	9,00,000.00
वेतन तथा स्थापना व्यय	14,49,889.00	
पौधे तथा फूल	7,800.00	
डाक व्यय पेशगी	1,63,000.00	
डाक व्यय	173,745.50	
सम्पत्ति कर	1,00,000.00	
क्यू० आर० पी० व्यय	3,28,051.00	
क्यू० आर० पी० व्यय पेशगी	80,000.00	
जलपान प्रभार	49,173.50	
जलपान प्रभार पेशगी	7,000.00	
मरम्मत तथा अनुरक्षण प्रभार	46,549.00	
रिट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी व्यय	1,53,687.80	
लेखन-सामग्री तथा मुद्रण प्रभार	1,60 754.05	
अभिदान/सदस्यता–शुल्क	1,000.00	
टेलीफोन व्यय	93,018.50	
यात्रा भत्ता	*3,35,449.00	
निम्नलिखित के सम्बन्ध में अदायगियां		
अखिल भारतीय वास्तुकला शिक्षा बोर्ड		
लेखापरीक्षा शुल्क	1,500.00	
बैंक कमीशन	35.00	
परामर्श फीस	2,300.00	
सवारी भाड़ा प्रभार	1,136.00	
मानदेय	6,000.00	
वेतन तथा स्थापना व्यय	3,02,974.00	
डाक प्रभार	8,855.00	
मुद्रण तथा लेखन–सामग्री प्रभार	22,996.00	
जलपान प्रभार	401.00	
मरम्मत तथा अनुरक्षण प्रभार	10,960.00	
टेलीफोन व्यय	43,280.00	
यात्रा व्यय	2,38,932.00	6,39,369.00

1	2	3	4	5	6	7	8
टेलीफोन इन्स्ट्रेमेंटस	8	25%	3,858.75	..	3,858.75	964.69	2,894.06
कंप्यूटर	7	25%	1,44,751.72	79,080.00	2,23,831.72	55,357.94	1,68,473.78
प्रिंटर्स	5	25%	75,915.00	..	75,915.00	18,978.75	56,936.25
यू० पी० एस० स्मार्ट-600	4	25%	42,235.31	..	42,235.31	10,558.83	31,676.48
प्रिंटर शेयर डिवाइन्स	2	25%	914.07	..	914.07	228.52	685.55
मौडेम	1	12.5%	..	3,800.00	3,800.00	475.00	3,325.00
ई० पी० ए० बी० एक्स	1	25%	12,082.00	..	12,082.00	3,020.00	9,061.50
जोड़ "ख"			2,85,911.46	1,83,880.00	4,69,791.46	1,03,747.92	3,66,043.54
फर्नीचर और जुड़नार							
स्टील अल्मारियां	7	10%	1,033.42	..	1,033.42	103.34	930.08
फाइलिंग केबिनेट	8	10%	1,807.00	..	1,807.00	180.70	1,626.30
टेबुलर टेबुल	13	10%	30,328.97	..	30,328.97	3,032.90	27,296.07
कुर्सियां	50	10%	92,032.00	..	92,032.00	9,203.00	82,828.80
स्टील सेफ (बक्स)	1	10%	78.62	--	78.62	7.86	70.76
स्टील रैंक	10	10%	1,463.20	--	1,463.20	146.32	1,316.88
कीलेप्सीबुल गेट	2	10%	346.54	--	346.54	34.65	311.89
स्टील स्टैड	1	10%	96.01	--	96.01	9.60	86.41
स्टील स्टूल	1	10%	26.64	..	26.64	2.66	23.98
पर्दे		10%	363.10	..	363.10	36.31	326.79
अन्य		10%	117.73	..	117.73	11.77	105.96
जुड़नार		10%	90,369.82	..	90,369.82	9,069.98	81,33?.84
विस्टावेनेशन ब्लाइंड्स	16	10%	13,026.63	..	13,026.63	1,302.66	11,723.97
राईटिंग डेस्क	17	10%	82,288.48	..	82,288.48	8,228.85	74,059.63
साइट यूनिट	7	10%	53,554.73	--	53,554.73	5,355.47	48,199.26
दराज बक्स	14	10%	21,114.90	--	21,114.90	2,111.49	19,003.41
सिंक केबिनेट	1	10%	4,740.30	--	4,740.30	474.03	4,266.27
लो हाई पार्टिशन	1	10%	34,879.69	--	34,879.69	3,487.97	31,391.72
जोड़— "ग"			4,27,667.78	--	4,27,667.78	42,766.76	3,84,901.02

1	2	3	4	5	6	7	8
स्थायी परिसम्पत्तियां							
ए० आई० बी० ए० ई०							
उपस्कर							
स्वचालित प्लेन पेपर कापियर	1	25%	55,687.50	—	55,687.50	13,921.50	41,766.00
स्टेबिलाइज़र	1		1,801.94	—	1,801.94	450.94	1,351.00
डेजर्ट कूलर	1		569.53	—	569.53	142.53	427.00
जनरेटर	1		3,622.85	—	3,622.85	905.85	2,717.00
कैलकुलेटर	1		101.56	—	101.56	25.56	76.00
इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर	1		2,373.04	—	2,373.04	593.04	1,780.00
प्रिंटर	1		4,152.83	—	4,152.83	1,038.83	3,114.00
कम्प्यूटर	1		11,736.98	—	11,736.98	2,933.98	8,803.00
फैक्स मशीन	1		9,136.23	—	9,136.23	2,284.23	6,852.00
लैमिनेशन मशीन	1		13,312.69	—	13,312.69	3,328.69	9,984.00
बाईडिंग मशीन	1		7,924.92	—	7,924.92	1,981.92	5,943.00
जोड़—"घ"			1,10,420.07	—	1,10,420.07	27,607.07	82,813.00
फर्नीचर और जुड़नार							
मेजें	2	10%	2,706.41	—	2,706.41	270.41	2,436.00
कुर्सियां	6		1,712.62	ङ–	1,712.62	171.62	1,541.00
लकड़ी के रैक	2		863.70	—	863.70	86.70	777.00
ट्राली	1		101.04	—	101.04	10.04	91.00
स्टील स्टूल	1		143.35	—	143.35	14.35	129.00
पैंड, पंखा और टेबुल लैंप	2		1,145.22	—	1,145.22	114.22	1,031.00
जोड़—"ङ"			6,672.34	--	6,672.34	667.34	6,005.00
जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ)			55,89,466.95	1,83,880.00	57,73,346.95	1,74,789.09	55,98,557.86

प्रेमेंद्र
अध्यक्ष
वास्तुकला परिषद्
नई दिल्ली

विनोद कुमार
रजिस्ट्रार
वास्तुकला परिषद्
नई दिल्ली

वास्तुकला परिषद्

31 मार्च, 1999 को टी० डी० आर० की अनुसूची

संलग्नक "ब"

क्र०सं०	टी डी आर नं०	बैंक का नाम	निर्गम/नवीयन की तारीख	परिपक्वता की तारीख	राशि
1	2	3	4	5	6
1.	टी० डी०-ए-19-314306	स्टेट बैंक आफ	6-4-95	6-4-98	1,00,000.00
2.	टी० डी०-ए-19-314307	इंडिया,	6-4-95	6-4-98	1,00,000.00
3.	टी० डी० -ए-19-314312	नई दिल्ली	8-4-95	8-4-98	60,000.00
4.	टी० डी०-ए-25-112413		6-3-96	6-3-99	2,00,000.00
5	टी० डी०-ए-25-112414		6-3-96	6-3-99	2,00,000.00
6.	टी० डी०-ए-29-994599		7-3-97	7-3-2000	1,00,000.00
7.	टी० डी०-ए-29-994600		7-3-97	7-3-2000	1,00,000.00
8.	टी० डी०-ए-29-994644		25-4-97	25-4-2000	1,00,000.00
9.	टी० डी०-ए-29-994645		25-4-97	25-4-2000	1,00,000.00
10.	टी० डी-ए-29-994646		25-4-97	25-4-2000	1,00,000.00
11.	टी० डी०ए-29-994647		75-4-97	25-4-2000	1,00,000.00
12.	टी० डी०-ए-29-994656		24-4-97	25-4-2000	1,00,000.00
13.	टी० डी०-ए-29-994657		24-4-97	24-4-2000	1,00,000.00
14.	टी० डी०-ए-29-994658		24-4-97	24-4-2000	1,00,000.00
15.	टी० डी०-ए-31-6-662612		25-8-97	25-8-1999	3,00,000.00
16.	टी० डी०-ए-31-662611		25-8-97	25-8-99	2,00,000.00
17.	टी० डी०-ए-31-662607		31-8-97	31-8-99	5,00,000.00
18.	टी० डी०-ए-31-662608		31-8-97	31-8-99	5,00,000.00
19.	टी० डी०-ए-31-662609		31-8-97	31-8-99	5,00,000.00
20.	टी० डी०-ए-31-662610		31-8-97	31-8-99	5,00,000.00
21.	टी० डी०-ए-31-662715		15-9-97	15-12-2000	2,50,000.00
22.	टी० डी०-ए-31-662716		15-9-97	15-12-2000	2,50,000.00
23.	एस० डी०-ए-29-444546		18-9-97	18-12-2000	3,25,000.00
24.	एस० डी०-ए-29-444547		18-9-97	18-12-2000	3,25,000.00
25.	टी० डी०-ए-31-662749		26-9-97	26-9-2000	60,000.00
26.	टी० डी०-ए-31-662750		26-9-97	26-9-2000	60,000.00
27.	टी० डी०-ए-31-662744		1-10-97	1-10-2000	3,50,000.00
28.	टी० डी०ए-31-662745		1-10-97	1-10-2000	3,50,000.00
29.	टी० डी०-ए-31-662746		1-10-97	01-10-2000	3,50,000.00
30.	टी० डी०-ए-31-662747		1-10-97	1-10-2000	3,50,000.00
31.	टी० डी०-ए-32-269324		18-3-98	18-3-2001	1,00,000.00
32.	टी० डी०-ए-32-269325		18-3-98	18-3-2001	1,00,000.00

ब्याज	ब्याज की दर	वर्ष के दौरान क्रीत/या नवीयन	वर्ष के दौरान परिपक्व	31-3-99 को राशि
7	8	9	10	11
11,000.00	11%	—	1,00,000.00	—
11,000.00	11%	—	1,00,000.00	—
6,600.00	11%	—	60,000.00	—
26,000.00	13%	—	2,00,000.00	—
26,000.00	13%	—	2,00,000.00	—
12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00
12,000.00	12%	—	—	100,000.00
12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00
12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00
12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00
12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00
12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00
12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00
12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00
31,500.00	10.5%	—	—	3,00,000.00
21,000.00	10.5%	—	—	2,00,000.00
52,500.00	10.5%	—	—	5,00,000.00
52500.00	10.5%	—	—	5,00,000.00
52,500.00	10.5%	—	—	5,00,000.00
52,000.00	10.5%	—	—	5,00,000.00
30,000.00	12%	—	—	2,50,000.00
30,000.00	12%	—	—	2,50,000.00
—	12%	—	—	3,25,000.00
—	12%	—	—	3,25,000.00
6,900.00	11.5%	—	—	60,000.00
9,900.00	11.5%	—	—	60,000.00
40,250.00	11.5%	—	—	3,50,000.00
40,250.00	11.5%	—	—	3'50,000.00
40,250.00	11.5%	—	—	3,50,000.00
40,250.00	11.5%	—	—	3,50,000.00
12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00
12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00

1	2	3	4	5	6
33.	एस० डी०-ए-29-458232		6-4-98	6-4-2001	—
34.	एस० डी०-ए-29-458233		6-4-98	6-4-2001	—
35.	एस० डी०-ए-29-458234		8-4-98	8-4-2001	—
36.	एस० डी०-ए-29-458697		6-3-99	6-4-2002	—
37.	एस० डी०-ए-29-458698		6-3-99	6-4-2002	—
एकबारगी फीस निधि के लिए एफ०आर० डी०					
38.	टीडी-ए-32-269904		01-03-99	01-04-2002	5,00,000.00
39.	टीडी-ए-32-269905		01-03-99	01-04-2002	5,00,000.00
40.	टीडी-ए-32-269916		12-03-99	12-04-2002	5,00,000.00
41.	टीडी-ए-32-269931		19-03-99	19-04-2002	5,00,000.00
42.	टीडी-ए-32-269938		31-03-99	30-04-2002	5,00,000.00
	जोड़	रु०			94,30,000.00

प्रेमेंद्र
अध्यक्ष
वास्तुकला परिषद्
नई दिल्ली

विनोद कुमार
रजिस्ट्रार
वास्तुकला परिषद्
नई दिल्ली

7	8	9	10	11
—	12%	1,00,000.00	—	1,00,000.00
—	12%	1,00,000.00	—	1,00,000.00
—	12%	60,000.00	—	60,000.00
—	10.5%	2,00,000.00	—	2,00,000.00
—	10.5%	2,00,000.00	—	2,00,000.00
—	10.5%	5,00,000.00	—	5,00,000.00
—	10.5%	5,00,000.00	—	5,00,000.00
—	10.5%	5,00,000.00	—	5,00,000.00
—	10.5%	5,00,000.00	—	500,000.00,
—	10.5%	5,00,000.00	—	5,00,000.00
		31,60,000.00	6,60,000.00	94,30,000.00

प्रेमेन्द्र
अध्यक्ष
वास्तुकला परिषद
नई दिल्ली

विनोद कुमार
रजिस्ट्रार
वास्तुकला परिषद्
नई दिल्ली

वास्तुकला परिषद्
31 मार्च, 1999 को ऋणों और पेशगियों की अनुसूची

संलग्नक "ङ"

विवरण	राशि
त्यौहार पेशगी	3,750,.00
गृह-निर्माण पेशगी	2,30,000.00
डाकव्यय पेशगी	5,038.50
क्यू० आई० पी० व्यय पेशगी	80,000.00
अल्पाहार प्रभार पेशगी	7,000.00
स्कूटर पेशगी	7,877.00
जोड़ रु०	3,33,665.50

प्रेमेन्द्र
अध्यक्ष
वास्तुकला परिषद्
नई दिल्ली

विनोद कुमार
रजिस्ट्रार
वास्तुकला परिषद्
नई दिल्ली

वास्तुकला परिषद्

वित्तीय वर्ष 1998-99

लेखाओं पर टिप्पणियां (तुलन-पत्र के भाग के रूप में)

1. तुलन-पत्र में उल्लिखित आंशिक फीस के रु० 2,58,366 की देयता की वास्तुविदों से प्राप्य फीस राशि को प्राप्त किए जाने वाले वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

2. परिषद् ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से 30 मार्च, 1999 को पाठ्यचर्या गतिविधियों के लिए सहायता अनुदान के रूप में रु० 3,00,000 की राशि प्राप्त की है जो खर्च नहीं हुई है।

3. भारत सरकार ने अधिसूचना सं० एफ० 35-7/97-टी०एस० IV दिनांक 15-9-98 के अनुसार परिषद् को वास्तुविदों से एकबारगी अदायगी फीस प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की। तदनुसार, परिषद् तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित बजट प्राक्कलनों के अनुसार एकबारगी अदायगी के अधीन प्राप्त राशि को एकबारगी फीस निधि में अंतरित कर दिया गया है और इस प्रकार इकट्ठी की गई राशि का निवेश सावधि जमा में किया जा रहा है।

4. वर्ष के दौरान व्यय से अधिक आय की राशि पर विचार करते हुए परिषद् द्वारा अदा किए गए अग्रिम कर की राशि को तुलन-पत्र में परिसम्पत्ति की तरफ दिखाया गया है जबकि गत वर्षों के दौरान उसे आय-व्यय लेखा में दिखाया गया था।

5. पिछले वर्ष के आंकड़ों को अवश्यकतानुसार पुनः समूहित, पुनः वर्गीकृत तथा पुनः व्यवस्थित किया गया है।

वास्तुकला परिषद् के लिए और उसकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली	प्रेमेंद्र राज मेहता	विनोद कुमार
दिनांक : 2-9-1999	(अध्यक्ष)	(रजिस्ट्रार)

रक्षा मंत्रालय

छावनी परिषद्, इलाहाबाद

का० नि० आ० संख्या बी-1/1/III—इलाहबाद के नई, पुरानी एवं किला छावनी की सीमाओं के अन्तर्गत व्यापार तथा व्यवसाय कर अधिरोपित करने के बारे में भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का० नि० आ० 250 दिनांक 14 मई, 1970 की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए एक सार्वजनिक सूचना छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 61 जिसे धारा 255 के साथ पढ़ें की अपेक्षानुसार छावनी बोर्ड की सूचना सं० बी-1/1/III दिनांक 11-5-99 स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था जिसकी प्रति छावनी परिषद् कार्यालय इलाहाबाद के ध्यानाकर्षी भाग पर चस्पा किया गया था और उक्त सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने तक उसके बारे में आक्षेप व सुझाव मांगे गए थे :

और उक्त सूचना दिनांक 11 मई, 1999 को छावनी परिषद् के सूचना पट पर लगाई गई थी।

और उस पर जनता से कोई भी आक्षेप व सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अतः छावनी परिषद् इलाहाबाद उक्त अधिनियम की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से इलाहाबाद नई, पुरानी एवं किला छावनी की परिसीमाओं के अन्तर्गत एक टैक्स जो व्यापार एवं व्यवसाय कर कहलाता है, सभी व्यक्तियों पर जो एक या अधिक व्यापार एवं व्यवसाय नई, पुरानी एवं किला छावनी इलाहाबाद की छावनी सीमा के अन्तर्गत विभिन्न समूह अथवा समान वर्ग में आते हैं जिनका उल्लेख अनुसूची के कालम 2 में संकलित है पर कालम 3 में दर्शाई गई दरों पर व्यापार एवं व्यवसाय कर अधिरोपित करता है जो कि राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

परन्तु यदि कोई व्यक्ति एक ही स्थल पर एक या एक से अधिक व्यापार या व्यवसाय करता है तो उसे व्यापार या व्यवसाय पर उच्चतम दर पर पूर्ण भुगतान एवं शेष व्यवसाय का आधा कर भुगतान करने का दायित्व होगा बशर्ते कि उक्त कथित व्यापार एवं व्यवसाय कर प्रतिवर्ष किसी भी व्यक्ति पर 2500/- से अधिक निर्धारित नहीं होगा।

ह०/- अपठनीय
छावनी अधिशासी अधिकारी
इलाहाबाद छावनी
(फाइल सं० 53/9/सी/डीई/93)

अनुसूची

क्र० सं०	व्यापार एवं व्यवसाय का नाम	व्यापार एवं व्यवसाय कर रुपये में प्रतिवर्ष
1	2	3
1.	विज्ञापन अभिकर्ता	2,500/-
2.	बीमा कम्पनी अभिकर्ता	2,500/-
3.	नीलाम कर्ता	2,500/-
4.	आटोमोबाइल अभियंता	2,500/-
5.	प्राधिकृत साहूकार/महाजन (लाइसेंस प्राप्त)	2,500/-
6.	निकासी अभिकर्ता/हैन्डर कारी	2,500/-
7.	वस्त्र व्यापारी/मिलिनर	2,500/-
8.	आयोग अभिकर्ता/दलाल/मकान अभिकर्ता	2,500/-
9.	भवन निर्माण ठेकेदार	2,500/-
10.	कैन्टीन या मेस ठेकेदार	2,500/-
11.	सी० एस० डी० कैन्टीन ठेकेदार	2,500/-
12.	पंजीकृत ठेकेदार सब ठेकेदार	2,500/-
13.	एम० ई० एस० ए० एस० सी० या ओ० आर० डी० ठेकेदार	2,500/-
14.	ठेकेदार जो इस अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं है	2,500/-
15.	आर्म्स एवं एमूनेशन व्यापारी	2,500/-
16.	एसबस्ट रूफिंग व्यापारी	2,500/-
17.	बूट्स जूते और चप्पल व्यापारी	2,500/-
18.	दरी, फर्स और शाल व्यापारी	2,500/-
19.	चप्पल, स्थानीय बूट्स एवं जूते के व्यापारी	2,500/-
20.	चारकोल मात्र व्यापारी (लकड़ी का कोयला)	2,500/-
21.	चारकोल एवं जलाने की लकड़ी व्यापारी	2,500/-
22.	कोक या स्ट्रीम कोल व्यापारी	2,500/-
23.	नालीदार लोहे की चादर व्यापारी	2,500/-
24.	क्राकरी कटलरी और ग्लास वेयर व्यापारी	2,500/-
25	इलेक्ट्रिक गुड्स एवं बैटरीज व्यापारी	2,500/-
26.	फैन्सी गुड्स एवं खिलौना व्यापारी	2,500/-
27.	फर्नीचर बिक्री हेतु या किराये व्यापारी	2,500/-
28.	सोर्ट ग्लास छिलर	2,500/-
29.	ग्रेन (अनाज) और ग्रोसरी व्यापारी	2,500/-
30.	ग्रेन (अनाज) व्यापारी	2,500/-
31.	उपकरण समान और ग्रामोफोन्स व्यापारी	2,500/-
32.	ग्रीन फूडर या स्ट्रे भूसा व्यापारी	2,500/-
33.	समानों का व्यापारी (चाय, चीनी, काफी)	2,500/-
34.	होजरी गुड्स व्यापारी	2,500/-
35.	हीरे जवरात (इमीटेशन जेवलरी) व्यापारी	2,500/-
36.	मोटर कार, मोटर साइकिल, मोटर लारी, व्यापारी	2,500/-
37.	म्यूजिकल्स पार्टस व्यापारी	2,500/-
38.	पेन्ट और डिसटम्पर व्यापारी	2,500/-
39.	रेडियो सेट और एसेसरीज व्यापारी	2,500/-
40.	सेनेटरी फिटिंग व्यापारी	2,500/-
41.	खेलकूद का सामान और एसेसरीज व्यापारी	2,500/-
42.	लकड़ी का व्यापारी	2,500/-
43.	वनस्पति घी का व्यापारी	2,500/-
44.	वारनिस का व्यापारी	2,500/-
45.	रंगरेज (कर्मचारी नहीं)	2,500/-
46.	अभियंता और आरचीटैक्ट	2,500/-
47.	जनरल मर्चेन्ट	2,500/-
48.	स्वर्णकार एवं रजतकार	2,500/-
49.	बीमा कम्पनी (मुख्य कार्यालय या शाखा)	2,500/-
50.	पेट्रोल पम्प मालिक	2,500/-
51.	लाउन्ड्री एवं ड्राई क्लीनर (मशीन के द्वारा)	2,500/-
52.	लाउन्ड्री मालिक (मशीन के द्वारा)	2,500/-
53.	वकील	2 500/-
54.	जूते बनाने वाला	2,500/-
55.	ब्रेड या बिस्कुट केक बनाने एवं बेचने वाला	2,500/-
56.	ब्रेड या बिस्कुट मात्र बनाने बेचने वाला	2,500/-
57.	घी और वनस्पति घी बनाने और बेचने वाला	2,500/-
58.	सोडा वाटर और बर्फ या दोनों बनाने बेचने वाला	2,500/-
59.	बीड़ी बनाने और बेचने वाला	2,500/-
60.	ईंटें बनाने वाला और बेचने वाला	2,500/-
61.	कपड़ा बनाने वाला और बेचने वाला	2,500/-
62.	लाइम या मोटर बनाने वाला बेचने वाला	2,500/-
63.	तेल बनाने और बेचने वाला	2,500/-
64.	हैन्डलूम के कपड़े बनाने और बेचने वाला	2,000/-
65.	चिकित्सक	1,500/-
66.	चश्मा वाले	1,000/-
67.	काटन जिनिंग फैक्ट्री के मालिक	1,000/-
68.	काटन प्रेसिंग फैक्ट्री के मालिक	1,000/-
69.	फैक्ट्री के मालिक जो कहीं पर निर्दिष्ट न हो	1,500/-
70.	मोटर टैक्सी कार के मालिक	2,500/-
71.	ब्रास या मेटल फैक्ट्री के प्रबन्धक	1,500/-
72.	फ्लोर मिल के प्रबन्धक	1,500/-
73.	फ्लोर मिल के साथ राईस हूलर के प्रबंधक	1,000/-
74.	कूसर के प्रबंधक	2,000/-

1	2	3
75.	जेगरी के प्रबंधक (गुड़ रॉ चीनी फक्ट्री)	2,500/–
76.	मोनिंग फैक्ट्री के प्रबंधक	2,000/–
77.	मोटर ट्रांसतोर्ट कम्पनी के प्रबंधक	2,500/–
78.	आयल मिल के प्रबंधक	2,500/–
79.	पेपर मिल के प्रबंधक	2,500/–
80.	आवासी होटल के प्रबंधक (मालिक)	2,500/–
81.	सुगर फैक्ट्री के प्रबंधक	2,500/–
82.	समाचार व साप्ताहिक के बिक्री अभिकर्ता	250/–
83.	नाई	100/–
84.	बैटरी चार्जेज	250/–
85.	लौहार या टिन स्मिथ	100/–
86.	ब्लाक मेंकर और फोटोजाईन मालिक	150/–
87.	दस्तावेज लिखने वाला और स्टाम्प विक्रेता	300/–
88.	पुस्तक विक्रेता	600/–
89.	चिकवा (गोस्त भेड या सुअर)	400/–
90.	बढई (जो कर्मचारी न हो)	1,900/–
91.	केमिस्ट और ड्रागिस्ट	7,500/–
92.	कोच मेकर या मोटर या कैरेज बोड़ी बनाना	1,000/–
93.	साईकिल स्टैण्ड के ठेकेदार	600/–
94.	इलेक्ट्रिक तार लगाने वाले ठेकेदार	1,500/–
95.	डेरी मालिक (पांच जानवर से कम)	250/–
96.	डेरी मालिक (6 जानवर से ज्यादा)	500/–
97.	अल्युमिनियम वायर और ब्रास या तांबे के व्यापारी	750/–
98.	कला, हस्तकला और कुरीस व्यापारी	500/–
99.	अल्युमिनियम वायर, ब्रास, तांबे के व्यापारी	750/–
100.	बांस और बल्ली के व्यापारी	150/–
101.	चूडी के व्यापारी	150/–
102.	टोकरी के व्यापारी	150/–
103.	मोटर कार के बैटरी के व्यापारी	300/–
104.	विदेशी शराब (बीयर, स्प्रिट) व्यापारी	2,500/–
105.	पान, सिगरेट, बीडी, सिगार, माचिस, पान पत्ती, इसनफ, तम्बाकू आदि के व्यापारी	250/–
106.	अंबला तेल एवं अन्य प्रकार के तेल	150/–
107.	बटन, धागा, हैबर्ड एसरी के व्यापारी	300/–
108.	मोमबत्ती के व्यापारी	100/–
109.	कपूर के व्यापारी	250/–
110.	घडियों के व्यापारी	1,000/–
111.	चटनी, कान्डीमेन्टस, पीकेल्स के व्यापारी	250/–
112.	नारियल के व्यापारी	250/–
113.	नारियल के तेल अन्य प्रकार के खाद्य तेल के	250/–
114.	काफी और चाय के व्यापारी	250/
115.	चटाई और दरी के व्यापारी	1,000/–
116.	कपास और कपास के बीज के व्यापारी	150/–
117.	साईकल, रिक्शा और उसके सामानों के व्यापारी	1,000/–
118.	ड्राई सेल और टारचेश के व्यापारी	200/–
119.	अरथिंग तार के व्यापारी	150/–
120.	फीगर और स्टेट्यस के व्यापारी	250/–
121.	केवल जलाने की लकड़ी के व्यापारी	300/–
122.	पटाखा के व्यापारी	500/–
123.	बालों, तेल और टाईलेट परफ्यूम (शौचालय की वस्तुओं के (व्यापारी	150/–
124.	हार्डवेयर के व्यापारी	1500/–
125.	बनावटी वस्तुओं के व्यापारी	150/–
126.	मिट्टी के तेल और नान कन्ज्यूबेबिल स्प्रीट के व्यापारी	250/–
127.	ताले और चाबी के व्यापारी	150/–
128.	ऊन और सूत के व्यापारी	150/–
129.	पतंग, लटाई और मंझे के व्यापारी	100/–
130.	चमड़े की वस्तुओं के व्यापारी	250/–
131.	मनी बैग और घड़ी के चेन के व्यापारी	250/–
132.	नौसादर के व्यापारी	250/–
133.	आयरमैन और प्रौविजन के व्यापारी	1,000/–
134.	फिनायल के व्यापारी	250/–
135.	फोटोग्राफस के वस्तुओं के व्यापारी	500/–
136.	फिल्म और चित्र के व्यापारी	150/–
137.	फ्लाईउड के व्यापारी	750/–
138.	वर्षातीय (कोट) गम बूट के व्यापारी	300/–
139.	लेजर ब्लेड के व्यापारी	150/–
140.	रस्सी के (रोप) व्यापारी	150/–
141.	रबड़ वस्तुओं के व्यापारी	250/–
142.	चंदन लकड़ी (संदल) के व्यापारी	250/–
143.	कबाड़ वस्तुओं के व्यापारी	250/–
144.	(सीड) बीज और पौधों के व्यापारी	1500/–
145.	सिलाई मशीन के व्यापारी	250/–
146.	मीठे तेल के व्यापारी	250/–
147.	सिरप के व्यापारी	250/–

1	2	3
148	टार्च के व्यापारी	250/–
149	खिलौने के व्यापारी	250/–
150	टाइपराइटर के व्यापारी	1,500/–
151	छाता के व्यापारी	150/–
152	पानी के टोटी के व्यापारी	250/–
153	दन्त चिकित्सक	750/–
154	थोक अभिकर्ता (डिस्ट्रीबुटर)	1,000/–
155	मानचित्रकार (जो कर्मचारी न हो)	250/–
156	डिस्पेन्सिंग केमिस्ट	500/–
157	इलेक्ट्रोपेलेटर (विद्युतलेपक)	250/–
158	स्वर्णकार या रजतकार (जो कर्मचारी न हो)	250/–
159	इनकम टेक्स इक्सपर्ट (चार्टर्ड एकाउन्टेंट या अन्य)	750/–
160	जादू और खेल दिखाने वाला	150/–
161	मदरा के मालिक	1,500/–
162	ब्यूटी शाप के मालिक	1500/–
163	कैफे, रेस्टोरेन्ट, खाने के मकान या क्लब के मालिक	500/–
164	फूलों के दुकान के मालिक	250/–
165	हेयर ड्रेसिंग सेलून के मालिक	300/–
166	दूध वाले जानवर (छः जानवर जो फायदे के लिए हों) के मालिक	300/–
167	दूध वाले जानवर के मालिक (7 जानवर जो अधिक फायदे के लिए हों)	500/–
168	मिल्क बार के मालिक	250/–
169	हेयर कटिंग या सेविंग सेलून के मालिक	300/–
170	छोटी दुकान और मिसलेनियस वस्तुओं के मालिक	300/–
171	घोड़े के फार्म के मालिक	2,500/–
172	चाय, काफी के दुकान के मालिक	100/–
173	स्वीमिंग पुल के मालिक	1,000/–
174	भुजीया, पकौड़ा, चना, चूड़ा आदि बनाने और बेचने वाले	150/–
175	सन्दूक और बड़ा सन्दूक के बनाने एवं बेचने वाले	250/–
176	कैप और हैट के बनाने एवं बेचने वाले	250/–
177	तस्वीर एवं तस्वीर फ्रेम बेचने वाले	150/–
178	स्वीट मीट्स बेचने वाले	600/–
179	टोकरी के उत्पादक एवं विक्रेता	250/–
180	कैनवस या लेदर विक्रेता	1,500/–
131	अर्थेन तार विक्रेता	1,500/–
182	फलों के जूस और एसेन्सस या सिरप उत्पादक एवं विक्रेता	250/-
183	आइसक्रीम व आइसफ्रूट के उत्पादक बिक्रेता	750/-
184	मीटल वर्क्स के ,, ,,	1,500/-
185	सभी प्रकार के रस्सी के ,, ,,	250/-
186	औजार एवं मशीनरी के सामानों ,,	1,500/-
187	मजदूर (जो कर्मचारी न हो) राजगीर	100,-
188	अंग मर्दक	100/–
189	मनी एक्सचेन्जर	1,000/–
190	आटो रिक्शा के मालिक (15 रिक्शा प्रति)	1,000/–
191	ब्लाक-कार्टस, रिक्शा, टांगा, ट्राई साइकिल और विक्टोरीअस चलाने वाले के मालिक	150/–
192	मेटर फाउन्ड्रीं के मालिक	1,000/–
193	सेविंग मशीन के मालिक	1,500/–
194	पेन्टर (जो कर्मचारी न हो)	100/–
195	पाण्डा	100/–
196	किसी व्यक्ति के हड्डी सड़े-गले मांस, खून	150/–
197	इन अनुसूची में जो नहीं कहा गया है उन्हीं व्यक्तियों के लिए व्यवसाय हेतु	300/–
198	किसी व्यक्ति स्टेकिंग या मेलटिंग टेंलो	300/–
199	पेटिश्नर लेटर राइटर	100/-
200	पेनजारी/धुनिया	100/–
201	प्लम्बर	500/–
202	प्रिन्टर और स्टेशनर	500/–
203	नदी या घाट में नाव खेने वाले के मालिक	250/–
204	बोर्डिंग हाउस के प्रबन्धक (बोर्डर 10 से कम)	250/–
205	बोर्डिंग हाउस के प्रबन्धक (बोर्डर 11 से अधिक)	600/–
206	बेलबेट कढ़ाई के प्रबन्धक	150/–
207	स्केटिंग रिंग और डानसिंग हाल	1,500/–
208	सिलाई करने वाले दुकान के प्रबंधक	150/–
209	सिलाई के दो मशीनों के प्रबन्धक	250/–
210	सिलाई के तीन मशीन या अधिक के प्रबन्धक	500/–
211	टेक्सटाइल मिल के प्रबन्धक	2,500/–
212	सफाई एवं ड्राइंग कं० के प्रबन्धक	500/–
213	सिनेमा थियेटर के निदेशक या प्रबन्धक (15 दिन तक)	750/–
214	सिनेमा थियेटर के निदेशक या प्रबन्धक (15 दिन से कम)	1,500/–
215	इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० के मैनेजर या प्रोपराइटर	2,500/–

1	2	3
216	आर्म्स के मरम्मत	250/–
217	सर्कस के निदेशक एवं प्रबंधक	750/–
218	बूट, जूते इत्यादि की मरम्मत की दुकान	150/–
219	साईकल ग्रामोफोन या सिलाई मशीन की दुकान	250/–
220	घड़ियों की मरम्मत	150/–
221	फाउन्टेन पेन, टाईप राईटर मशीन की मरम्मत	250/–
222	मोटरकार और मोटरसाईकिल की मरम्मत	1,500/–
223	ताला और छाते की मरम्मत	100/–
224	मोटर साईकल की मरम्म	750/–
225	म्यूजिकल इन्स्ट्रूमेंट्स	250/–
226	रबड़ की मोंहर बनाने वाला	250/–
227	मूर्तिकार	1,000/–
228	कैंची चाकू इत्यादि की धार बनाने वाला	100/–
229	सर्राफ (सोने, चांदी आभूषण के विक्रेता)	500/–
230	स्टेशनर	250/–
231	सड़क फोटोग्राफर	250/–
232	ईंट, सीमेंट एवं पत्थर के सप्लायर	1,500/–
233	चूना बालू इत्यादि के सप्लायर	750/–
234	दर्जी	150/–
235	टैटोइस्ट	150/–
236	चमड़ा कमाने वाला	500/–
237	टैक्सी डरमिस्ट	100/–
238	अन्डरटेकर	250/–
239	पोरटेबिल वाटर या आइसक्रीम या दोनों के विक्रेता	250/–
240	पान की पत्तियों के विक्रेता	150/–
24	बिस्कुट, ब्रेड या केक के विक्रेता	150/–
242	मक्खन के विक्रेता	150/–
243	सूखी मछलियों के विक्रेता	150/–
244	दवाईयों या भारतीय दवाइयों के विक्रेता	250/–
245	मछली, अण्डे आदि के विक्रेता	250/–
246	फूलों और सब्जी के विक्रेता	150/–
247	घी के विक्रेता	250/–
248	बर्फ के विक्रेता	150/–
249	दूध के विक्रेता	150/–
250	चीनी, मिठाई सामग्री, मिठाई के विक्रेता	250/–
251	निरा के विक्रेता	500/–
252	वेटेनरी सर्जन	500/–
253	वक्लनाइजर	250/–
254	धोबी (जो कर्मचारी न हो)	100/–
255	वेल्डर "	100/–
256	वायरमैन "	100/–
25	नाई "	100/–
258	बैटरी चार्ज करने वाला	250/–
259	भरभूंजा (ग्रेन पारपर)	150/–
260	बुक बाइंडर (जो कर्मचारी न हो)	250/–
261	लोम चर्म व्यापारी	150/–
262	फिटर (जो कर्मचारी न हो)	150/–
263	फारचून टेलर	150/–
264	फ्रेम बनाने वाला	150/–
265	हकीम	150/–
266	हाकर या पेडलर	150/–
267	फल और सब्जियों के फेरीवाला	150/–
268	हैल्डकाल्ड अथवा स्टास के फेरीवाला	150/–
269	12 अथवा उससे कम किराये पर चलाने वाला साईकिल	300/–
270	13 अथवा उससे ज्यादा किराये पर चलाने वाला साईकिल	500/–

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Mumbai-400 021, the 30th March 2000

Notice is hereby given that the Register of Shareholders of the State Bank of India, will be closed for transfer of shares for payment of interim dividend for 1999-2000, from Wednesday, the 3rd May, 2000 to Tuesday, the 9th May, 2000, both days inclusive.

G. G. VAIDYA
Chairman

ALLAHABAD BANK
(HEAD OFFICE)

Calcutta-700001, the 23rd February 2000

ALLAHABAD BANK GENERAL REGULATIONS, 1999

No. Gen A/c 001626.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition & transfer of undertakings) Act, 1970 the Board of Directors of Allahabad Bank after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations, namely :—

CHAPTER-1

INTRODUCTORY

1. Short title and commencement :—

(i) These regulations may be called Allahabad Bank General Regulations, 1999.

(ii) These regulations shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions—In these regulations, unless there is any thing repugnant to the subject or context or meaning thereof—

(a) "Act" means Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970);

(b) "Bank" means Allahbad Bank, constituted under Section 3 of the Act.

(c) "Board" means the Board of Directors constituted under Section 9 of the Act,

(d) "Chairman" means Chairman of the Board;

(e) "Committee" means a Committee as constituted by the Board;

(f)"Executive Director" means the wholetime Director, not being the Managing Director.

(g) "General Manager" means General Manager of the Bank;

(h) "Management Committee" means a Committee constituted under Clause 13 of the Scheme;

(i) "Managing Director" means Managing Director of the Bank;

(j) "Register" means the register of Shareholders kept in one or more books of the Bank and includes the register of Shareholders kept in Computer floppies or diskettes under sub-section (2G) of Section 3 of the Act;

(k) "Registrar" means the person appointed by the Bank for—

(i) collecting applications from investors in respect of an issue.

(ii) keeping a proper record of applications and monies received from investors or paid to the seller of the securities,

(iii) assisting the Bank

(a) determining the basis of allotment of securities in consultation with the stock exchange.

(b) finalising the list of persons entitled to allotment of securities.

(c) Processing and despatching allotment letters, refund orders or certificates and other related documents in respect of the issue, and

(iv) Such other function as assigned from time to time by the Bank.

(l) "Scheme" means the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;

(m) "Share" means share in the Share Capital of the Bank;

(n) "Share Transfer Agent" includes—

(i) any person, who on behalf of the Bank maintains the records of holders of securities issued by the Bank and deals with all matters connected with the transfer and redemption of its securities, or

(ii) a department or division (by whatever name called) of the Bank performing the activities referred in sub-clause (i);

(o) words and expressions used in Chapter III and not defined in these Regulations but defined in the Depositories Act, 1996 (Act 22 of 1996), shall have the meaning respectively assigned to them in the said Act.

(p) Other expressions used and not defined in these regulations but used in the Act or the Scheme shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the Scheme.

CHAPTER II

SHARES AND SHARE REGISTER

3. Nature of Shares—The shares of Allahabad Bank shall be moveable property, transferable in the manner provided under these regulations.

4. Kinds of share capital

(i) Preference Share Capital means that part of share capital of Allahabad Bank which fulfils both the following conditions :—

(A) as respects dividends, it carries a preferential right to be paid a fixed amount or an amount calculated at fixed rate, which may be either free of or subject to income-tax, and

(B) as respect capital, it carries or will carry, on winding up to repayment of capital a preferential right to be repaid the amount of the capital paid-up or deemed to have been paid-up, whether or not there is preferential right to the payment of either or both of the following amounts, namely :—

(a) any money remaining upaid in respect of the amounts specified in clause (A) upto the date of winding up or repayment of capital , and

(b) any fixed premium or premium on any fixed scale, specified by the Board with the previous consent of the Central Government.

(ii) "Equity Share Capital" means all share capital, which is not preference share capital.

(iii) The expressions "Preference Share" and "Equity Share" shall be construed accordingly.

5. Particulars to be entered in the register

(i) A share register shall be kept, maintained and updated in accordance with sub-section 2(F) of Section 3 of the Act.

(ii) In addition to the particulars specified in sub-section 2(F) of Section 3 of the Act, such other particulars as the Board may specify shall be entered in the register.

(iii) In the case of joint holders of any share, their names and other particulars required by sub regulation (i) shall be grouped under the name of the first of such jointholders.

(iv) Subject to the proviso of sub-section 2(D) of Section 3 of the Act, a shareholder resident outside India may furnish to the Bank an address in India, and any such address shall be entered in the register and be deemed to be his registered address for the purposes of the Act and these regulations.

(v) No Notice of any trust, express implied or constructive, shall be entered on the register or be receivable by the Bank.

6. Control over shares and registers—Subject to the provisions of the Act and these regulations, and such directions as the Board may issue from time to time, the register shall be kept and maintained at the Head Office of Allahabad Bank and be under the control of the Board and the decision

of the Board as to whether or not a person is entitled to be registered as a shareholder in respect of any share shall be final.

7. Parties who may not be registered as shareholders—

(i) Except as otherwise provided by these regulations, all persons who are not competent to contract shall not be entitled to be registered as a shareholder and the decision of the Board in this regard shall be conclusive and final.

(ii) In case of firms, shares may be registered in the names of the individual partners and no firm, as such, shall be entitled to be registered as a shareholder.

8. Maintenance of share register in computer system etc.

(i) The particulars required to be entered in the share register under sub-section 2 (F) of Section 3 of the Act, read with those mentioned in regulation 5, shall be maintained under sub-section 2 (G) of Section 3 of the Act, in the form of data stored in magnetic/optical/magneto-optical media by way of diskettes, floppies, cartridges or otherwise (hereinafter referred to as the "media") in computers to be maintained at the Head Office and the back up at such location as may be decided from time to time by the Chairman and Managing Director or any other official not below the rank of a General Manager designated in this behalf by the Chairman and Managing Director (hereinafter referred to as "the designated official").

(ii) Particulars required to be entered in the share register under Section 3 (B) of the Act read with Section 11 of the Depositories Act, 1996 shall be maintained in the electronic form in the manner and in the form as prescribed therein.

9. Safeguards for protection of computer system

(i) The access to the system set out in Regulation 8 (i) in which data is stored shall be restricted to such persons including Registrars to an issue and/or share transfer agents as may be authorised in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official and the passwords if any, and the electronic security control systems shall be kept confidential under the custody of the said persons.

(ii) The access by the authorised persons shall be recorded in logs by the computer system and such logs shall be preserved with the officials/persons designated in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official.

(iii) Copies of the back-ups shall be taken on removable media at intervals as may be specified from time to time by the Chairman and Managing Director or the designated official, incorporating the changes made in the register of shareholders. At least one of these copies shall be stored in a location other than the premises in which processing is being done. This copy shall be stored in a fireproof environment with locking arrangement and at the requisite temperature. The access to the back-ups in both the locations shall be restricted to persons authorised in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official. The persons so authorised shall record the access in a manual register kept at the location.

(iv) It shall be the duty of the authorised persons to compare the data on the back-ups with that on the computer system by using appropriate software to ensure correctness of the back up. The result of this operation shall be recorded in the register maintained for the purpose.

(v) It shall be competent for the Chairman and Managing Director, by special or general order, to add or modify the instructions, stipulations in regard to the safeguards to be observed in maintaining the register of the shareholders in the computer system with due regard to the advancement of technology, and/or in the exigencies of situation or for any other relevant consideration.

10. Exercise of rights of joint holders.—If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Allahabad Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

11. Inspection of Register

(i) The register shall, except when closed under Regulation 2, be open to inspection of any shareholder, free of charge, at the place where it is maintained during business hours subject to such reasonable restrictions as the Board may impose, but so that not less than two hours in each working day shall be allowed for inspection.

(ii) Any shareholder may make extracts of any entry in the register, free of charge or if he requires a copy or computer prints of the register or of any part thereof, the same will be supplied to him on pre-payment at the rate of Rs. 5/- for every 100 words or fractional part thereof required to be copies.

(iii) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (ii), any duly authorised officer of the Government shall have the right to make a copy of any entry in the register or be furnished a copy of the register or any part thereof.

12. Closing of the register

The Bank may after giving not less than seven days previous notice by advertisement in at least two newspapers circulating in India close the register of shareholders for any period or periods not exceeding in the aggregate forty-five days in each year, but not exceeding thirty days at any one time as shall, in its opinion, be necessary.

13. Share Certificates—

(i) Each share certificate shall bear share certificate number, a distinctive number, the number of shares in respect of which it is issued and the name of the shareholder to whom it is issued and it shall be in such form as may be specified by the Board.

(ii) Every share certificate shall be issued under the common seal of the Bank in pursuance of a resolution of the Board and shall be signed by two directors and some other officer appointed by the Board for the purpose.

Provided that the signature of the directors may be printed, engraved, lithographed or impressed by such other mechanical process as the Board may direct.

(iii) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as a signature in the proper handwriting of the signatory himself.

(iv) No share certificate shall be valid unless and until it is so signed Share Certificate so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign share certificate on behalf of the Bank.

(v) Should the share certificate so prepared contain the signature of an authorised person, as stated in sub-clause (ii) above, who however is dead at the time of issue of the certificate, the Bank may, by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the certificate and have the signature or any other authorised person affixed to it. The share certificate so issued shall be valid.

14. Issue of share certificates

(i) While issuing share certificates to any shareholder, it shall be competent for the Board to issue the certificates on the basis of one certificate for every hundered shares or multiples thereof registered in his name on any one occasion and one additional share certificate for the number of shares in excess thereof but which are less than hundred.

(ii) If the number of shares to be registered is less than hundred, one certificate shall be issued for all the shares.

(iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the bank shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.

15. Renewal of share certificates

(i) If any share certificate is worn out or defaced, the Board or the Committee designated by it on production of such certificate may order the same to be cancelled and have a new certificate issued in lieu thereof.

(ii) If any share certificate is alleged to be lost or destroyed, the Board or the Committee designated by it on such indemnity with or without surety as the Board or the Committee thinks fit, and on publication in two newspapers and on payment to Allahabad Bank of its costs, charges and expenses, a duplicate certificate in lieu thereof may be given to the person entitled to such lost or destroyed certificate.

16. Consolidation and sub-division of shares

On a written application made by the shareholder(s), the Board or the Committee designated by it may consolidate or sub-divide the shares submitted to it for consolidation/sub-division as the case may be and issue a new certificate(s) in lieu thereof on payment to the Bank of its costs, charges and expenses of and incidental to the matter.

17. Transfer of shares

(i) Every transfer of the shares of the Bank shall be by an instrument of transfer in Form "A" annexed hereto or in such other form as may be approved by the Bank from time to time and shall be duly stamped, dated and executed by or on behalf of the transferor and the transferee alongwith the relative share certificate

(ii) The instrument of transfer alongwith the share certificate shall be submitted to the Bank at its Head Office and the transferor shall be deemed to remain the holder of such shares until the name of the transferee is entered in the share register in respect thereof

(iii) Upon receipt by the Bank, of an instrument of transfer alongwith a share certificate with a request to register the transfer, the Board or the Committee designated by the Board shall forward the said instrument of transfer alongwith share certificate to the Registrar and/or Share Transfer Agents for the purpose of verification that the technical requirements are complied within their entirety. The Registrar and/or Share Transfer Agent shall return the instrument of transfer alongwith the share certificate if any to the Transferee for resubmission unless :

(a) Properly executed for registration and is accompanied by the certificate of the shares to which it relates and such other evidence as the Board may require to show the title of the transferor to make such transfer,

(b) The registrar is satisfied that the transferee is qualified to be registered as a shareholder of the Bank in respect of the shares covered by the instrument of transfer,

(iv) The Board or the Committee designated by the Board shall unless it declines to register the transfer under regulation 19 hereinafter cause the transfer to be registered.

18. Power to suspend transfers.—The Board or the Committee designated in the Board shall not register any transfer during any period in which the register is closed.

19. Board's right to refuse registration or transfer of shares

(i) The Board may refuse transfer of any shares in the name of the transferee on any one or more of the following grounds and on no other grounds :—

(a) the transfer of shares is in contravention of the provisions of the Act or regulations made thereunder or any other law or that any other requirement under the law relating to registration of such transfer has not been complied with:

(b) the transfer of shares in the opinion of the Board is prejudicial to the interests of the Bank or to public interest

(c) the transfer of shares is prohibited by an order of court, Tribunal or any other authority under any law for the time being in force,

(d) an individual or company resident outside India or any company incorporated under any law not in force in India or any branch of such company [illegible]

in the aggregate will exceed the percentage being more than 20% (twenty) of the paid up capital or as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette.

Provided however, that the powers of the refusal mentioned in sub-regulation (i) (c) above may be exercised by the Committee designated by the Board in this behalf.

(ii) The Board shall, after the instrument of transfer of shares of the Bank is lodged with it for the purpose of registration of such transfer form its opinion as to whether such registration ought or ought not to be refused on any of the grounds referred to in sub-regulation (i).

(a) If it has formed the opinion that such registration ought not to be so refused, effect such registration; and

(b) If it has formed the opinion that such registration ought to be refused on any of the grounds mentioned in sub-regulation (i) intimate the Transferor and the Transferee by notice in writing within 60 days from the receipt of the Transfer Form.

20. Transmission of shares in the event of death, insolvency etc

(i) The executors or administrators of a deceased shareholder in respect of a share, or the holder of letter of probate or letters of administration with or without the will annexed or a succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925, or the holder of any legal representation or a person in whose favour a valid instrument of transfer was executed by the deceased sole holder during the latter's lifetime shall be the only person who may be recognised by Allahabad Bank as having any title to such share.

(ii) In the case of shares registered in the name of two or more shareholders, the survivor or survivors and on the death of the last survivor, his executors or administrators or any person who is the holder of letters of probate or letters of administration with or without will annexed or a succession certificate or any other legal representation in respect of such survivor's interest in the share or a person in whose favour a valid instrument of transfer of share was executed by such person and such last survivor during the latter's lifetime shall be the only person who may be recognised by Allahabad Bank as having any title to such share

(iii) Allahabad Bank shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration or succession certificate as the case may be, from a court of competent jurisdiction.

Provided, however, that in a case where the Board in its discretion thinks fit, it shall be awful for the Board to dispense with the production of letters of probate or letters of administration or succession certificate or such other legal representation upon such terms as to indemnify or otherwise as it may think fit.

(iv) Any such person becoming entitled to a share in coming entiteld or [illegible] of a shareholder shall upon pro coming entitled to a share in consequence of the insolvency bankruptcy or liquidation of a shareholder shall upon production of such evidence, as the Board may require, have the right—

(a) to be registered as a shareholder in respect of such share.

(b) to make such transfer of such share as the person from whom he derives title could have made

21. Shareholder ceasing to be qualified for registration.—It shall be the duty of any person registered as a shareholder whether solely or jointly with another or others forthwith upon ceasing to be qualified to be so registered in respect of any share to give intimation thereof to the Board of Directors in this regard

22. Calls on Shares.—The Board may from time to time, [illegible] calls [illegible] in respect of all moneys remaining unpaid on the shares held

by them, which are by the conditions of allotment not made payable at fixed times, and each shareholder shall pay the amount of every call so made on him to the person and at the time and place appointed by the Board. A call may be payable by instalments.

23. Calls to date from resolution.—A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorising such call was passed and may be made payable by the shareholders on the register on such date or at the discretion of the Board on such subsequent date as may be fixed by the Board.

24. Notice of call.—A notice of not less than thirty days of every call shall be given specifying the time of payment provided that before the time of payment for such call the Board may by notice in writing to the shareholders revoke the same.

25. Extension of time for payment of call.—The Board may, from time to time and at its discretion, extend the time fixed for the payment of any call to all or any of the shareholders having regard to distance of their residence or some other sufficient cause, but no shareholder shall be entitled to such extension as a matter of right.

26. Liabilities of joint holders.—The joint holders of a share shall be jointly hand severally liable to pay all calls in respect thereof.

27. Amount payabe at fixed time or by instalments as calls.—If by the terms of issue of any share or otherwise any amount is payable at any fixed time or by instalments at fixed times, every such amount or instalment shall be payable as if it were a call duly made by the Board and of which due notice had been given and all the provisions herein contained in respect of the calls shall relate to such amount or instalment accordingly.

28. When interest on call or instalment payable.—If the sum payable in respect of any call or instalment is not paid on or before the day appointed for payment thereof, the holder for the time being or allottee of the share in respect of which a call shall have been made, or the instalment shall be due, shall pay interest on such sum at such rate as the Board may fix from time to time from the day appointed for the payment thereof to the time of actual payment, but the Board may at its discretion waive payment of such interest wholly or in part.

29. Non-payment of calls by shareholder.—No shareholder shall be entitled to receive any dividend or to exercise any right of a shareholder until he shall have paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, whether singly or jointly with any person, together with interest and expenses, as may be levied or charged.

30. Notice on non-payment of call or instalment.—If any shareholder fails to pay the whole or any part of any call or instalment or any money due in respect of any share either by way of principal or interest on or before the day appointed for the payment of the same, Allahabad Bank may at any time thereafter during such time as the call or instalment or any part thereof or other moneys remain unpaid or a judgement or decree in respect thereof remains unsatisfied in whole or in part, serve a notice on such shareholder or on the person (if any) entitled to the share by transmission, requiring him to pay such call or instalment or such part thereof or other moneys as remain unpaid together with any interest that may have accrued and all expenses (legal or otherwise) that may have been paid or incurred by Allahabad Bank by reason of such non-payment.

31. Notice of Forfeiture.—The notice of forfeiture shall name a day not being less than fourteen days from the date of the notice and the place or places on and at which such call or instalment or such part or other monies and such interest and expenses as aforesaid are to be paid. The notice shall also state that the event of non-payment on or before the time and at the place appointed the share in respect of which the call was made or instalment is payable will be liable to be forfeited.

32. Shares to be forfeited on default.—If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any of the shares in respect of which such notice has been given may at any time thereafter for non-payment of all calls or instalments interest and expenses or the money due in respect thereof, be forfeited by a resolution of the Board to that effect. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect of the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture.

33. Entry of forfeiture in the register.—When any share has been forfeited under regulation 32, an entry of the forfeiture with the date thereof shall be made in the register.

34. Forfeited shares to be property of Allahabad Bank and may be sold.—Any share so forfeited shall be deemed to be the property of Allahabad Bank and may be sold reallotted or otherwise disposed of to any person upon such terms and in such manner as the Board may decide.

35. Powers to annual forfeiture.—The Board may, at any time, before any share so forfeited under regulation 32 shall have been sold, reallotted or otherwise disposed of annul the forfeiture thereof upon such conditions as it may think fit.

36. Shareholder liable to pay money owing at the time of forfeiture and interest.—Any shareholder whose shares have been forfeited shall, notwithstanding the forfeiture, be liable to pay and forthwith pay to Allahabad Bank all calls, instalments, interest, expenses and other moneys owing upon or in respect of such shares at the time of forfeiture with interest thereon from the time of forfeiture until payment at such rate as may be specified by the Board and the Board may enforce the payment of the whole or a portion thereof.

37. Partial payment not to preclude forfeiture.—Neither a judgement nor a decree in favour of Allahabad Bank for calls or other monies due in respect of any shares nor any payment or satisfaction thereunder nor the receipt by Allahabad Bank of a portion of any money which shall be due from any shareholder from time to time in respect of any shares either by way of principal or interest nor any indulgence granted by Allahabad Bank in respect of payment of any money shall preclude the forfeiture of such shares under regulations.

38. Forfeiture of share extinguishes all claims against Bank.—The forfeiture of a share shall involve extinction, at the time of the forfeiture of all interest in and all claims and demands against the Bank in respect of the share and all other rights incidental to the share, except only such of those rights as by these presents expressly waived.

39. Original shares null and void on sale, re-issue, re-allotment or disposal on being forfeited.—Upon any sale, re-issue, re-allotment or other disposal under the provisions of the proceeding regulations, the certificate(s) originally issued in respect of the relative shares shall (unless the same shall on demand by the Bank have been previously surrendered to it by the defaulting member) stand cancelled and become null and void and of no effect, the Board shall be entitled to issue a new certificate or certificates in respect of the said shares to the person or persons entitled thereto.

40. Application of forfeiture provisions.—The provisions of these regulations as to the forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which by terms of issue of a share become payable at a fixed time, whether on account of nominal value of the shares or by way of premium as if the same had been payable by virtue of a call duly made.

41. Lien on shares—

(i) The Bank shall have a first and paramount lien

(a) on every share (not being a fully paid share), for all moneys (whether presently payable or not) called or payable at a fixed time in respect of that share;

(b) on all shares (not being fully paid shares) standing registered in the name of a single person, for all moneys presently payable by him or his estate to the Bank;

(c) Upon all the shares registered in the name of each person (whether solely or jointly with others) and upon the proceeds of sale thereof for his debts, liabilities, and engagements solely or jointly with any other person to or with the Bank, whether the

period for the payment, fulfilment, or discharge thereof shall have actually arrived or not and no equitable interest in any share shall be recognised by the Bank over its lien.

Provided that the Board of Directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause.

(ii) The Bank's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable thereon.

42. Enforcing Lien by Sale of Shares—

(i) The Bank may sell, in such manner as the Board thinks fit, any shares on which the company has a lien :

(a) if a sum in respect of which the lien exists is presently payable, and

(b) after the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.

(ii) To give effect to any such sale, the Board may authorise some officer to transfer the shares sold to the purchased thereof.

43. Application of proceeds of sale of shares.—The net proceeds of any sale of shares under regulation 42 after deduction of costs of such sale, shall be applied in or towards the satisfaction of the debt or liability in respect whereof the lien exists so far as the same is presently payable and the residue, if any, be paid to the shareholders or the person, if any, entitled by transmission to the shares so sold.

44. Certificate of forfeiture.—A certificate in writing under the hands of any director, or any other officer of Allahabad Bank duly authorised in this behalf, that the call in respect of a share was made and that the forfeiture of the share was made by a resolution of the Board to that effect, shall be conclusive evidence of the fact stated therein as against all persons entitled to such shares.

45. Title of purchase and allottee of forfeited share.—Allahabad Bank may receive the consideration, if any given for the share if any sale, reallotment or other disposition thereof and the person to whom such share is sold, reallotted or disposed of may be registered as the holder of the share and shall not be bound to see to the application of the consideration, if any, nor shall his title to the share be effected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale, reallotment or other disposal of the share and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against Allahabad Bank exclusively.

46. Service of a notice or document to shareholders—

(i) The Bank may serve a notice or a document on any shareholder either personally, or by ordinary post at his registered address or if he has no registered address in India, at the address, if any, within India supplied by him to the Bank for giving of notice to him.

(ii) Where a document or a notice is sent by post, the service of such document or notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying and posting a letter containing the document or notice ;

Provided that where a shareholder has intimated to the Bank in advance that documents should be sent to him under a certificate of posting or by registered post, with or without acknowledgement due and has deposited with the Bank a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of the document or notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the shareholder. And such service shall be deemed to have been effected in the case of a notice of a meeting at the expiration of forty-eight hours after the letter containing the same is posted, and in any other case, at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course of post.

(iii) A notice or a document advertised in a newspaper widely circulated in India shall be deemed to be duly served on the day on which the advertisement appears on every shareholder of the Bank who has no registered address in India and has not supplied to the Bank an address within India for giving of notice to him.

(iv) A notice or document may be served by the Bank on the joint holder of a share by effecting service on the joint-holder named first in the register in respect of the share and notice so given shall be sufficient notice to all the holders of the said shares.

(v) A notice or a document may be served by the Bank on the persons entitled to a share upon death or in consequence of the insolvency of a shareholder by sending it through post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or assignees of the insolvent, or by any like description, at the address, if any, in India supplied for the purpose by the persons, claiming to be so entitled, or until such an address has been so supplied, by serving the document in any manner in which it might have been served if the death of insolvency had not occurred.

(vi) The signature to any notice to be given by the Allahabad Bank may be written or printed.

CHAPTER III

SECURITIES OF THE BANK HELD IN A DEPOSITORY

47. Agreement between a depository and the Bank.—The Bank may enter into an agreement with one or more depository to avail of its services in respect of securities issued by the Bank.

48. Agreement between a Participant and the depository—

(i) Any participant may enter into an agreement with the depository to act as its agent. The depository with whom the agreement will be entered into will be one one whose services the Banks has agreed to avail of under Regulation 47.

(ii) Any shareholder of the bank may through the participant enter into an agreement with the depository in the form specified by such depository for availing its services in respect of securities issued by the Bank.

49. Surrender of certificate of security—

(i) Any shareholder or holder of any security of the bank who has entered into an agreement under regulation 48 above, shall surrender the certificate of security in respect of which he seeks to avail the service of a depository to the bank.

(ii) The Bank on receipt of the certificate of security under sub-regulation (i) above, shall cancel the certificate of security and substitute in its record the name of the depository as registered owner in respect of that security and inform the depository accordingly.

(iii) A depository shall, on receipt of information under sub-regulation (ii) above, enter the name of the person referred to in sub-regulation (i) above, in its records as the beneficial owner.

50. Registration of transfer of securities with depository.—Every depository shall on receipt of intimation to effect transfer from the Bank register the transfer of securities in the name of the transferee.

51. Option to receive security certificate or to hold the security held with a depository :

(i) Every person subscribing to securities offered by the Bank, shall have option either to receive security certificate or hold the security with the depository.

(ii) When a person opts to hold security with the depository the Bank shall intimate such depository details of allotment of securities and on receipt of such information, the depository shall enter in its register, name of the allottee as the beneficial owner of that security.

52. Securities in depository to be in a fungible form.—All securities held by the depository shall be dematerialised and shall be in a fungible form.

53. Rights of beneficial owner.—The beneficial owner shall be entitled to all the rights and benefits and be subjected to all the liabilities in respect of his securities held by the depository.

54. Register of Beneficial Owner—

(i) Every depository shall maintain a register and an index of beneficial owners in such form as may be prescribed under the Depositories Act, 1996 or by SEBI in respect of securities of the bank held by the Depository.

(ii) The depository shall furnish to the Bank, at such intervals as may be prescribed by the Bank, an updated copy of the register and index of the beneficial owners maintained by it.

55. Option to opt out in respect of any securities—

(i) If the beneficial owner seeks to opt out from the depository in respect of any security, he shall inform the depository accordingly.

(ii) The depository shall on receipt of such intimation under sub-regulation (i) above make appropriate entries in its records and shall inform the Bank.

(iii) The Bank shall within 30 (thirty) days of the receipt of intimation from the depository and on fulfillment of such conditions and on payment of such fees as may be specified in the SEBI Depositories and Participants Regulations, 1996 and/or the Depositories Act, 1996 issue a certificate of security to the beneficial owner or the transferee as the case may be.

CHAPTER IV

MEETINGS OF SHAREHOLDERS

56. Notice convening an Annual General Meeting

(i) A notice convening an annual general meeting of the shareholders signed by the Chairman and Managing Director or Executive Director or any authorised official of Allahabad Bank shall be published at least twenty one clear days before the meeting in not less than two daily newspaper having wide circulation in India.

(ii) Every such notice shall state the time date and place of such meeting and also the business that shall be transacted at that meeting.

(iii) The time and date of such meeting shall be as specified by the Board. The meeting shall be held at the place of Head Office of Allahabad Bank.

57. Extraordinary General Meeting :-

(i) The Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director of the Bank or in his absence any one of the Directors of the Bank may convene an Extra Ordinary General Meeting of shareholders if so directed by the Board or on a requisition for the same having been received either from the Central Government or from other shareholders holding shares, carrying in the aggregate, not less than ten percent of the total voting rights of all the shareholders.

(ii) The requisition referred to sub-regulation (i) shall state the purpose for which the Extra Ordinary General Meeting is required to be convened but may consist of several documents in like form each signed by one or more of the requisitions.

(iii) Where two or more persons hold any shares jointly, the requisition or a notice calling a meeting signed by one or some of them shall, for the purpose of this regulation have the same force and effect as if it had been signed by all of them.

(iv) The time, date and place of Extra Ordinary General Meeting shall be decided by the Board :

Provided that the Extra Ordinary General Meeting convened on the requisition by the Central Government or other shareholder shall be convened not later than 45 days of the receipt of the requisition.

(v) If the Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director, as the case may be, does not convene a meeting as required by sub-regulation (i), within the period stipulated in the proviso to sub-regulation (iv), the meeting may be called by the requisitionist themselves within three months from the date of the requisition :

Provided that nothing in this sub-regulation shall be deemed to prevent a meeting duly convened before the expiry of the period of three months aforesaid from being adjourned to some day after the expiry of that period.

(vi) A meeting called under sub-regulation (v) by the requisitionist shall be called in the same manner, as nearly as possible as that in which other general meetings are called by the Board.

58. Quorum of general meeting—

(i) No business shall be transacted any meeting of the shareholders unless a quorum of atleast five shareholders entitled to vote at such meeting in person are present at the commencement of such business.

(ii) If within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting a quorum is not present, in the case of a meeting called by a requisition of shareholders other than the Central Government, the meeting shall stand dissolved.

(iii) In any other case if within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week, at the same time and place or to such other day and such other time and place as the Chairman may determine. If at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative as such adjourned meeting shall be quorum and may transact the business for which the meeting was called .

Provided that no annual general meeting shall be adjourned to a date later than the date within which such annual general meeting shall be held in terms of section 10A(1) of the Act and if adjournement of the meeting to the same day in following week would have this effect, the annual general meeting shall not be adjourned but the business of the meeting shall be commenced within one hour from the time appointed for the meeting if the quorum is present or immediately after the expiry of one hour from that time and those shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative at such time shall form the quorum.

59. Chairman at general meeting—

(i) The Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director or in his absence such one of the directors as may be generally or in relation to a particular meeting be authorised by the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director in this behalf, shall be the Chairman of the meeting and if the Chairman and Managing Director or the Executive Director or any other director authorised in this behalf is not present, the meeting may elect any other director present to be the Chairman of the meeting.

(ii) The Chairman of the general meeting shall regulate the procedure at general meetings and in particular shall have power to decide the order in which the shareholders may address the meeting or a time limit to speeches, to apply the closure, when in his opinion any matter has been sufficiently discussed and to adjourn the meeting.

60. Person entitled to attend general meeting :-

(i) All directors and all shareholders of Allahabad Bank shall, subject to the provisions of sub-regulation (ii) be entitled to attend a general meeting.

(ii) A shareholder (not being the Central Government) or a Director, attending a general meeting shall for the purpose of identification and to determine his voting rights, be

required to sign and deliver to the Bank a form to be specified by the chairman containing particulars relating to—

(a) his full name and registered address;

(b) the distinctive numbers of his shares;

(c) whether he is entitled to vote and the number of votes to which he is entitled in person or by proxy or as a duly authorised representative.

61. Voting at general meetings

(i) At any general meeting a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is duly demanded, be decided on a show of hands.

(ii) Save as otherwise provided in these regulations every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.

(iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.

(4) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in Allahabad Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in repect of the resolution.

(5) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

(6) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.

(7) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time which the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.

(8) The decision of the chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

62. Minutes of the general meetings—

(i) Allahabad Bank shall cause the minutes of all proceedings to be maintained in the books kept for the purpose.

(ii) Any such minutes, if purporting to be signed by the chairman of the meeting at which the proceedings were held, or by the chairman of the next succeeding meeting shall be evidence of the proceedings.

(iii) Until the contrary is proved, every general meeting in respect of the proceedings thereof minutes have been so made shall be deemed to have been duly called and held, and all proceedings held thereat to have been duly held.

CHAPTER V

ELECTION OF DIRECTORS

63. Directors to be elected by general meeting

(i) A director under clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the general meeting of Allahabad Bank.

(ii) Where an election of a director is to be held at any general meeting the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. List of shareholders—

(i) For the purpose of election of a director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.

(ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting number of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase atleast three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

65. Nomination of candidates for election

(i) "No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,

(a) he is a shareholder holding of at least 100 shares in Allahabad Bank.

(b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Schemes.

(c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;

(d) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of Allahabad Bank and such copy shall be deemed to be nomination on behalf of such company.

(e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalised bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a director.

(ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of Allahabad Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

66. Scrutiny of nominations

(i) Nomination shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convenced for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.

(ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

(iii) A director elected to fill an casual vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, deemed to be elected.

67. Election disputes

(i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate of shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Allahabad Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

(ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Allahabad Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section 3 of Section 9 of the Act.

(iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall made such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

(iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER VI

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

68. Determination of voting rights—

(i) Subject to the provisions contained in section 3 (2E) of the Act each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)

Explanation—For this Chapter, "Company" means anybody corporate.

(iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself, but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.—

69. Voting by duly authorised representative

(i) A shareholder, being the Central Government or a company, may be a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Allahabad Bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorised representative of the Central Government/company.

(ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Allahabad Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the head office of the Allahabad Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

70. Proxies

(i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his attorney duly authorised in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by an shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government gazetted officer or an Officer of the Allahabad Bank.

(ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the head office of Allahabad Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with Allahabad Bank.

(iii) No intsrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

(iv) An instrument of proxy deposited with Allahabad Bank shall be irrevocable and final.

(v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

(vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

(vii) No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Allahabad Bank.

FORM 'A'

Share Transfer Form

[See sub-regulation (i) of Regulation 17]

For the Consideration stated below the "Transfer(s)" named to hereby transfer to the "Transferee (s)" named the shares specified below subject to the conditions on which the said shares are now held by the Transferor(s) and the Transferee (s) do hereby agree to accept and hold the said shares subject to the conditions afforesaid.

Full Name of the Company

Name of the recognised Stock Exchange, share, Dealt in, if any.

Description of Equity Shares

No. in Figures	Number in words	Consideration (in figures)	Consideration (in words)
Distinctive Numbers		From	
		To	

Corresponding Certificate Nos.

Transferor(s) [Seller(s)] Particulars	Regd Folio No.	Signature(s)
Name(s) in full	1. ————	1. ————
	2. ————	2. ————
	3. ————	3. ————
	4. ————	4. ————

ATTESTATION

I hereby attest the signature of the Transferor(s) herein Mentioned

Signature of Witness

Signature

Name

Name and address of witness

Address/Seal

PIN

Transferee(s)	Buyer(s) Particulars	Signature(s)
Name (s) in full	1. ————	1. ————
	2. ————	2. ————
	3. ————	3. ————

Occupation	Address	Father's/husband's Name
1.		
2.		
3.		

Transferee(s) existing Folio if any, in same order of Names ____________ Value of Stamps affixed Rs.____________

Dated this ____________day of____________ One Thousand Nine hundred____________

____________Place ____________

For Office use only

Checked by____________

Signature tallied by

____

/Folio	/Company Code
Specimen	1. ____________
Signature(s)	2. ____________
of Transferee(s)	3. ____________

Entered in Registration of
Transfer No.____________
Approval Date____________

Instruction for Attestation

Attestation where required (thumb impressions marks, signature difference etc.) should be done by a Magistrate. Notary Public or Special Executive Magistrate or a similar authority holding a Public Office and authorised to use the seal of his office or a member of a recognised Stock Exchange through whom the shares are introduced or a manager of the Transferor's Bank.

NOTE : Names must be rubber stamped preferably in a straightline Chronological order should be maintained Broker's Clearing Number should be stated when delivery is given by a clearing Member Bank.

Name of delivering Broker or Clearing Member	Date
____________	______

Power of Attorney/probate/Death Certificate

Letters of administration

Registered with the Company
No.____________ Date-____________

[Signature (not initials) or broker Bank Company or Stock Exchange Clearing House]

Lodged By :____________

Full Address : ____________

Share Certificate to be Returned to
(Fill in the name and address to which the certificates are required to be returned)

Name & Address : ____________

Share Transfer Stamps

FORM 'B'

FORM OF PROXY

[See sub-regulation (iii) of Regulation 70]

Folio No.....
(to be filled in by the shareholder)

I/ We, resident of .....in the district of .....
.....in the State of .....being a shareholder/shareholders of the Allahabad Bank hereby appoint Shri.....
Resident of .....in the district of .....in the state of .....or failing him, Shri .....resident of.....in the district of .....in the State of .....as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the meeting of the Shareholders of the Allahabad Bank to be held on the .....day of.....2000....., and at any adjournment thereof.

Signed this .....day of 2000

Name : .....

Address : .....
.....

Affix Revenue Stamp

Sd/-
U. S. GHOSE,
General Manager,
Finance & Accounts

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Chennai-600 034, the 28th February 2000

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3SCA(8)/3/1999-2000.—In pursuance of Clause (iii) Regulation 10(i) of the Chartered Accountants Regulations, 88 it is hereby notified that the Certificate of Practice ued to the following members have been cancelled with ect from the dates mentioned against their names, as they not desire to hold their Certificate of Practice.

RN	Member Name & Address	Cancel Date
1	2	3
5960	Mr. Venkata Ramu H. S., M/s. H.S.V. Ramu & Co. Girija, 524/H, 8th Cross, 7th Block West, Jayanagar Bangalore-560082.	25/10/1999
4542	Mr. Parthasarthy S., 2, Sadhullah Street T Nagar, Chennai-600017.	30/09/1999
9459	Mr. Rajendran R., Consultant Kuwait Investment Authority, PO Box 64 Safat, Kuwait.	15/11/1999
020541	Mr. Leslie D. Monte A. No 151, II Street, Secretariat Colony, Kilpaukk, Chennai-600010.	21/12/1999
027925	Mr. Vijay Kumar Agarwal Ramachandra Nilaya 132/23, 3rd Cross 15th Main Road HMT Layout Mathikere Bangalore-560054	01/12/1999
028405	Mr Anandanarayanan S. 60, Flat-302 R V Apartments, 15th Cross 10th Main Malleswaram Bangalore-560055.	22-02-1999
028958	Mr. Ashok S 12, Dr Nair Road, T Nagar Chennai-600017.	11/10/1999
029048	Ms. Usha Jayaraman 15, Kessler Farm Drive # 276, Nashua NH 03063 USA.	05/11/1999

1	2	3
201400	Mr. Venkata Subrahmanya Vara Prasad CH 23-13-20, Tadankivari Street Satyanarayanapuram Vijayawada-520011.	03/09/1999
204740	Ms. Bhanumathi S. C/o K. Sridharan, HJM Consulting INC 11, Penna Plaza New York-10001 USA.	007 09/1999
204951	Mr. Kannan N. B-1 Narayani Apartments Ramesh Nagar Extension S B S Colony Valasaravakkam Chennai-600087	06 10/1999
205951	Mr. Ravi Bathula 32-9-6 Opp : Curret Well Moghalraja Puram Vijaywada-520010	11/12/1999
206050	Mr. Lakshminarasimhan P Internal Audit Dept. Eta Ascon Group PO Box 5239, Dubai UAE.	01/06/1999
206260	Mr. Jayan K D. Staff Accountant Whinney Murray & Co PO Box 1994, Jeddah-21441 KSA.	01/11/1999
207535	Ms. Keerthana K.S. 'Venkatadri' No. 565 IV Cross VII Main HMT Layout Ganganagar Bangalore-560032	23/07/1999
208684	Mr. Kochappen A K. Chief Accountant Jenan Fiber Glass PO Box No. 29055 Manama, Bahrain	15/11/1999

ASHOK HALDIA, Secy

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 3rd March 2000

No. U-16/53 PTMR/Karnt./99-Med.II (Karnt.).—In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulation 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024 (G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. Ampanna to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms from the date he assumes charge for one year, or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres Tumkur Distt. in Karnataka for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when correctness of the original certificates is in doubt

DR. (Mrs.) S. SINGH
Medical Commissioner

COUNCIL OF ARCHITECTURE

ANNUAL REPORT FOR THE PERIOD ENDING

31st March, 1999

The Council of Architecture was constituted under Section 3 of the Architects Act, 1972 (No. 20 of 1972), enacted by the Parliament in the Twenty- third year of the Republic of India. The Act provides for the registration of Architects and for matters connected therewith, including regulating the architectural education and the architectural profession. The Act extends to the whole of India and came into force on the First day of September, 1972. To give effect to the provisions of the Act, the Central Government framed the Council of Architecture Rules, 1973. The first Council was constituted by the Central Government on the 31st December, 1973.

To achieve the objectives of the Act, the Council framed, with the approval of the Central Government, the following regulations :

1. Council of Architecture Regulations, 1982.
2. The Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989.
3. Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 1995 ((Awaiting approval of the Central Government).

Apart from the above, the Council has prepared conditions of Agreement and Standard Scale of Remuneration for Comprehensive Architectural Services and for urban design work, Architectural Competitions Guidelines, Goals of Architectural Education and Guidelines of Consultancy practice for the faculty members of the Schools of Architecture.

After the enactment of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (No. 52 of 1987), the All India Council for Technical Education and the Council of Architecture entered into a Memorandum of Understanding in the year 1992 to function in close liaison with each other to achieve the aims and objectives of the Architecture Education in the country. For this purpose, the All India Council for Technical Education has constituted an All India Board of Architectural Education. The President, Council of Architecture is its Chairman

Members

(a) Five Architects possessing recognised qualifications elected by the Indian Institute of Architects from among its members

1 Shri Madhav G. Deobhakta
2 Shri Premendra Raj Mehta
3 Shri S. L. Chitale
4. Shri R. L. Sutaria
5. Shri K. B. Mohapatra

(b) Two persons nominated by the All India Council for Technical Education

6. Smt. K Rajalakshmi
7 Nomination awaited

(c) Five Persons elected from amongst the heads of Architectural Institutes in India imparting full time instruction for recognised qualifications.

8 Prof. Gurunath V Dalvi
9. Prof S A. Tungare
10. Prof. P. P Amberkar
11. Prof. Jitendra Singh
12. One Vacancy

(d) Chief Architects in the Ministries of the Central Government and the Head of the Architectural organisation ex officio.

Ministry of Defence

13. Shri V K. Razdan

Ministry of Railways

14. Nomination awaited

Central Public Works Department

15. Shri I. D. Rustogi

(e) One person nominated by the Central Government

16. Prof. D. P. Agrawal

(f) An Architect from each state nominated by the Government of the state.

U.T. of Andaman & Nicobar Islands

17. Shri S. P. Pal (Upto 17-06-1998)
Shri B. Jayahari (w.e.f. 18-06-1998)

Govt. of Andhra Pradesh

18. Shri K. Raghunandan

Govt. of Arunachal Pradesh

19. Shri S. Sengupta

Govt. of Assam

20. Smt. Anita Dutta

Govt. of Bihar

21. Shri Ramji Prasad

U.T. of Chandigarh

22. Shri S. K. Midha

U.T. of Daman and Diu

23. Nomination awaited

U.T. of Dadra and Nagar Haveli

24. Nomination awaited

Govt. of Delhi

25. Shri A. K. Pathak

Govt. of Goa

26. Shri S. N. Pissurlenkar (Upto 30th May, 1998)
(Nomination awaited)

Govt. of Gujarat

27. Shri S. A. Varma

Govt. of Haryana

28. Shri S. C. Thukral

Govt of Himachal Pradesh.

29. Shri B. P. Malhotra

Govt. of Jammu & Kashmir

30. Shri Hemant Kr. Mangotra

Govt. of Karnataka

31. Shri S. N. Kiran Shankar (Upto 09-11-1998)
Shri K. Udaya (w.e.f. 10-11-1998)

Govt. of Kerala

32. Shri G. Thankappan

U.T. of Lakshadweep

33. Shri M. B. Saxena

Govt. of Madhya Pradesh

34. Shri W. S. Tole

Govt. of Maharashtra

35. Shri V. R. Atre

Govt. of Manipur

36. Nomination awaited

Govt. of Meghalaya

37. Shril G. C. R. Marak

Govt. of Mizoram

38. Shri A. K. Ghosh

Govt of Nagaland

39. Shri M. Zango

Govt of Orissa

40. Shri Gokul Das

Govt. of Pondicherry

41. Shri Y. Gopalakrishnan

Govt. of Punjab

42. Shri P. R. Luthra

Govt. of Rajasthan

43. Shri A. K. Bhargava

Govt. of Sikkim

44. Shri J. B. Subba

Govt. of Tamilnadu

45. Shri M. Santhanam
(upto 3-8-1998)
Shri V. S. Guptan
(wef 4-8-1998)

Govt. of Tripura

46. Shri Tapan Kumar Dwari

Govt. of Uttar Pradesh

47. Shri A. P. Tyagi

Govt. of West Bangal

48 Shri Kalyan Dasgupta

g. Two persons nominated by the Institution of Engineers (India) from among its members

49. Shri G. P. Lal

50. Shri N. D. Patel

h. One person nominated from the Institution of Surveyors of India from among its members.

51. Shri K S. Kharb

Officers of Council of Architecture

Shri Vinod Kumar
Registrar-Secretary

Shri K. Gopala Krishna Bhat
Administrative Officer

Office Bearers

President
Shri Premendra Raj Mehta

Vice-President
Prof Gurunath V. Dalvi

EXECUTIVE COMMITTEE

Chairman
Shri Premendra Raj Mehta

Vice-Chairman
Prof Gurunath V. Dalvi

Members

Prof. S. A. Tungare
Shri B. P Malhotra
Mrs. K Rajalakshmi
Shri K B. Mohapatra
Shri A. P. Tyagi
(wef 11-9-1998)

DISCIPLINARY COMMITTEE

Chairman	Shri V. K. Razdan
Members	Shri S. L. Chitale
	Smt. K. Rajalakshmi

ADVISORY COMMITTEE (Appeals)

Chairman	Prof. Gurunath V. Dalvi
Members	Shri G. P. Lal
	Shri K. S. Kharb

1. INTRODUCTION

The Council of Architecture is pleased to present its Annual Report and Audited Statement of Accounts for the year ended on 31st March, 1999, as required under Section 13(5) of the Architects Act, 1972.

Apart from the registration of architects, the Council of Architecture has to, among others, discharge the vital functions, namely, to regulate and upgrade the architectural education and practice. To further the objects of the Act, the Council of Architecture during the year under report, has taken new initiatives by way of launching Continuing Education Programme (CEP) for in-service practising architects and Quality Improvement Programme (QIP) for Teachers, so as to enable them to keep abreast of all the changes which have taken place in the present day scenario. As a result of which, two CEPs for in-service architects and one Q.I.P for teachers in architecture were held. Further, the Council of Architecture has also organised, in collaboration with the All India Board of Architectural Education of AICTE, six workshops on the "Status and Future of Architectural Education in India". The year also marked with a unique event of organising a Retrospective exhibition to feature 50 years of Indian Architecture & Planning and a Seminar on "A Perspective 2050 on Architectural and Town Planning Practice and Education, in association with governmental organisations related with built-environment & allied professional bodies and School of Planning & Architecture, New Delhi.

All the functions and activities carried out by the Council of Architecture during the year are succinctly as follow.

2. STATUTORY MEETINGS

(i) Council of Architecture

Under Section 9 (1) of the Act, the Council shall meet at least once in every six months for transacting business at its meetings as prescribed by Regulation, viz. the Council of Architecture Regulations, 1982. The Council of Architecture met once during the year on 11-09-1998 at New Delhi.

At this meeting the Council of Architecture reviewed progress made in the implementation of the Act in matters of registration of architects, prescribing the regulations on Minimum Standards of Architectural Education, Architects Professional Conduct and Council of Architecture Regulations and achievements made in uplifting the profession of architecture and architectural education.

At this meeting the Council has approved its Recruitment and Promotion Rules for its officers and employees and forwarded the same to the Central Government for according its approval so that the same could be implemented. At this meeting the Council also decided to raise the age of retirement of its employees to 60 years to bring on par with retirement age of the Central Government employees. The Council also approved the Annual Report and Audited Statement of Account for the period ended on 31st March, 1998.

A total of four resolutions were passed on matters connected with the complaints against Registered Architects received form general public/government agencies/architects and other matters connected therewith, in accordance with the Architects Act, 1972. This meeting was followed by a Brain Storming Session on Status and Future of Architectural Education in India.

(ii) Executive Committee

Under section 10 (5) of the Act, the Executive Committee has to exercise such powers and discharge such duties as prescribed by regulations, namely, the Council of Architecture Regulations, 1982. As per Regulation 21 (1) the Executive Committee shall be the executive authority of the Council and shall be responsible for giving effect to the resolution and decision of the Council. The Executive Committee has to discharge such powers as set out Regulation 21 (2).

The Executive Committee met twice during the year on 10th/11th September, 1998 and 10th March, 1999. At the first meeting, the Executive Committee noted that Memorandum of Understanding being entered into between Council of Architecture and M/s. Spenta Multimedia Ltd. Mumbai for publishing a Handbook and Directory of Architects, 1998. It also authorised the Chairman of the Executive Committee to appoint inspectors from out of the panel of experts finalised by it. It also decided to recommend to the Council to depute a fact finding committee to visit Sushant School of Art & Architecture, Haryana and T. V. B. School of Habitat Studies, New Delhi, to review the compliance of the conditions for establishing the institution of Central Government and/or AICTE and norms guidelines/regulations of AICTE and Council of Architecture. It also noted that a series of workshops have been conducted on Architectural Education at Mumbai, Calcutta, Nagpur, Ahmedabad and Delhi. It also drew action plan for preparation of proceedings of the series of workshop held on architectural education and constitution of various groups in order to prepare a comprehensive document on minimum standards of architectural education before the same are placed before the Council for its consideration.

At the second meeting held on 10th March, 1999, the Executive Committee noted the launching of Continuing Education Programme for in-service Architects and Quality Improvement programme for Teachers by the COA during the period under report. It also noted the need for specialisation at Undergraduate Level. New undergraduate courses in architecture with specialisation in Interior Design, Urban Design, Landscape Architecture and Housing were considered. The Executive Committee also deliberated on the matter of professional liabilities of architect and decided to seek legal opinion from a lawyer to examine the liabilities of an Architect after handing over the possession of a building which has been designed & supervised by him. The Executive Committee considered the reports of the Fact Finding Committee on Sushant School of Art and Architecture, Gurgaon (Haryana) and TVB School of Habitat Studies, New Delhi, and made recommendations for the consideration of the Council. It also approved the appointment of Shri Manish Mandhar to the post of Research Associate, Shri Manoj Sharma to the post of Lower Division Clerk and Shri Murari Lal Bhatt to post of Lower Division Clerk in the Council. In view of the provisions of Section 25 of the Architects Act, 1972, it also directed the Registrar, COA to renew the Certificate of Registration only for persons, who are either residing or practising in India and this should be based on the evidence produced by the applicant or through the records already available with the Council. It also fixed a maximum gratuity limit for the officers and employees w. r. t. maximum limit as fixed under the payment of Gratuity Act, 1972, with the present ceiling as Rs. 3.50 lakhs—amendment of COA Employees' Group Gratuity Scheme with LIC of India for incorporation of enhanced limit, as fixed from time to time and accordingly as advised by LIC a deed of variation is to be executed between the Council of Architecture and the Trustees of the Council of Architecture Group Gratuity Scheme for submission to the LIC.

It also recommended to the Council for approving the draft agreement to be signed between the Council of Architecture and M/s. Spenta Multi Media for publishing monthly magazine of the COA at the cost of publisher.

A total of nine resolutions were passed on various matters such as appointments, relating to profession of architecture and matters related with the Architects Act, 1972.

3. REPORT OF COMMITTEES

(constituted by Council)

(i) Disciplinary Committee

Under Rule 35 (1) of the Council of Architecture Rules, 1973, all complaints against architects shall be investigated and all enquiries relating to misconduct of architects shall be held by a committee of the Council, constituted as Disciplinary Committee.

During the year the Council has received complaints against architects for alleged professional misconduct. After examining the contents of the complaints and Statement of Defence filed by the respondents, it forwarded one case to the Disciplinary Committee for detailed investigation and for its recommendations.

During the year the disciplinary committee had two sittings, first on 21st May, 1998 and second on 9th March, 1999, at the office of the Council of Architecture. It heard 7 cases in person and gave its final report for the consideration of the Council. At present only one case is pending before the Disciplinary Committee.

(ii) Advisory Committee (Appeals)

Under Section 10 (1) of the Architects Act, 1972, the Council may constitute committees for general or special purposes as the Council deems necessary to carry out its functions under the Act. The Council has constituted Advisory Committee (Appeals) to hear the appeals of the applicants whose application for registration as architect are rejected by the Registrar.

Eight persons filed appeals before the Advisory Committee (Appeals) against the rejection of their applications for Registration. The Committee heard the appeals on 11th March, 1999, at New Delhi and made its recommendations to the Council.

4. REGISTRATION OF ARCHITECTS

The Council registers a person as an architect under Section 25 of the Act, who resides or carries on the profession of architect in India and holds a recognised architectural qualification.

(i) New Registration

During the year, the Council has registered 1546 architects. As on 31-03-1999, 24357 architects are registered with Council of Architecture and their names have been entered in the Register of Architects.

(ii) Removal of the name from the Register of Architects

Under Section 29 (1) of the Act, the Council removes the name of an architect from the register upon receiving a request from the Registered Architect or at the passing away of a Registered Architect. During the year 6 Architects' names were removed under the provisions of this section.

(iii) Restoration of name in the Register of Architects

During the year, the Council restored the names of 1371 architects in the register of architects upon their request and payment of requisite fee.

5. ARCHITECTURAL EDUCATION

(i) Inspection of Schools of Architecture

As required under Section 21 of the Act, the Council has prescribed the Regulations on the Minimum Standards of Architectural Education. The institutions imparting Architectural Education in India are required to observe these Regulations. Under Regulations 29 (1) of the Council of Architecture Regulations, 1982, the Council is required to inspect each of these Institutions.

During the year, the Council has inspected 8 Schools of Architecture/Departments of Architecture. Reports of the Inspectors, as approved by the Executive Committee of the Council, have been forwarded to the respective institutions for carrying out the improvements, as suggested by the Inspectors.

(ii) All India Board of Architectural Education

Pursuant to the Memorandum of Understanding signed between the All India Council for Technical Education (AICTE) and the Council of Architecture, for furthering the cause of the Architectural Education in India, the AICTE has constituted an All India Board of Architectural Education (AIBAE). The President, Council of Architecture, is its Chairman and the Registrar, Council of Architecture, is the Member Secretary of the Board. The AIBAE functions from the office of Council of Architecture. Two meetings of the Board were held during the year under report. The activities of AIBAE during the year 1998-99 are as follows —

(a) Lateral entry to Architectural Programme

A sub-committee constituted by the Board submitted its report which was considered by he Board and after detailed discussions it concurred with recommendation of the sub-committee on the following issues:—

(i) Opportunities should be created for Diploma Holders for academic advancement, including lateral entry into 2nd year of B. Arch. Programme, on merit basis.

(ii) Diploma Holders be given credit for what they have already learnt during the diploma course and deficiency course, if required, may be offered during B. Arch. Course.

However, to give effect to the above, the Board desired that sub-committee may further study the matter to make recommendaions for the consideration of the Board.

(b) Evaluation of proposals for establishing School of Architecture—

On the recommendations of the AIBAE, the AICTE had accorded its approval to start the Undergraduate Programme in Architecture at APJ Institute of Technology, Noida and Institute of Integral Technology, Lucknow. However, these institutions could not start their courses during Academic Session 1998-99 and had applied for further extension, which has also been recommended by the Board.

The Board has recommended to the AICTE on a proposal received from the R. E. C. Calicut that the existing B. Tech. (Architectural Engineering Programme) be changed to the 5 year B. Arch. Programme. It also recommended to the AICTE to accord its approval for imparting architectural education at undergradvate level (B. Arch.) at MES College of Engineering, Kuttipuram, from the academic session 1999-2000 with an annual intake of 40. It also made recommendation to AICTE for initiation of M. Arch. courses in Architectural Conservation and Interior Design at School of Planning & Architecture, J. N. T. U., Hyderabad.

The Board also decided to set up a Joint Committee with the Council of Architecture to establish the need for new schools in the country and to frame policy thereof for considering the new proposals. This Committee may also consider upgradation of some of the polytechnics offering Architectural Assistantship course into 5 year B. Arch. course.

(c) Revamping of Technician Education

The Board has also decided to constitute a committee to prepare a proposal for revamping the technician education in architecture so that the Diploma Holders could find appropriate placement in the profession as well as

opportunities to advance their academic career by way of pursuing part-time degree programme as was in existence earlier in some of the institutions and similar to that of in Engineering and Technology.

(d) Review the Performance & Resources of new institutions and Extension of AICTE/COA's approval.

During the year 21 institutions were inspected by the Expert Committee set up by the Board. Upon the recommendations of AIBAE, these institutions were granted further extension of approval.

(iii) Recognition of architectural qualifications

The Council, under Section 14 (2) and 15 of the Act is required to make its recommendations to the Central Government for recognition of qualifications granted by authorities in India as wall as foreign countries. The Diploma/Master of Science in Architecture awarded by Tajik Technical University, Dushanbe, an accredited University in Tajikistan, U. S. S. R. has been added to the Schedule of Qualifications appended to the Act and will be a recognised qualifications for the purposes of registration as an architect under the Architects Act, 1972.

(iv) Status and Future of Architectural Education

Council of Architecture in collaboration with the All India Board of Architectural Education of AICTE has organised six workshops on the 'Status and Future of Architectural Education in India. The President delivered the keynote address at the inaugural session of each of these Workshops and highlighted the role of Architectural Education in the Improvement of Human Habitat.

At the instance of the Council the following Chapters of IIA/Schools of Architecture have conducted workshops on the Status and Future of Architectural Education :

Date of Workshop	Venue	Hosts
24-10-1998	Calcutta	West Bengal Chapter of IIA & Department of Architecture, Jadavpur University, Calcutta
06-11-1998	Mumbai	Brihan Centre of IIA & Rizvi College of Architecture, Mumbai
29-11-1998	Nagpur	Nagpur Centre of IIA & Priyadarshni College of Engineering & Architecture, Nagpur
05-12-1998	Bangalore	Karnataka Chapter of IIA & R.V. College of Engineering, Bangalore
18-12-1998 & 19-12-1998	Ahmedabad	Gujarat Chapter of IIA & C.E.P.T., Ahmedabad
21-12-1998	Delhi	Northern Chapter of IIA & School of Planning & Architecture, New Delhi

The recommendations of these workshops are being compiled and study groups have been constituted to prepare a document on Minimum Sandards of Architectural Education for adoption by the COA.

(v) Quality Improvement Programme

The Council has initiated two Quality Improvement Programmes for Teachers during the year under report for the existing faculty members employed in the schools of architecture in India. The first programme was held at School of Planning & Architecture, New Delhi between 25 May to 6 June, 1998 and the second programme was held at R. V. College of Engineering, Bangalore with the support of the Karnataka Chapter of the Indian Institute of Architects between 1st March to 12th March, 1999, the response for these 2 week short Term Course was encouraging.

At the recommendation of the Council of Architecture, the Standing Committee on QIP of AICTE has set up a Nodal Centre (School of Planning & Architecture, New Delhi) and two sub-centres (School of Architecture & Planning, Chennai and School of Planning & Architecture, Hyderabad) as Quality Improvement Programme Centres.

(vi) Continuing Education Programme

The Council has launched a Continuing Education Programme for in-service architects. A one week course was conducted at School of Planning & Architecture, New Delhi between 14th December to 18th December, 1998 The response for this Programme was encouraging.

(vii) Aptitude Test

As authorised by the Director of Technical Education, Govt. of Delhi, the Council had conducted Common Architecture Entrance Test—1998 for admission to the first year of the five-year programme in architecture for T. V. B. School of Habitat Studies, New Delhi and Vastu Kala Academy, School of Architecture & Interior Designing, New Delhi. In addition, the Council has also assisted the Government of Punjab, Manipur and Tamilnadu through its representatives in the conduct of the Entrance Test (Aptitude Test) for admission to the first year of the five-year course in architecture.

6. ARCHITECTURAL PRACTICE

(i) Appointment of Arbitrators

The Council has been approached to resolve the disputes arisen between architects and clients pursuant to the agreement entered into between them in accordance with Clause 10 of the Conditions of Agreement prescribed by the Council. Accordingly, as per the panel drawn by the Executive Committee of the Council, President, COA, as authorised, has appointed S/Shri K. S. Kharb and M. B. Saxena, members of the Council as the Sole Arbitrators for assisting the Council in respect of 3 cases, at the instance of the architects and user agencies.

(ii) Service Tax

The Indian Institute of Architects, Mumbai, through its President has filed a Writ Petition before the Hon'ble High Court of Judicature at Madras, Chennai requesting the court for withdrawal of service tax imposed on architects. The Council of Architecture has also been impleaded as one of the Respondents.

(iii) Architectural Competitions

The Council has assisted a number of promoters in the conduct of architectural design competitions for their project in compliance with Architectural Competitions Guidelines, prescribed by it. The guidelines and inputs required for the promoters and competitors to safeguard their interests were made available by the council whenever sought for.

(iv) 50 Years of Indian Architecture and Planning

The Council of Architecture School of Planning & Architecture, New Delhi in association with the Indian Institute of Architects, the Institution of Engineers (India) and the Institution of Town Planners (India) organized an exhibition on 50 Years of Indian Architecture & Planning between 12th March to 27th March, 1999, at S. P. A., New Delhi. Over 250 projects covering various typologies were put on display. The exhibition was inaugurated by Shri P. R. Das Gupta, Secretary, Ministry of H. R. D. Government of India, New Delhi on 12th March, 1999.

Coinciding with this, a Seminar on Perspective 2050 on Architectural Town Planning Practice and Education was organized on 13th-14th March, 1999. This was inaugurated by Shri Bandaru Dattatraya, Minister of State, Urban Affairs & Employment, Government of India, New Delhi. A Souvenir covering the various presentations made during this Seminar was also released at this occasion.

7. ENFORCEMENT OF THE ARCHITECTS ACT, 1972.

Under Section 37 (1), wef 27-4-1975, the title and style of architect is restricted to use by a registered architect or a firm of architects. Under Section 25, only a person is registered as an architect and not a firm. Section 35 (2) provides that wef 27-4-1976, a registered architect shall get preference for appointment to the post of architect in the Central and State Government etc.

(i) Misuse of Title and Style of Architect

During the year, the Council received number of complaints against persons misusing the title and style of architect, who do not posses recognised architectural qualification and also not registered as architects as well. The Council wrote to all persons directing them to: (i) desist from using the title and style of architect forthwith; and (ii) refrain from practising the profession of an architect, as the title and pursuit of the profression is restricted to only a registered architect or a firm of architects and violation of the provisions of the Act shall be an offence and punishable under the Act. The Council has also issued a Show Cause notice through an Advocate to Shri Uday Sengupta, an Engineer, as he was holding the post and functioning as a City Architect in Calcutta Municipal Corporation, without being an architect registered with the Council of Architecture under the Act and asked him to explain why action should not be taken against him for violating the provisions of the Act.

The Council has also written numerous letters to State Governments and Local Bodies and Development Authorities, etc. for enforcing the provisions of the Architects Act, 1972 and the Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989, in particular regarding; (i) the protection of title and style of architect; (ii) no further registration or fees are asked by the Local Bodies from the architects registered with the Council of Architecture: (iii) to protect the privilege of architects to pursue their profession of architecture; and (iv) Architect's licence should not be issued to any person who is not registered as an architect with the Council of Architecture. Further, the scrutiny of architectural drawings should be put under the charge of an adchitect as the professional input and aesthetic aspects of the project can be appreciated only by an architect.

The Public Service Commissioner, Government Departments & Undertakings and Local authorities were advised to recruit or promote only such persons who are registered architects with the Council of Architecture for the posts of Assistant Architct, Deputy Architect, Architects and of higher posts in the hierarchy.

(ii) Enforcement of the Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989 :

All architects registered with the Council of Architecture are required to observe and uphold the Council's conditions of engagement and scale of charges, as set out under Regulation 2(1)(xii) of the said Regulations framed under Section 45 (2)(i) of the Architects Act, 1972. For the purposes the Council has formulated the Standard Scale of Remuneration for Comprehensive Architectural Services and Conditions of Agreement

The user industries including governmental departments/ undertakings and local bodies have adopted the practice of engaging architect/s by inviting tenders/financial bids and Earnest Money Deposits etc. for providing architectural services/consultancy

At the instance of practising architects, the Council has written numerous letters to the authorities asking them not to insist architects to : (i) pay tender cost (ii) quote lowest fees, less than the minimum fees and deposit earnest money.

Architects' profession should not be equated with works contract for engaging them to provide professional services/ consultancy. Moreover, the tenders/financial bids are not invited from professionals like Doctors, Advocates and Chartered Accountants for engaging them to provide professional services/advise.

As the architects are not permitted to quote lower fees than the prescribed minimum fees in competition with fellow architects, the Council has asked the user industries to engage architects for rendering architectural services/consultancy on payment of fees not less than the minimum fees prescribed by the Council and in compliance with the Conditions of Engagement.

8 PUBLICATIONS

(i) CA News

The Council has published one CA Newsletter during the year under report. This Newsletter has been sent to all the professional bodies Directors of Technical Education, Architects Registered with Council of Architecture and others.

(ii) Directory of Architects

All materials related for the publication of Directory of Architects—1998 and Handbook on professional document have been compiled and handed over to M/s. Spenta Multimedia, Mumbai for publication.

9 BUDGET AND FINANCES

The Council approved the Budget estimate for the year 1998-99 for Rs. 41 95 500/- The Budget estimates had sufficient provisions for the enforcement of the Architects Act, 1972 and to carry out the functions relating to architectural education and practice, as envisaged under the Act and Regulations framed thereunder

The Audited Statement of Accounts along with Auditor's Report for the year ended on 31-3-1999 are attached as Appendices—"A" to ..

The Council manages it operation from out of its income i e fees receivable under the Act. It receives no Grant-in-aid. In order to cope with the increasing cost and the resources required for enlarging the activities and enforcement of the Act the Central Government on the recommendations of the Council approved the revised fees structure and these were notified in the Gazette of India on 28-9-1998 and that came into effect from the same date. The revision provides an option for payment of one-time renewal fee in addition to the annual payment

10 ORGANISATION

(i) Computerisation

It has been the endeavour of the Council to computerise its entire working in a phased manner. The registration of architects and maintenance of registrants' data renewal records, issuance of receipts for payments received and entire accounting system have already been computerised. In addition, during the year Local Area Network was installed to link the computers.

(ii) E-mail & Internet

During the year the Council installed E-mail connection and Internet facility. The E-mail address is coa@ndf.vsnl.net.in.

(iii) Staff and Welfare

The Council presently manages it operations and functions as envisaged under the Act, with strength of 16 staff, though the sanctioned posts are 20. The existing strength could meet the challenges and shoulder the work to the best of their abilities in an effective manner.

During the year, three employees were sanctioned Housing Building Advances to acquire residential LIG flats, of their own, on self-financing basis from U.P. Housing and Development Board at Vasundara, Sahibabad, (U.P.).

11. ACKNOWLEDGEMENTS

The Council of Architecture would like to place on record its appreciation and thanks to the officers of the Union Ministry of Human Resource Development and All India Council for Technical Education for extending their co-operation to Council in its functioning. The Council also expresses its gratitude to the office bearers and members of Indian Institute of Architects, S. P. A. New Delhi, other professional bodies, practising architects and academicians for having offered their co-operation, guidance and advice for furthering the objectives of the Architects Act, 1972. The Council appreciates the concerted efforts put in by the professional bodies and governmental organisations as well as participants & sponsors (including manufacturers of building materials) for organising a Retrospective Exhibition of 50 Years of Indian Architecture and Planning.

The Council expresses its gratitude to its Auditor, Counsel, officers & employees and all those who have rendered useful services to it during the year 1998-1999.

VINOD KUMAR
Actg. Registrar

LIST OF INSTITUTIONS IMPARTING ARCHITECTURAL EDUCATION IN INDIA

(as included in the Schedule of qualifications (under section 14) appended to the Architects Act, 1972)

Sl. No.	Name of the Institution	Year of Establishment/ Approval	Intake	Affiliated to the University/Recognised by*
1	2	3	4	5
	ANDHRA PRADESH			
1.	Department of Architectures College of Engineering Andhra University Visakhapatnam	1992	40	Andhra University Visakhapatnam
2.	School of Planning & Architecture Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad	1940	65	Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad
3.	Shri Venkateshwara College of Architecture Hyderabad	1996	40	Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad
4.	Department of Architecture C.S.I. Institute of Technology Secunderabad	1996	40	Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad
	BIHAR			
5.	Department of Architecture Bihar College of Engineering Patna	1979	40	Patna University, Patna
6.	Department of Architecture Birla Institute of Technolgy Mesra (Ranchi)	1993	20	Deemed University
	CHANDIGARH			
7.	Chandigarh College of Architecture Chandigarh	1961	40	Punjab University, Chandigarh
	GOA			
8.	Goa College of Architecture, Goa	1982	40	Goa University, Goa
	GUJARAT			
9.	School of Architecture Centre for Environmental Planning & Technology, Ahmedabad	1962	40	*Awards Diploma in Architecture recognised by the Govt. of India (only for the purposes of Registration with COA and employment)

1	2	3	4	5
10.	Institute of Environmental Design DC Patel School of Architecture, Vallabh Vidyanagar	1980	40	*Awards Diploma in Architecture, recognised by the Govt. of India (only for the purposes of Registration with COA and employment)
11.	Department of Architecture, Faculty of Technology & Engineering M S University of Baroda, Vadodara	1949	40	M.S. University of Baroda, Vadodara
12.	Sarvajanik Education Society's College of Architecture, Surat	1995	40	South Gujarat University, Surat
	HARYANA			
13.	Sushant School of Art & Architecture Gurgaon	1989	44	*Awards Diploma in Architecture, recognised by the Govt. of India (only for the purposes of Registration with COA)
14.	Department of Architecture , C.R. States College of Engineering, Murthal	1991	40	Maharshi Dayanand University, Rohtak
	KARNATAKA			
15.	Department of Architecture, University Visveswaraya College of Engg., Bangalore.	1967	40	Bangalore, University
16.	Department of Architecture R.V. College of Engineering, Bangalore.	1992	40	Visveswaraiah Technological University, Belgaum.
17.	Department of Architecture, M.S. Ramaiah Institute of Technology, Bangalore.	1992	40	Visveswaraiah Technological University, Belgaum.
18.	Department of Architecture, Bangalore Institute of Technology, Bangalore.,	1992	40	Visveswaraiah Technological University, Belgaum.
19.	Department of Architecture, Dayananda Sagar College of Engg., Bangalore.	1991	40	Visveswaraiah Technological, University, Belgaum.
20.	Department of Architecture, B.M.S. College nf Engineering, Bangalore.	1980	40	Visveswaraiah Technological University, Belgaum.
21.	Department of Architecture, Karnataka Law Society's Gogte Institute of Technology, Belgaum.	1998	40	Visveswaraiah Technological University, Belgaum.
22.	Department of Architecture, BLDE Associations's College of Engineering & Technology, Bijapur.	1991	40	Visveswaraiah Technological University, Belgaum.
23.	Malik Sandal Institute of Art. & Architecture, Bijapur	1991	30	Visveswaraiah Technological University, Belgaum.
24.	Department of Architecture, PDA College of Engineering, Gulbarga.	1983	40	Visveswaraiah Technological University, Belgaum.

1	2	3	4	5
25.	Department of Architecture Malnad College of Engineering, Hassan.	1980	40	Visveswaraiah Technological University, Belgaum.
26.	Department of Architecture, B.V. Bhoomraddi College of Engg., & Technology, Hubli.	1983	40	Visveswaraiah Technological University, Belgaum.
27.	Department of Architecture, Manipal Institute of Technology, Manipal.	1978	40	Visveswaraiah Technological University, Belgaum.
28.	Department of Architecture, Siddaganga Institute of Technology, Tumkur.	1992	30	Visveswaraiah Technological University, Belgaum.
	KERALA			
29.	Department of Architecture, T.K.M. College of Engineering, Kollam.	1985	20	Kerala University, Trivandrum.
30.	Department of Architecture, College of Engineering, Thiruvannathapuram	1964	40	Kerala University, Trivandrum.
	MADHYA PRADESH			
31.	Department of Architecture, Maulana Azad College of Technology, Bhopal.	1963	40	Barkatullah University, Bhopal.
32.	Stapathya Kala Bhawan Society's College of Architecture, IEPT, Indore.	1995	40	Devi Ahilya Viswavidhyalaya, Indore.
33.	IPS Academy-School of Architecture, Indore.	1995	40	Devi Ahilya Viswavidhyalaya, Indore.
34.	Department of Architecture, Madhav Institute of Technology, Gwalior.	1984	40	Jiwaji University, Gwalior.
35.	Department of Architecture, Govt. Engineering College, Raipur.	1984	40	Pt. Ravi Shankar Shukla University, Raipur.
	MAHARASHTRA			
36.	Department of Architecture College of Engineering & Technology, Akola.	1983	40	Amravati University, Amravati.
37.	Department of Architecture, G.S. Mandal. Marathwada Institute of Technology, Aurangabad.	1984	40	Dr. B.R. Ambedkar Marathwada University, Aurangabad.
38.	Department of Architecture Jawaharlal Nehru College of Engineering, Aurangabad.	1989	40	Dr. B.R. Ambedkar Marathwada University, Aurangabad.
39.	L. S. Raheja School of Architecture, Mumbai.	1953	66	*G.D. Arch. awarded by the Government of Maharashtra.

1	2	3	4	5
40.	Academy of Architecture, Mumbai.	1950	66	G.D. Arch. awrded by the Government of Maharashtra.
41.	Department of Architecture M. P. Institute of Engineering & Technology, Gondia.	1982	40	Nagpur University, Nagpur.
42.	Department of Architecture Visveshwaraya Regional College of Engineering, Nagpur.	1955	40	Nagpur Univerisity, Nagpur.
43.	Department of Architecture Lady Amritbai Daga College for Women, Nagpur.	1997	40	Nagpur University, Nagpur.
44.	Department of Architecture, Priyadarshnini College of Engineering and Technology, Nagpur.	1994	40	Nagpur University, Nagpur.
45.	Department of Architecture, Kavikulguru Institute of Technology & Science, Ramtek.	1994	40	Nagpur University, Nagpur.
46.	NTVS's College of Architecture, Nandurbar.	1993	40	North Maharashtra University, Jalgaon.
47.	Department of Architecture, DY Patil. College of Engineering & Technology, Kolhapur.	1984	40	Shivaji University, Kolhapur.
48.	Shri Prince Shivaji Maratha Boarding House's College of Architecture Kolhapur.	1984	40	Shivaji University, Kolhapur.
49.	Shri V. B. Patil Trust's College of Architecture, Sangli.	1993	40	Shivaji University Kolhapur
50.	Siddeshwar Shikshan Mandal's College of Architecture, Solapur.	1993	40	Shivaji University, Kolhapur.
51.	Sir J. J. College of Architecture, Mumbai.	1996	82	University of Mumbai, Mumbai.
52.	Rizvi College of Architecture, Mumbai.	1992	40	University of Mumbai, Mumbai.
53.	LBHSS Trust's College of Architecture, Mumbai,	1995	40	University of Mumbai, Mumbai.
54.	Kamla Raheja Vidyanidhi's Institute for Architecture & Environmental Studies, Mumbai.	1992	40	University of Mumbai, Mumbai.
55.	Indian Education Society's College of Architecture, Mumbai.	1995	40	University of Mumbai, Mumbai
56.	Bharati Vidyapeeth's College of Architecture, Navi Mumbai.	1992	40	University of Mumbai, Mumbai.
57.	Pillai's College of Architecture Navi Mumbai	1992	40	University of Mumbai, Mumbai.
58.	Dr. D. Y. Patil College of Architecture, Navi Mumbai.	1992	40	University of Mumbai, Mumbai.
59.	Pravara Rural College of Architecture, Loni, Distt. Ahmednagar.	1995	40	University, of Pune, Pune.
60.	NDMVP Samaj's College of Architecture, Nashik.	1989	40	University of Pune, Pune.
61.	B. K. P. S. College of Architecture, Pune.	1978	40	University of Pune, Pune.
62.	Marathwada Mitra Mandal's College of Architecture, Pune.	1985	60	University of Pune, Pune.
63.	Bharati Vidyapeeth's College of Architecture, Pune.	1993	40	University of Pune, Pune.

1	2	3	4	5
64.	Department of Architecture, Vivekanand Institute of Technology, Pune.	1995	40	University of Pune, Pune.
65.	Maharshi Karve Stree Shikshan Samstha's College of Architecture, Pune.	1993	40	University of Pune, Pune.
	NEW DELHI			
66.	School of Planning & Architecture, New Delhi.	1995		69+10% Deemed University.
67.	T V B School of Habitat Studies, New Delhi.	1990	44	*Awards Diploma in Architecture, recognised by the Govt. of India (only for the purposes of Registration with COA).
68.	Vastu Kala Academy School of Architecture & Interior Designing, New Delhi.	1996	40	Affiliation awaited.
	ORISSA			
69.	Department of Architecture College of Engineering & Technology, Orissa University of Agriculture & Technology, Bhubaneswar.	1985	40	Orissa University of Agriculture & Technology, Bhubaneswar.
70.	Piloo-Mody College of Architecture Cuttack.	1993	44	Utkal University, Bhubaneswar.
	PUNJAB			
71.	Department of Architecture Guru Nanak Dev University Amritsar.	1986	40	Guru Nanak Dev University. Amritsar.
72.	Department of Architecture Giani Zail Singh College of Engineering & Technology, Bhatinda.	1989	40	Punjab Technical University Jalandhar.
	RAJASTHAN			
73.	Faculty of Architecture, Jai Narain Vyas University, Jodhpur.	1998	30	Jai Narain Vyas University, Jodhpur.
74.	Department of Architecture Malviya Regional Engineering College Jaipur.	1988	40	University of Rajasthan, Jaipur.
	TAMILNADU			
75.	School of Architecture & Planning, Chennai.	1957	40	Anna University, Chennai.
76.	Department of Architecture Periyar Maniammai College of Technology for Women Vallam, Thanjavur.	1995	40	Bharathidasan University, Trichy.
77.	Department of Architecture Regional Engineering College Thiruchirapalli.	1980	40	Bharathidasan University, Trichy.
78.	Department of Architecture Mohammed Sathak Engineering College, Kilakarai.	1993	40	Madurai Kamaraj University, Madurai.
79.	Department of Architecture Thiagarajar College of Engineering Madurai	1994	40	Madurai Kamaraj Univ., Madurai.

1	2	3	4	5
80.	Department of Architecture Hindustan College of Engineering Padur (Via) Kelambakkam, Chengalapattu, M.G. R. Distt.	1993	40	University of Madras, Chennai
81.	Department of Architecture S.R.M. Engineering College Kattankulathur	1992	40	University of Madras, Chennai
82.	Department of Architecture Adhiyamma College of Engineering, Hosur	1992	40	University of Madras, Hosur
83.	Department of Architecnure Dr. M.G.R. Engineering College Chennai	1993	40	University of Madras, Chennai
84.	Department of Architecture Bharat Institute of Science & Technology, Chennai	1993	40	University of Madras, Chennai
85.	Department of Architecture Sathyabama Engineering College Chennai	1993	40	University of Madras, Chennai
	Uttar Pradesh			
86.	Department of Architecture Zakir Hussain College of Engineering & Technology Aligarh Muslim University Aligarh	1993	40	Aligarh Muslim University, Aligarh
87.	Govt College of Architecture Lucknow	1980	40	University of Lucknow, Lucknow
88.	Department of Architecture University of Roorkee, Roorkee West Bengal.	1956	40	University of Roorkee, Roorkee
89.	Department of Architecture Indian Institute of Technology Kharagpur	1952	40	I.I.T. Kharagpur
90.	Department of Architecture Jadavpur University Jadavpur	1965	40	Jadavpur University, Jadavpur
91.	Department of Architecrure Bengal Engineering College Howarh	1950	40	Bengal Engg. College Howrah Deemed University

Vinod Kumar
Actg. Registrar

PRAKASH K. PRAKASH

Chartered Accountants

B-22, Sagar Aparments

6, Tilak Marg, New Delhi-110001

AUDITOR'S REPORT

We have audited the annexed Balance sheet of "COUNCIL OF ARCHITECTURE" India Habitat Centre, Core 6-A, 1st Floor, Lodhi Road, New Delhi-110003 as at 31st March, 1999 and also Income and Expenditure Account for the year ended on 31st March, 1999, with the books of account and vouchers produced to us and we report as follows :—

1. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

2. In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Council so far as appears from our examination of such books;

3. The Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with the report are in agreement with the books of account.

4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said statement of account gives a true and fair view :—

(a) in the case of the Balance sheet of the state of affairs of the Council as at 31st March, 1999 and

(b) in the case of Income & Expenditure Account of the excess of income over expenditure for the year ended on that date.

PRAKASH K. GUPTA
Partner
for PRAKASH K. PRAKASH
Chartered Accountants

Place : New Delhi
Dated : 02-09-1999

(Incorporated under the Architects
INDIA HABITAT CENTRE, CORE 6-A, IST FLOOR, LODHI ROAD,
BALANCE SHEET AS ON

Previous Year	Liabilities		Current Year
—	One Time Fee Fund (Under one time payment option)		30,50,970.00
	General Reserve Fund Opening Balance	1,21,44,306.58	
	Add : Excess of Income over Expenditure	18,584.14	
121,44,306.58			1,21,62,890.72
	C.A. News Letter (Subscription) Fund Balance as on 01-04-98	49,710.00	
	Add: Addn. during the year	2,100.00	
49,710.00			51,810.00
	Fixed Assets Fund-AIBAE	1,17,092.41	
1,17,092.41	Less: Depreciation	28,274.41	
			88,818.00
	Loan & Grant in Aid		
1,50,000.00	Loan from Govt. of India Grant-in-Aid from AICTE (Unspent)		1,50,000.00
3,99,297.00	(As per Annexure 'A')		4,48,296.00
	Other Liabilities		
15,004.00	Part Fee on Account		2,58,366.00
—	Direcrtory Printing & Publicity		1,57,641.00
—	Arbitration Fee		17,713.60
10,304.62	Unspent balance of Seminar Account		10,304.62
2,54,476.11	Evaluation & Inspection fees (AIBAE) (As per Annexure 'B')		5,15,107.11
17,424.00	Identity Card Fees		1,522.00
13,157,614.72	TOTAL Rs.		1,69,13,439.05

For and on behalf of
THE COUNCIL OF ARCHITECTURE

Place: New Delhi
Dated: 02-09-1999

(PRESIDENT) (REGISTRAR)

Act, 1972)
NEW DELHI-110 003.
31ST MARCH, 1999

Previous Year	Assets		Current Year
	Fixed Assets		
	COA	55,09,739.86	
	AIBAE	88,818.00	
55,89,466.95	(As per Annexure 'C')		55,98,557.86
	Investments		
	Fixed Deposit Receipts		
	FDR's earmarked-one time fee fund	25,00,000.00	
69,30,000.00	General FDR's	69,30,000.00	
	(As per Annexure 'D')		94,30,000.00
	Current Assets, Loans & Advances		
	Loans & Advances		
23,435.99	(As per Annexure 'E')		3,33,665.50
	Advance Tax & TDS F.Y. 98-99		1,25,039.00
	Cash & Bank Balances		
	SBI New Delhi Main Branch		
5,83,115.86	A/c No. 22/65334		13,90,379.77
	Syndicate Bank, Super Bazar Bldg.		
23,485.92	Connaught Circus, A/c No. 3370		8,696.92
8,110.00	Cash in hand		27,100.00
13,157,614.72	TOTAL Rs.		1,69,13,439.05

In Terms of our separate report of even date

For PRAKASH K. PRAKASH
Chartered Accountants

(PRAKASH K. GUPTA), Partner

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-1999

Previous Year		Particulars	Current Year
14,94,150.00	To	Pay & Establishment	14,49,889.00
37,146.00	,,	Conveyance Hire Charges	31,913.50
3,000.00	,,	Honorarium	6,970.00
32,000.00	,,	Honorarium to Inspectors	2,500.00
24,086.00	,,	Electricity Expenses	4,529.50
7,310.15	,,	Books & Periodicals	16,334.30
1,16,442.65	,,	Printing & Stationery	1,61,304.05
91,016.25	,,	Postage	1,66,569.50
64,990.00	,,	Telephone Expenses	93,018.50
94,617.50	,,	Refreshment Charges	49,173.50
27,267.16	,,	Repair & Maintenance	54,917.00
2,34,969.00	,,	Maintenance Charges	1,42,643.48
3,31,451.47	,,	Property Tax	1,000.00
1,56,000.00	,,	Notification Charges	6,485.00
—	,,	Entrance/Exam/Apt. test (fee & expenses)	— 1,51,592.50
987.50	,,	C.A. News Letter	—
—	,,	Subscription Fee	1,000.00
14,642.00	,,	Legal & Professional Expenses	25,100.00
4,500.00	,,	Audit Fees	4,500.00
10,458.00	,,	Insurance Premium	10,749.00
9,378.50	,,	Misc. Expenses	10,577.00
—	,,	Retrospective Exhibition Exp.	1,53,687.80
2,145.00	,,	Bank Commission	13,683.00
1,85,759.00	,,	Travelling Allowance	3,35,449.00
2,34,740.00	,,	Income Tax (F.Y. 1997-98)	1,431.00
1,40,011.09	,,	Depreciation on Fixed Assets (As per annexure 'C')	1,46,514.68
14,380.74	,,	Excesss of Income over Exp. Transferred to General Reserve	18,584.14
33,31,448.00		TOTAL Rs.	31,59,115.45

For and on behalf of
THE COUNCIL OF ARCHITECTURE

Place: New Delhi
Dated: 02-09-1999

Sd./-
(PRESIDENT)

Sd./-
(REGISTRAR)

Previous Year	Particulars	Current Year
	By Fee Received	
3,11,950.00	Registration Fee	3,96,800.00
18,82,610.00	Renewal Fee Annual Payments	17,20,460.00
2,54,300.00	Restoration Fee	3,03,600.00
6,680.00	Duplicate Registration Cert. fee	23,520.00
50.00	Additional Qualification Fee	310.00
51,392.00	Entrance Exam./Apt. Test (Fee & Exp.)	—
72,363.00	Directory prtg. & Publicity	2,102.45
1,815.00	Sale of Publications	325.00
7,40,288.00	Interest on FOR (As per annexure '0')	7,09,900.00
—	C.A. News Letter (Advt. & Exp. net)	2,098.00
10,000.00	Misc. Receipts	—
33,31,448.00	TOTAL Rs.	31,59,115 45

In Terms of our seperate report of even date
For PRAKASH K. PRAKASH
Chartered Accountants

(PRAKASH K. GUPTA), Partner

RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 1999

Receipts		Amount
Opening Balance;		
—Cash in Hands	8,110.00	
—State Bank of India	5,83,115.86	
—Syndicate Bank	23,485.92	6,14,711.78
Additional Qualification Fee		310.00
Arbitration Fee		39,000.00
Bank Commission		15,972.00
CA News Subscription		2,100.00
CA News Printing & Publicity		2,48,482.00
Common Architectural Entrance Test Fee		97,122.00
Dir. of Architects —Advertisement		6,36,000.00
Duplicate Certificate Fee		23,520.00
F.D.R. Matured		6,60.000.00
Festival Advance recovered		3,750.00
Grant-in-Aid (Curriculam Activities)		3,00,000.00
Identity Card Fee		8,720.00
Interest on FDR		7,09,900.00
Misc. Receipts		3,510.00
One Time Payment Fee		30,50,970.00
Part Fee on Account		2,43,362.00
Postage		7,176.00
Postage Advance		1,67,196.49
Publication Sales		325.00
QIP Participation Fee		77,050.00
Registration Fee		3,96,800.00
Renewal Fee Annual Payments		17,20,460.00
Restoration Fee		3,03,600.00
Sale of Directory of Architects		6,850.00
Scooter Advance Recovered		6,324.00
RECEIPTS in r/o		
All India Board of Architectural Education		
Evaluation Fee	2,75,000.00	
Inspection Fee	6,25,000.00	9,00,000.00

Payments	Amount
Arbitration Expenses	21,286.40
Audit Fee	4,500.00
Bank Commission	29,655.00
CA News Printing & Publicity	2,46,384.00
Cleaning Materials	568.00
Common Arch. Entrance Test Exp.	2,48,714.50
Comp. Stationery & Consumables	550.00
Consultation Fee	3,200.00
Coveyance Charges	31,913.50
Directory of Architects Expenses	4,78,359.00
Directory Printing & Publicity	4,747.50
Electrical Expenses	1,959.00
Electrical Goods	2,570.50
F.D.R. Purchased—One Time Fee	25,00,000.00
F.D.R. Renewed	6,60,000.00
Festival Advance	7,500.00
Honorarium	6,970.00
Honorarium to Inspectors	2,5000.00
House Building Advance	2,30,00.00
Identity Card expenses	24,622.00
Income Tax F.Y. 97-98	1,431.00
Income Tax Advance Tax	1,25,039.00
Insurance Premium	10,749.00
Legal Expenses	21,900.00
Maintenance Charges	1,42,643.48
Misc. Expenses	14,087.00
New Assets Purchased	1,83,880.00
News Paper & Periodicals	8,397.30
Notification charges	6,485.00
Office Books	7,937.00
Pay & Establishment Expenses	14,49,889.00
Plant & Flowers	7,800.00
Postage Advance	1,63,000.00
Postage Expenses	1,73,745.50
Property Tax	1,00,000.00
QIP Expenses	3,28,051.00
QIP Expenses Advance	80,000.00
Refreshment Charges	49,173.50
Refreshment Charges Advace	7,000.00
Repairs & Maint. Charges	46,549.00
Retrospective Exhibition Expenses	1,53,687.80
Stationery & Printing Charges	1,60,754.05
Subscription/membership Fee	1,000.00
Telephone Expeses	93,018.50
Travelling Allowance	3,35,449.00

Receipts	Amount

Total :	1,02,43,211.27

For and on behalf of
COUNCIL OF ARCHITECTURE

Place: New Delhi	Sd./- illegible	VINOD KUMAR
Dated: 02-09-1999	PRESIDENT	REGISTRAR

Payments		Amount
PAYMENTS in r/o		
All India Board of Architectural Education		
Audit Fee	1,500.00	
Bank Commission	35.00	
Consultation Fee	2,300.00	
Conveyance Hire Charges	1,136.00	
Honorarium	6,000.00	
Pay & Establishment Exp.	3,02,974.00	
Postage Charges	8,855.00	
Printing & Stationery Charges	22,996.00	
Refreshment Charges	401.00	
Repairs & Maint. Charges	10,960.00	
Telephone Expenses	43,280.00	
Travelling Allowance	2,38,932.00	6,39,369.00
Closing Balance :		
—Cash in Hand	27,100.00	
—State Bank of India	13,90,379.77	
—Syndicate Bank	8,696.92	14,26,176.69
Total :		1,02,43,211.27

In Terms of our separate report of even date
For PRAKASH K. PRAKASH
Chartered Accountants
PRAKASH K. GUPTA.
Partner

GROUPING OF BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 1999

PARTICULARS		AMOUNT
UNSPENT BALANCES		ANNEXURE 'A'
QIP SCHEME (UNSPENT BALANCE) GRANT-IN-AID		
Opening Balance		3,99,297.00
Add : Participation & Delegation fee		77,050.00
		4,76,347.00
Less : Exp. ses incurred during the year		3,28,051.00
	48,296.00	
Add : Grant-in-Aid recd. from AICTE for curriculam activities		3,00,000.00
Total	Rs.	4,48,296.00
		ANNEXURE 'B'
EVALUATION & INSPECTION FEE (AIBAE)		
Opening Balance		2,54,476.11
Add : Fees Received		9,00,000.00
		11,54,476.11
Less : Expenses incurred during the year		6,39,369.00
Total	Rs.	5,15,107.11

Sd/- illegible
President

Vinod Kumar
Registrar

SCHEDULE OF FIXED ASSETS AS ON 31-03-1991

ANNEXURE "C"

Particulars	Qty.	Rate of Dep.	WDY as on 01-04-98	Addition	Total	Depreciation	WDY as on 31-03-99
1	2	3	4	5	6	7	8
BUILDING							
Office premises at I.H.C.			47,58,795.30	..	47,58,795.30	..	47,58,795.30
Building Complex							
Total "A"			47,58,795.30	..	47,58,795.30	—	47,58,795.30
PLANT & MACHINERY							
Typewriters	6	25%	3,252.30	..	3,252.30	813.08	2,439.22
Duplicating Machines	1	25%	140.36	..	140.36	35.09	105.27
Fan	3	25%	702.59	..	702.59	175.65	526.94
Cooling System	1	25%	105.17	..	105.17	26.29	78.88
Heater	1	25%	1.42	..	1.42	0.36	1.06
Postal Franking Machine	1	25%	182.82	78,968.00	79,150.82	9,916.71	69,234.11
Post Weighing Machine	1	25%	5.67	22,032.00	22,037.67	2,755.42	19,282.25
Calculators	5	25%	592.18	..	592.18	48.05	444.13
Fire Extinguishers	3	25%	100.83	..	100.83	25.21	75.62
Refrigerator	1	25%	391.54	..	391.54	97.89	293.65
Voltas Stebilizer	1	25%	34.08	..	34.08	8.62	25.56
Clocks	2	25%	71.39	..	71.39	17.85	53.54
Exhaust Fan	2	25%	97.90	..	97.90	24.48	73.42
Others		25%	18.63	..	18.63	4.66	13.97
Gas Cylinder	1	25%	457.73	..	457.73	114.43	343.30
Telephone Instruments	8	25%	3,858.75	..	3,858.75	964.69	2,894.06
Computers	7	25%	1,44,751.72	79,080.00	2,23,831.72	55,357.94	1,68,473.78
Printers	5	25%	75,915.00	..	75,915.00	18,978.75	56,936.25
U. P. S. Smart-600	4	25%	42,235.31	..	42,235.31	10,558.83	31,676.48
Printer Share-devices	2	25%	914.07	..	914.07	228.52	685.55
Modem	1	12.5%	..	3,800.00	3,800.00	475.00	3,325.00
EPABX	1	25%	12,082.00	..	12,082.00	3,020.50	9,061.50
Total "B"			2,85,911.46	1,83,880.00	4,69,791.46	1,03,747.92	3,66,043.54

1	2	3	4	5	6	7	8
FURNITURE & FIXTURE							
Steel Almirahs	7	10%	1,033.42	..	1,033.42	103.34	930.00
Filling Cabinets	8	10%	1,807.00	..	1,807.00	180.70	1626.30
Tabulor Tables	13	10%	30,328.97	..	30,328.97	3,032.90	27,296.07
Chairs	50	10%	92,032.00	..	92,032.02	9,203.20	82,828.80
Steels Safe (Box)	1	10%	78.62	..	78.62	7.86	70.76
Steel Racks	10	10%	1,463.20	..	1,463.20	146.32	1,316.88
Collapsible Gate	2	10%	346.54	..	346.54	34.65	311.89
Steel Stand	1	10%	96.01	..	96.01	9.60	86.41
Steel Stool	1	10%	26.64	..	26.64	2.66	23.98
Curtains		10%	363.10	..	363.10	36.31	326.79
Others		10%	117.73	..	117.73	11.77	105.96
Fixtures		10%	90,369.82	..	90,369.82	9,036.98	81,332.84
Vista Venetion Blinds	16	10%	13,026.63	..	13,026.63	1,302.66	11,723.97
Writing Desks	17	10%	82,288.48	..	82,288.48	8,228.85	74,059.63
Side Units	7	10%	53,554.73	..	53,554.73	3,355.47	48,199.26
Drawer Boxes	14	10%	21,114.90	..	21,114.90	2,111.49	19,003.41
Sick Cabinet	1	10%	4,740.30	..	4,740.30	474.03	4,266.27
Low High Partition	1	10%	34,879.69	..	34,879.69	3,487.97	31,391.72
Total "C"			4,27,667.78	..	4,27,667.78	42,766.76	3,84,901.02
FIXED ASSETS—AIBAE EQUIPMENTS							
Automatic Plain Paper Copier	1	25%	55,687.50	..	55687.30	13,921.38	41,766.00
Stabilizer	1		1,801.94	..	1,801.94	450.94	1,351.00
Desert Cooler	1		569.53	..	569.53	142.53	427.00
Generator	1		3,622.85	..	3,622.85	905.85	2,717.00
Calculator	1		101.56	..	101.56	25.56	76.00
Electronic Typewriter	1		2,373.04	..	2,373.04	593.04	1,780.00
Printer	1		4,152.83	..	4,152.83	1,038.83	3,114.00
Computer	8		11,736.98	..	11,736.98	2,933.98	8,803.00
Fax Machine	1		9,136.23	..	9,136.23	2,284.23	6,852.00
Lamination Machine	1		13,312.69	..	13,312.69	3,328.69	9,984.00
Binding Machine	1		7,924.92	..	7,924.92	1,981.92	5,943.00
Total "D"			1,20,420.07	..	1,10,420.07	27,607.07	82,813.00
FURNITURE & FIXTURE							
Tables	A	10%	2,706.41	..	2,706.48	270.48	2,436.00
Chairs	6		1,712.62	..	1,712.65	171.62	1,51.00
Wooden Racks	2		863.70	..	863.70	86.70	777.00
Trolly	1		101.04	..	101.04	10.04	91.00
Steel Stool	1		143.35	..	143.35	14.38	129.00
Ped. Fan & Table Lamp	2		1,145.22	..	1,145.22	114.22	1,031.00
Total "E"			6,672.34	..	6,672.34	667.34	6,005.00
TOTAL (A+BC+D+E)			35,89,46.95	1,83,880.00	57,73,346.95	1,74,789.09	55,98,557.86

Sd/-
President
Council of Architecture
New Delhi

Sd/-
Registrar
Council of Architecture
New Delhi

SCHEDULE OF T.D.R. AS ON 31ST MARCH, 1999

ANNEXURE 'D'

S. No.	T.D.R. No.	Name of Bank	Date of Issue/ Renewal	Date of Maturity	Amount	Interest	Rate of Intt.	Purchased/or Renewal during the year	Matured during the year	Amount as on 31-03-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.	TD-A-19-314306	S.B.I.	06-04-95	06-04-98	1,00,000.00	11,000.00	11%	—	1,00,000.00	—
02.	TD-A-19-314307	New Delhi	06-04-95	06-04-98	1,00,000.00	11,000.00	11%	—	1,00,000.00	—
03.	TD-A-19-314312		08-04-95	08-04-98	60,000.00	6,600.00	11%	—	60,000.00	—
04.	TD-A-25-112413		06-03-96	06-03-99	2,00,000.00	26,000.00	13%	—	2,00,000.00	—
05.	TD-A-25-112414		06-03-96	06-03-99	2,00,000.00	26,000.00	13%	—	2,00,000.00	—
06.	TD-A-29-994599		07-03-97	07-03-2000	1,00,000.00	12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00
07.	TD-A-29-994600		07-03-97	07-03-2000	1,00,000.00	12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00
08.	TD-A-29-994644		25-04-97	25-04-2000	1,00,000.00	12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00
09.	TD-A-29-994645		25-04-97	25-04-2000	1,00,000.00	12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00
10.	TD-A-29-994646		25-04-97	25-04-2000	1,00,000.00	12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00
11.	TD-A-29-994647		25-04-97	25-04-2000	1,00,000.00	12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00
12.	TD-A-29-994656		24-04-97	24-04-2000	1,00,000.00	12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00
13.	TD-A-29-994657		24-04-97	24-04-2000	1,00,000.00	12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00
14.	TD-A-29-994658		24-04-97	24-04-2000	1,00,000.00	12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00
15.	TD-A-31-662612		25-08-97	25-08-1999	3,00,000.00	31,500.00	10.5%	—	—	3,00,000.00
16.	TD-A-31-662611		25-08-97	25-08-1999	2,00,000.00	21,000.00	10.5%	—	—	2,00,000.00
17.	TD-A-31-662607		31-08-97	31-08-1999	5,00,000.00	52,500.00	10.5%	—	—	5,00,000.00
18.	TD-A-31-662608		31-08-97	31-08-1999	5,00,000.00	52,500.00	10.5%	—	—	5,00,000.00
19.	TD-A-31-662609		31-08-97	31-08-1999	5,00,000.00	52,500.00	10.5%	—	—	5,00,000.00
20.	TD-A-31-662610		31-08-97	31-08-1999	5,00,000.00	52,500.00	10.5%	—	—	5,00,000.00
21.	TD-A-31-662715		15-09-97	15-12-2000	2,50,000.00	30,000.00	12%	—	—	2,50,000.00
22.	TD-A-31-662716		15-09-97	15-12-2000	2,50,000.00	30,000.00	12%	—	—	2,50,000.00
23.	SD-A-29-444546		18-09-97	18-12-2000	3,25,000.00	—	12%	—	—	3,25,000.00
24.	SD-A-29-444547		18-09-97	18-12-2000	3,25,000.00	—	12%	—	—	3,25,000.00
25.	TD-A-31-662749		26-09-97	26-09-2000	60,000.00	6,900.00	11.5%	—	—	60,000.00
26.	TD-A-31-662750		26-09-97	26-09-2000	60,000.00	6,900.00	11.5%	—	—	60,000.00

27. TD-A-31-662744	01-10-97	01-10-2000	3,50,000.00	40,250.00	11.5%	—	—	3,50,000.00
28. TD-A-31-662745	01-10-97	01-10-2000	3,50,000.00	40,250.00	11.5%	—	—	3,50,000.00
29. TD-A-31-662746	01-10-97	01-10-2000	3,50,000.00	40,250.00	11.5%	—	—	3,50,000.00
30. TD-A-31-662747	01-10-97	01-10-2000	3,50,000.00	40,250.00	11.5%	—	—	3,50,000.00
31. TD-A-32-269324	18-03-98	18-03-2001	1,00,000.00	12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00
32. TD-A-32-269325	18-03-98	18-03-2001	1,00,000.00	12,000.00	12%	—	—	1,00,000.00
33. SD-A-29-458232	06-04-98	06-04-2001	—	—	12%	1,00,000.00	—	1,00,000.00
34. SD-A-29-458233	06-04-98	06-04-2001	—	—	12%	1,00,000.00	—	1,00,000.00
35. SD-A-29-458234	08-04-98	08-04-2001	—	—	12%	60,000.00	—	60,000.00
36. SD-A-29-458697	06-03-99	06-04-2002	—	—	10.5%	2,00,000.00	—	2,00,000.00
37. SD-A-29-458698	06-03-99	06-04-2002	—	—	10.5%	2,00,000.70	—	2,00,000.00
Fdr's Against one time Fee Fund								
38. TD-A-32-269904	01-03-99	01-04-2002	5,00,000.00	—	10.5%	5,00,000.00	—	5,00,000.00
39. TD-A-32-269905	01-03-99	01-04-2002	5,00,000.00	—	10.5%	5,00,000.00	—	5,00,000.00
40. TD-A-32-269916	12-03-99	12-04-2002	5,00,000.00	—	10.5%	5,00,000.00	—	5,00,000.00
41. TD-A-32-269931	19-03-99	19-04-2002	5,00,000.00	—	10.5%	5,00,000.00	—	5,00,000.00
42. TD-A-32-269938	31-03-99	30-04-2002	5,00,000.00	—	10.o%	5,00,000.00	—	5,00,000.00
TOTAL Rs.			94,30,000.00	7,09,900.00		31,60,000.00	6,60,000.00	94,30,000.00

Sd/-
Illigible
President

VINOD KUMAR
Registrar

SCHEDULE OF LOANS & ADVANCES AS ON 31ST MARCH, 1999

ANNEXURE "E"

Particulars	Amount
Festival Advance	3,750.00
House Building Advance	2,30,000.00
Postage Advance	5,038.50
Qip Expenses Advance	80,000.00
Refreshment Charges Advance	7,000.00
Scooter Advance	7,877.00
TOTAL	Rs. 3,33,665.50

Sd/-
President
Council of Architecture
New Delhi.

Sd/-
Registrar
Council of Architecture
New Delhi.

COUNCIL OF ARCHITECTURE

F. Y. 1998-99

NOTES OF ACCOUNTS (FORMING PART OF BALANCE SHEET)

1. Liability of Rs. 2,58,366/- on account of part fee as reflected in the Balance Sheet will be adjusted in the year of receipt of balance of fee due from the Architects.
2. The council has received a sum of Rs. 3,00,000/- from AICTE as Grant-in-Aid towards curriculam activities on 30th March, 1999, which was remained unspent.
3. The Government of India vide Notification No. F-35--7/97-TS-IV dated 15-09-98 allowed the Council to receive one time payment fees from the Architects. Accordingly as per approved budget estimates by the Council & Executive Committee the amount received under one time payment has been transferred to one time fee fund and money so collected is being invested in fixed deposits.
4. Considering the amount of income over expenditure during the year, the advance tax paid by the Council has been reflected on the Assets side of the Balance Sheet instead of Income & Expenditure Account as shown in earlier Years.
5. Previous year figures have been regrouped, reclassified and rearranged wherever necessary.

For and on behalf of COUNCIL OF ARCHITECTURE

Place : New Delhi
Dated : 02-09-1999

Sd/-
(PRESIDENT)

Sd/-
(REGISTRAR)

MINISTRY OF DEFENCE

Allahabad, the 2000

S. R. O. No. B-1/1/III.—Whereas a public notice to revise the Trade and profession Tax within the limits of New Old and Fort Cantonments. Allahabad in supersession of the notification of the Govt. of India in the Ministry of Defence number SRO 250 dated the 16th May 1970 was published on the 11th May 1999 in the local Newspaper and by affixing a copy thereof in a conspicuous part of the office of the Cantonment Board Allahabad vide Notice No. B-1/1/III dated 11-5-1999. as required by section 61 read with section 255 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notice :

And whereas, the said notice was affixed on the Notice Board of the Allahabad Cantonment Allahabad on 11-5-99 ;

And whereas, no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 60 of the said Act and except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Cantonment Board. Allahabad with the previous sanction of the Central Government, hereby imposes a tax to be known as the Trade and Profession Tax on all persons carrying on within the limits of New, Old and Fort Cantonment, Allahabad, any one or more of Trades, professions or callings specified in column 2 of the Schedule annexed to this notification at the rates specified in column 3 of the said Schedule, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette;

Provided that any person carrying on more than one such trade, profession or calling in the same premises shall be liable to pay the full tax for the trade, profession or calling which he carries at the highest rate and half the tax in respect of the remaining trades, professions or calling subject to a maximum of rupees two thousand five hundred per annum.

Sd/-
CANTT. EXECUTIVE OFFICER
Allahabad Cantonment
(File No. 53/9/C/DE/93)

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Trades Professions or callings	Trade and Profession Tax in Rupees per annum
1	2	3
1.	Advertising Agent	2,500/—
2.	Agent of an Insurance company	2,500/—
3.	Auctioner	2,500/—
4.	Automobile Engineer	2,500/—
5.	Banker or Financer (Licenced) including money lenders	2,500/—
6.	Clearing agent or Hander Kari	2,500/—
7.	Cloth marchant Droper or Mil iner	2,500/—
8.	Commission Agent or Brokers or House Agent	2,500/—
9.	Contractor for Building Works	2,500/—
10.	Contractor for Canteen or Mess	2,500/—
11.	Contractor for C. S. D Canteen	2,500/—
12.	Contractor Sub Contractor—Registered	2,500/—
13.	Contractor for M. E .S ASC or ORD	2,500/—
14.	Contracter not specified in this schedule	2,500/—
15.	Dealer in arms and ammunition	2,500/—
16.	Dealer in asbestos roofing	2,500/—
17.	Dealer in Boots shoes or Chapals	2,500/—
18.	Dealer in carpets furs or shawls	2,500/—
19.	Dealer in Chappals and local boots and shoes	2,500/—
20.	Dealer in Charcoal only	2,500/—
21.	Dealer in Charcoal and fire wood	2,500/—
22.	Dealer in Coke or Steam Coal	2,500/—
23.	Dealer in corrugated iron sheets	2,500/—
24.	Dealer in Crockery, Cutlery or Glass ware	2,500/—
25.	Dealer in electric goods and batteries	2,500/—
26.	Dealer in fancy goods and toys	2,500/—
27.	Dealer in furniture for sale or hire	2,500/—
28.	Dealer in Sheet glass	2,500/—
29.	Dealer in grain and grocery	2,500/—
30.	Dealer in grains	2,500/—
31.	Dealer in gramophones or accessories thereof	12,500/—
32.	Dealer in green fodder hay or stray Bhusa	2,500/—
33.	Dealer in grocery (Coffee, spices of all kinds sugar and tea)	2,500/—
34.	Dealer in hosiery goods and readymade cloth	2,500/—
35.	Dealer in immitation Jewellary	2,500/—
36.	Dealer in Motor cars, Motor Cycles, Motor Lorries or accessories thereof	2,500/—
37.	Dealer in musical Instruments	2,500/—
38.	Dealer in paints and distemper	2,500/—
39.	Dealer in Radio sets and accessories thereof	2,500/—
40.	Dealer in Sanitary Fittings	2,500/—
41.	Dealer in sports goods and accessories thereof	2,500/—
42.	Dealer in timber	2,500/—
43.	Dealer in Vanaspati ghee	2,500/—
44.	Dealer in Varnish	2,500/—
45.	Dyer (not being an employee)	

1	2	3
		Rs.
46.	Engineers and Architects	2,500
47.	General Merchants	2,500
48.	Gold Smith or Silver smith	2,50
49.	Insurance Company (Head Office or Branch)	2,500
50.	Keeper of petrol pump	2,500
51.	Launders and dry cleaners (processed by machinery)	2,500
52.	Lanudry owner (processed by machinery)	2,500
53.	Legal Practioner	2,500
54.	Maker of Footwear	2,500
55.	Maker and seller of bread or biscuits cakes	2,500
56.	Maker and seller of bread or biscuits	2,500
57.	Maker and seller of ghee or vanaspati	2,500
58.	Manufacturer and seller of aerated water of Ice or both	2,500
59.	Manufacturer and seller of bidies	2,500
60.	Manufacturer and seller of bricks	2,500
61.	Manufacturer and seller of cloth	2,500
62.	Manufacturer and seller of lime or mortor	2,500
63.	Manufacturer and seller of oils	2,500
64.	Manufacturer and seller of handloom cloth	2,500
65.	Medical Practitioner	1,500
66.	Optician	1,000
67.	Owner of cotton jinning factory	1,000
68.	Owner of cotton pressing factory	1,110
69.	Owner of factory not specified elsewhere	1,500
70.	Owner of motor Taxi Car	2,500
71.	Proprietor of brass or metal factory	1,500
72.	Proprietor of a flour mill	1,000
73.	Proprietor of a flour mill with rice huller	1,000
74.	Proprietor of crusher	1,500
75.	Proprietor of jaggery (Gud-raw sugar) factory	2,500
76.	Proprietor of mining factory	2,000
77,	Priprietor of Motor Transport Company	2,500
78.	Proprietor of an oil mill	2,500
79.	Proprietor of paper mill	2,500
80.	Proprietor of residential hotel	2,500
81.	Proprietor of Sugar Factory	2,500
82.	Agent of sale of Newspaper and Periodicals	250
83.	Barber	100
84.	Battery Charges	250
85.	Blacksmith or tinsmith	100
86.	Block maker or photozinc owner	150
87.	Bond writer and stamp vendor	300
88.	Book seller	600
89.	Butcher mutton beef or pork	400
90.	Carpenter (not being an employeer)	1,000
91.	Chemist and Drugist	2,500
92.	Coach maker or motor or carriage body builder	1,000
93.	Contractor for cycle stand	600
94.	Contractor for the installation of electric wiring	1,500
95.	Dairy man (less than five animals)	250
96.	Dairy man (more than six animals)	500
97.	Dealer in aluminium ware, brass or copper	750

1	2	3
		Rs.
98.	Dealer in arts, crafts and curies	500/
99.	Dealer in Aluminium ware, brass or cooper	750/
100.	Dealer in bamhoo or cane articles	150/
101.	Dealer in bangles	150/-
102.	Dealer in baskets	150/-
103.	Dealer in batteries for motor cars	300/-
104.	Dealer in beer, liquor, spirits or wine (foreign)	2,500/-
105.	Dealer in Betel, Bidies, Cigars, Cigarettes, Matches, Pan, Pan patties snuff, Tobacco etc.	250/-
106.	Dealer in boiled oil and other sorts of oils	150/-
107.	Dealer in buttons, thread or Haberdashery	300/-
108.	Dealer in Candle stick	100/-
109.	Dealer in Camphor	250/-
110.	Dealer in clocks and watches	1,000/-
111.	Dealer in Chutneys, condiments or pickles	250/-
112.	Dealer in Coconuts	250/-
113.	Dealer in coconut oils and sorts of edible oils	250/-
114.	Dealer in Coffee or tea	250/-
115.	Dealer in coir matting and durries	1,000/-
116.	Dealer in cotton or cotton seeds	150/-
117.	Dealer in cycles tricycles or perambulators or the accessories thereof	1,000/-
118.	Dealer in Dry cells for Torches	250/-
119.	Dealer in earthen ware	150/-
120.	Dealer in Figures and Statues	250/-
121.	Dealer in Fire Wood only	300/-
122.	Dealer in Fire works	500/-
123.	Dealer in hair, oil perfumery of toilet requisites	150/-
124.	Dealer in hardware	1,500/-
125.	Dealer in imitation articles	150/-
126.	Dealer in kerosene oil and non consumable spirits	250/-
127.	Dealer in keys and locks	150/-
128.	Dealer in knitting wools or yarn	150/-
129.	Dealer in kite bhingasries and Manjas	100/-
130.	Dealer in leather goods	250/-
131.	Dealer in money purses and wristwatch straps	250/-
132.	Dealer in Nausadar	250/-
133.	Dealer in Oilman stores and provisions	1,000/-
134.	Dealer in Phenyle	250/-
135.	Dealer in Photographic goods only	500/-
136.	Dealer in Pictures and maps	150/-
137.	Dealer in plywood	750/-
138.	Dealer in rain coats or gum, boots	300/-
139.	Dealer in Razor blades	150/-
140.	Dealer in ropes	150/-
141.	Dealer in rubber goods	250/-
142.	Dealer in sandal wood	250/-
143.	Dealer in seeds and plants	1,500/-
144.	Dealer in second hand articles	250/-
145.	Dealer in sewing machines	1,500/-
146.	Dealer in sweet oil	250/-
147.	Dealer in Syrup	250/-
148.	Dealer in torches	250/-
149.	Dealer in toys	250/-
150.	Dealer in typerwriters	1,500/-

1	2	3
		Rs.
151.	Dealer in Umbrellas	150/-
152.	Dealer in Water Taps	250/-
153.	Dentist	750/-
154.	Distributing Agents	1,000/-
155.	Drafts man (not being an employee)	250/-
156.	Dispensing Chemist	500/-
157.	Electroplator	250/-
158.	Goldsmith or Silversmith (not being an employee)	250/-
159.	Income Tax expert (Chartered accountant or other)	750/-
160.	Juggler or conjurer	150/-
161.	Keeper of a bar	1,500/-
162.	Keeper of beatuy shop	1,500/-
163.	Keeper of cafe, Restaurant or eating house or club	500/-
164.	Keeper of flower shop	250/-
165.	Keeper of hair dressing saloon	300/-
166.	Keeper of milch animals (6 or under) for profits	300/-
167.	Keeper of milch animals (7 or over) for profits	500/-
168.	Keeper of milk bar	250/-
169.	Keeper of hair cutting or shaving salcon	300/-
170.	Keeper of a small shop selling miscellaneous articles	300/-
171.	Keeper of a stud farm	2,500/-
172.	Keeper of a tea, coffee shop	100/-
173.	Keeper of a swimming pool	1,000/-
174.	Maker and seller of of Bhajia, pakoras, Channa, chiwds etc,	150/-
175.	Maker and seller of boxes and trunks	250/-
176.	Maker and seller of caps and hats	250/-
177.	Maker and seller of pictures and picture frames	150/-
178.	Maker and seller of sweet meats	600/-
179.	Manufacturer and seller of baskets	250/-
180.	Manufacturer and seller of canvas or leather	1,500/-
181.	Manufacturer and seller of earthen ware	1,500/-
182.	Manufacturer and seller of fruit juices or essences or Syrup	250/-
183.	Manufacturer and seller of ice cream or ice fruit	750/-
184.	Manufacturer and seller of metal works	1,500/-
185.	Manufacturer and seller of ropes of all sorts	250/-
186.	Manufacturer and seller of tools and parts of Machinery	1,500/-
187.	Masson (not being an employee)	100/-
188.	Massagist	100/-
189.	Money ex-changer	1,000/-
190.	Owner of Auto Rickshaw playing for hire, 15 for each Rickshaw	1,000/-
191.	Owner of carriages, bullock carts, cycle rickshaw tongas, tri-cycles and victorias playing for hire	150/-
192.	Owner of metal foundry	1,000/-
193.	Owner of sewing machines	1,500/-
194.	Painter (Not being an employee)	100/-
195.	Panda	100/-
196.	Persons biling bones, offal or blood	150/-
197.	Persons carrying on any business trade or calling other than those speciffed in this schedule	300/-
198.	Persons stacking or melting tallow	300/-
199.	Petitioner letter writer	100/-
200.	Pinjari/Dhunia	100/-

1	2	3
		Rs.
201.	Plumber	500/-
202.	Printer and stationer	500/-
203.	Owner of country boat playing for hire in river in our ghat	250/-
204.	Proprictor of Boarding House for 10 or less Boarders	250/-
205.	Properietor of Boarding House for 11 or more Boarders	600/-
206.	Proprietor of embroidery shop	150/-
207.	Proprietor of skating rink or dancing hall	1,500/-
208.	Proprietor of tailoring shop	
209.	Proprietor of tailoring shop having two machines	250/-
210.	Proprietor of tailoring shop having three machines or over	500/-
211.	Proprietor of textile mill	2,500/-
212.	Proprietor of washing and dyeing company	500/-
213.	Proprietor of Director of Clinema theatre, giving performances for more than 15 days during a year (except for charitable performances)	750/-
214.	Proprietor or director of cinema theatre giving performances for not exceeding 15 days during a year	1,500/-
215.	Proprietor or manager of electric supply Co.	2,500/-
216.	Repairer of Arms	250/-
217.	Proprietor or director of circus or Amusement part giving performances for more than 15 days during a year (except for charitable performances)	750/-
218.	Repairer of boots or shoes etc. have a shop	150/-
219.	Repairer of cycles, gramphones or sewing machines	250/-
220.	Repairer of clocks or watches	150/-
221.	Repairer of fountain pens, typewriters etc.	250/-
222.	Repairer of motor cars and motor cycles	1500/-
223.	Repairer of locks and umbrellas	100/-
224.	Repairer of motor cycles	750/-
225.	Repairer of musical instruments	250/-
226.	Rubber stamp maker	250/-
227.	Sculptor	1,000/-
228.	Sharpener of knives scissors etc.	100/-
229.	Shroff (dealer in gold silver and jewellery)	500/-
230.	Stationer	250/-
231.	Street Photographer	250/-
232.	Supplier of bricks, cement and stone	1500/-
233.	Supplier of lime or motor and sand	750/-
234.	Tailor (not being an employee)	150/-
235.	Tattooist	500-
236.	Tanner	150-
237.	Taxi dermist	100/-
238.	Undertaker	250/-
239.	Vender of aerated or other portable waters or ice cream or both	250/-
240.	Vendor of betel leaves	150/-
241.	Vendor of biscuits, breads or cakes	150/-
242.	Vendor of butter	150/-
243.	Vendor of dried fish	150/-
244.	Vendor of drugs or Indian Medicines	250/-
245.	Vendor of eggs, fish, game or poultry	250/-
246.	Vendor of fruits and Vegetables	150/-
247.	Vendor of ghee	250/-
248.	Vendor of ice	150/-

1	2	3
		Rs.
249.	Vendor of milk	150/-
250.	Vendor of sugar or sweetmeats or sweets	250/-
251.	Vendor of Nira	500/-
252.	Veterinary Surgeon	500/-
253.	Vulcaniser	250/-
254.	Washerman (not being an employee)	100/-
255.	Welder (not being an employee)	100/-
256.	Wireman (not being an employee)	100/-
257.	Barber (not being an employee)	100/-
258.	Battery Charger	250/-
259.	Bhadbhunja (grain parcher)	150/-
260.	Book binder (not being an employee)	250/-
261.	Furrier	150/-
262.	Fitter (not being an employee)	150/-
263.	Fortune teller	150/-
264.	Frame maker	150/-
265.	Hakim	150/-
266.	Hawker or pedlar	150/-
267.	Hawker or pendlar of fruits or vegetables	150/-
268.	Hawker or pedliar of Handcraft or stalls	150/-
269.	Hirer of 12 or less cycles	300/-
270.	Hirer of 13 or more cycles	500/-

Sd./- ILLEGIBLE
Cantt. Executive Officer, Allahabad

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2000
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 2000